

सामान्य अध्ययन

भारतीय राजव्यवस्था

प्रारम्भिक परीक्षा

call-9910852132/

9650682121

अभय कुमार

भारतीय राजव्यवस्था

विषय सूची

1. संवैधानिक विकास
2. भारतीय संविधान सभा
3. भारतीय संविधान के स्रोत
4. भारत के राष्ट्रीय प्रतीक
5. संविधान सभा के भाग एवं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद
6. संविधान की अनुसूचियां
7. भारतीय संविधान की प्रकृति
8. भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना
9. संघ का राज्यक्षेत्र और राज्यों का निर्माण
10. भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन
11. नागरिकता (भाग-2 अनुच्छेद 5 से 11)
12. मूल अधिकार
13. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51)
14. मौलिक कर्तव्य
15. राष्ट्रपति
16. उपराष्ट्रपति
17. प्रधानमंत्री
18. संसद
19. (अनुच्छेद 368) संविधान संशोधन प्रक्रिया
20. न्यायपालिका
21. संचित निधि (अनुच्छेद - 266(1))
22. आकस्मिकता निधि (अनुच्छेद-267)
23. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (अनुच्छेद 148 से 151)
24. भारत का महान्यायावादी (अनुच्छेद 76)
25. केन्द्रीय सतर्कता आयोग
26. प्रशासनिक अधिकरण (अनुच्छेद-323-क)
27. भारतीय राजव्यवस्था में वरीयता अनुक्रम
28. राज्य की कार्यपालिका व विधायिका
29. राज्य संबंध (भाग-11 एवं 12 और अनुच्छेद 245 से 293 तक)
30. योजना आयोग
31. राष्ट्रीय विकास परिषद्
32. अंतर्राज्यीय परिषद् (अनुच्छेद 263)
33. संघ एवं राज्य के अधीन सेवार्यें
34. आपात उपबंध
35. भारत में पंचायती राज
36. भारत में नगरीय शासन
37. निर्वाचन आयोग (भाग 15, अनुच्छेद 324 से 329)
38. राजनीतिक दल
39. राजभाषा (भाग 17)
40. वैधानिक एवं स्वायत्त संगठन
41. संविधान में प्रमुख संशोधन
42. महत्वपूर्ण शब्दावलियां
43. वस्तुनिष्ठ प्रश्न



"Study material is distributed free of cost to students, not for sale or circulation".

**Thanks & regards
GSI**

1. संवैधानिक विकास

1773 का रेग्युलेशन ऐक्ट- इस ऐक्ट को 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया तथा 1774 में इसे लागू किया गया। इस अधिनियम के प्रावधान के तहत (1) कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर का कार्यकाल 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष कर दिया गया। (2) फोर्ट विलियम प्रेसीडेंसी (बंगाल) के प्रशासक को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा उसके सहयोग के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारिणी बनाई गयी, जिसे नियम बनाने तथा अध्यादेश पारित करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को अपने कौंसिल के विरुद्ध कार्य करने का अधिकार नहीं था। (3) कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें अंग्रेजी विधि से न्याय होता था। (4) कर्मचारियों का निजी व्यापार प्रतिबंधित कर दिया गया।

1784 का पिट्स इंडिया ऐक्ट- इस ऐक्ट के विवाद को लेकर ब्रिटेन में लार्ड नार्थ तथा फॉक्स की मिली-जुली सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा था। यह पहला और अंतिम अवसर था, जब किसी भारतीय मामलों पर ब्रिटिश सरकार गिर गयी थी। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान (1) द्वैध शासन की स्थापना-कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स (व्यापारिक मामलों के लिए) और बोर्ड ऑफ कंट्रोल (राजनीतिक मामलों के लिए), जो 1856 तक कायम रहा। (2) बम्बई तथा मद्रास प्रेसीडेन्सियाँ भी गवर्नर जनरल एवं उनके परिषद के अधीन हो गयीं। (3) गवर्नर जनरल की परिषदों की संख्या 3 कर दी गयी और गवर्नर को परिषद् पर विशेष अधिकार दिया गया। (4) गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना किसी भारतीय नरेश से युद्ध एवं संधि नहीं कर सकता था।

1786 का चार्टर ऐक्ट- यह ऐक्ट कॉर्नवालिस को भारत लाने के उद्देश्य से लाया गया। इसके द्वारा मुख्य सेनापति की शक्ति गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई। अब गवर्नर जनरल विशेष परिस्थिति में परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता था।

1793 का चार्टर ऐक्ट- इसके द्वारा लंदन स्थित नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों एवं कर्मचारियों के वेतनादि भारतीय कोष से देने का निर्णय किया गया, जो व्यवस्था 1919 तक कायम रही।

1813 का चार्टर ऐक्ट- इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान-(1) कम्पनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किन्तु उनके चीन से तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार कायम रहा। (2) कम्पनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व से 10% लाभांश देने का निश्चय किया गया। (3) भारतीयों के लिए एक लाख रुपया वार्षिक शिक्षा में सुधार, साहित्य में सुधार एवं पुनरुत्थान के लिए और भारतीय प्रदेशों में विज्ञान की प्रगति के लिए खर्च करने का प्रावधान किया गया। (4) प्रथम बार अंग्रेजों की भारत पर संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की गयी।

1833 का चार्टर ऐक्ट- इस ऐक्ट पर औद्योगिक क्रांति उदारवादी नीतियों का क्रियान्वयन तथा लेसेज फेयर के सिद्धांत की छाप थी। इसका मुख्य प्रावधान (1) कम्पनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। (2) कम्पनी के अब केवल राजनीति अधिकार थे। (3) बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। (4) भारतीय कानूनों को संचित, लिपिबद्ध तथा सुधारने के उद्देश्य से एक विधि आयोग का गठन किया गया। (5) नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंड को अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। (6) भारत में दासता को अवैध (1843 में प्रतिबंधित) घोषित किया गया।

1853 का चार्टर ऐक्ट- इसके द्वारा (1) कम्पनी को ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत का क्षेत्र ट्रस्ट के रूप में तब तक रखने की आज्ञा दी गयी जब तक कि ब्रिटिश संसद ऐसा चाहे। (2) विधि सदस्य अब गवर्नर जनरल के काउन्सिल का पूर्ण सदस्य बन गया। (3) सरकारी सेवाओं में नियुक्तियाँ अब डाइरेक्टरों के द्वारा न होकर प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा होने लगी।

1858 का चार्टर ऐक्ट- (1) कम्पनी का शासन समाप्त कर उसकी जिम्मेवारी ब्रिटिश क्रॉउन को सौंप दी गयी। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा। (2) बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर का समस्त अधिकार 'भारत सचिव' को सौंप दिया गया। भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। (3) भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा अधिकार स्थापित हो गया।

1861 का भारतीय परिषद अधिनियम- (1) यह पहला ऐसा अधिनियम था जिसमें विभागीय प्रणाली एवं मंत्रिमण्डलीय प्रणाली की नींव रखी गयी। (2) वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार हुआ। (3) वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने एवं विधान परिषद द्वारा पारित विधियों के विरुद्ध वीटो करने की शक्ति प्रदान की गई। (4) वायसराय को नये प्रांतों की स्थापना तथा उसकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार दिया गया।

1892 का भारतीय परिषद अधिनियम- (1) केन्द्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गयी। (2) चुनाव पद्धति की अप्रत्यक्ष शुरुआत हुई। निर्वाचन की पद्धति पूर्णतया अप्रत्यक्ष थी। (3) परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किन्तु वे अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे।

1909 का भारतीय परिषद अधिनियम- (1) मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। (2) भारतीयों को विधि निर्माण या प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। (3) केन्द्रीय एवं प्रांतीय परिषद के सदस्य बजट पर बहस कर सकते थे और अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे। (4) केन्द्रीय व प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में एक-एक भारतीय सदस्य नियुक्त हुए।

प्रतिक्रिया:-

- ◆ *कै. एम. मुंशी-* इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला।
- ◆ *मजूमदार-* यह सुधार केवल चन्द्रमा के चाँदनी के समान हैं।

1919 का भारत सरकार अधिनियम (मॉण्टग्यु चेम्सफोर्ड सुधार)- (1) इसमें पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया। (2) प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गयी। (2) सिखों, यूरोपियनों, एंग्लो इंडियनों एवं भारतीय ईसाई को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। (4) केन्द्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गयी, पहला राज्यपरिषद और दूसरा केन्द्रीय विधान सभा। केन्द्रीय विधान सभा का कार्यकाल तीन वर्ष का था, जिसे वायसराय बढ़ा भी सकता था। (5) बजट पर बहस तो हो सकती थी, किन्तु उस पर मतदान का अधिकार नहीं था। (6) भारतीय कार्य की देख-भाल के लिए एक नया अधिकारी भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। (7) प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई- पहला आरक्षित एवं दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल अपने द्वारा मनोनीत पार्षदों द्वारा करता था। हस्तांतरित विषयों का शासन निर्वाचित सदस्यों द्वारा चलाया जाता था। जो उत्तरदायी थे। (8) सभी विषयों को केन्द्र तथा प्रांतों में बांटा गया। केन्द्रीय विषय- विदेशी मामले, रक्षा, डाक-तार, सार्वजनिक ऋण आदि। प्रांतीय विषय- स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, भूमि, जल संभरण, अकाल सहायता, कृषि व्यवस्था आदि। (9) प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1 अप्रैल 1921 को लागू की गयी जो अप्रैल 1937 तक चलती रही। (10) स्त्रियों को सभा के लिए मताधिकार दिया गया।

- ◆ कांग्रेस ने इस ऐक्ट को निराशाजनक एवं असंतोषप्रद कहा।

1935 का भारत सरकार अधिनियम- इसे 3 जुलाई 1936 को लागू किया गया। वैसे पूर्णरूप से चुनावों के बाद अप्रैल 1937 में यह लागू हुआ। इस अधिनियम में कुल 321 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूचियां थीं। इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली को प्रारम्भ किया गया। इस संघ में 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र एवं वे देशी रियासतें जो उसमें स्वेच्छा से शामिल होना चाहती थीं, शामिल थे।

इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया एवं केन्द्र में द्वैध शासन व्यवस्था अपनायी गयी। संघीय विषय

को दो भागों में (संरक्षित एवं हस्तांतरित) में विभाजित किया गया। संरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर जनरल कुछ पार्षदों की सहायता से करता था, जो संघीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन मंत्रियों को सौंपा गया। मंत्री विधान मण्डल के सदस्यों में से चुने जाते थे तथा उसके प्रति उत्तरदायी होते थे।

- ◆ इसके द्वारा 6 प्रांतों में द्विसदनीय तथा 5 प्रांतों में एक सदनीय विधान मंडलों के व्यवस्था की गई।
- ◆ इसके द्वारा एक संघीय न्यायालय के गठन की व्यवस्था की गई। इस न्यायालय को मौलिक अपील तथा परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार प्राप्त था। यह एक अभिलेख न्यायालय भी था। यह न्यायालय अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। इसके निर्णयों के विरुद्ध इंग्लैंड की प्रीवी कौंसिल में अपील की जा सकती थी।
- ◆ संघीय विषय की केंद्रीय सूची (59 विषय), प्रांतीय सूची (54 विषय) और समवर्ती सूची (36 विषय) बनाई गई।
- ◆ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई।
- ◆ यह नया संविधान अनम्य था। इसमें संशोधन करने का अधिकार केवल अंग्रेजी संसद को ही था।
- ◆ भारत राज्य सचिव की परिषद समाप्त कर दी गई एवं संघीय प्राधिकरण की स्थापना की गई।
- ◆ सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ाकर इसे हरिजनों तक विस्तृत किया गया।

प्रतिक्रिया

- ◆ जवाहरलाल नेहरू ने इसे 'अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान' की संज्ञा दी।
- ◆ जिन्ना ने इसे पूर्णतया सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बतलाया।
- ◆ जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनेक ब्रेकों वाला परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी।
- ◆ जवाहरलाल नेहरू ने इसे दासता का नया चार्टर कहा।
- ◆ मदन मोहन मालवीय ने इसे बाह्य रूप से जनतंत्रवादी एवं अंदर से खोखला कहा।

भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947- वायसराय लार्ड माउंटबेटन की योजना पर आधारित यह विधेयक 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। 18 जुलाई 1947 को शाही संस्तुति मिलने पर यह विधेयक अधिनियम बना। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं- (1) भारत का विभाजन, उसके स्थान पर

भारत तथा पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य की स्थापना (2) भारतीय रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि अपनी इच्छानुसार भारत या पाकिस्तान में रहने का निर्णय ले सकती है। (3) जब तक दोनों अधिराज्य में नए संविधान का निर्माण नहीं करवा लिया जाता, तब तक राज्यों की संविधान सभाओं को अपने लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। (4) जब तक नया संविधान निर्मित नहीं हो जाता तब तक दोनों राज्यों का शासन 1935 के अधिनियम द्वारा ही चलाया जाएगा। (5) दोनों अधिराज्यों के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह अपनी इच्छानुसार राष्ट्रमंडल में बने रहें या उससे अलग रहें। (6) 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान के लिए अलग-अलग गवर्नर जनरल कार्य करेंगे। (7) जब तक प्रांतों में नये चुनाव नहीं कराए जाते, उस समय तक प्रांतों में पुराने विधान मंडल कार्य कर सकेंगे।

2. भारतीय संविधान सभा

- ◆ भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर किया गया।
- ◆ संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित की गयी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से एवं 4 कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होने थे।
- ◆ मिशन की योजनानुसार ब्रिटिश प्रांतों एवं कमिश्नर क्षेत्रों के कुल 296 सदस्यों के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुआ, जिनमें कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 एवं युनियनिस्ट पार्टी, युनियनिस्ट मुस्लिम, युनियनिस्ट शिड्यूल कास्ट, कृषक प्रजा पार्टी, सिख पार्टी, साम्यवादी और अछूत जाति पार्टी ने एक-एक तथा स्वतंत्र उम्मीदवार 8 स्थान प्राप्त किये।
- ◆ कौंसिल चैंबर के पुस्तकालय भवन (दिल्ली) में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिंहा को चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस सभा का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की मांग की।
- ◆ संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था।
- ◆ संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 11 दिसंबर, 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया।
- ◆ संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किये गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई, जिसे 22 जनवरी 1947 को अंगीकार किया गया।
- ◆ 3 जून 1947 के विभाजन योजना के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और उसकी संख्या 324 नियत की गयी।
- तदर्थ समिति-राष्ट्रीय ध्वज के लिए**
- ◆ देश विभाजन के पश्चात् 31 अक्टूबर, 1947 को संविधान सभा की बैठक बुलाई गयी, जिसमें कुल 299 सदस्य थे। इनमें 229 सदस्य विभिन्न प्रांतों से एवं 70 सदस्य देशी रियासतों के थे।
- ◆ सभा के सांविधानिक सलाहकार बी. एन. राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया।
- ◆ 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया। सभा में अंबेडकर का निर्वाचन मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल से हुआ था।
- ◆ प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या सात थी, जो थे-(1) डॉ. अंबेडकर, (2) एन. गोपाल स्वामी आयरंगर (3) अल्लादी कृष्णास्वी अय्यर (4) कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी (5) सैय्यद मोहम्मद सादुल्ला (6) एन. माधव राव (बी.एल. मित्र के स्थान पर) और (7) डी. पी. खेतान (इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी)।
- ◆ प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार-विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा के पेश किया।
- ◆ संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर, से 9 नवम्बर 1947 तक चला।
- ◆ संविधान सभा का दूसरा वाचन, जिसे खंडशः विचारण कहते हैं, 15 नवंबर 1947 को प्रारंभ हुआ और 17 अक्टूबर 1949 को समाप्त हुआ।
- ◆ तीसरा वाचन 17 नवम्बर 1949 को प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ। इसी तारीख को यह घोषणा हुई कि संविधान पारित हो गया। नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध आदि 26 नवंबर, 1949 को प्रभावी हो गए। इस तारीख को भारत के लोगों ने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया। इस तारीख को 15 अनुच्छेद प्रभावी हुए थे, जो निम्न हैं-5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392 और 393.
- ◆ संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए। इस तारीख को संविधान के प्रारंभ का तारीख कहा गया है। इस पर हस्ताक्षर 24 जनवरी को ही किये गये थे। उसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई।

संविधान निर्माण हेतु नियुक्त समिति एवं अध्यक्ष	
समिति	अध्यक्ष
नियम समिति	राजेन्द्र प्रसाद
संचालन समिति	राजेन्द्र प्रसाद
वित्त एवं कर्मचारी समिति	राजेन्द्र प्रसाद
प्रारूप समिति	भीमराव अंबेडकर
सलाहकार समिति (इसकी चार उपसमिति थीं)	सरदार पटेल
1. मूल अधिकार उपसमिति	जे. बी. कृपलानी
2. अल्पसंख्यक उपसमिति	एच. सी. मुखर्जी
3. पूर्वोत्तर सीमा जनजाति क्षेत्र आदि की उपसमिति	गोपीनाथ वरदोलाई
4. अपवर्जित क्षेत्र उपसमिति	जे. जे. निकोलसराय
संघ शक्ति समिति	जवाहरलाल नेहरू
प्रांतीय संविधान समिति	सरदार पटेल
झण्डा समिति	जे. बी. कृपलानी
संघ संविधान समिति	जवाहरलाल नेहरू
राज्य समिति	जवाहरलाल नेहरू
कार्य संचालन समिति	कन्हैया लाल मुंशी
कच्चा प्रारूप समिति	बेनेगल नरसिंह राव

- ◆ अंगीकृत संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में संविधान में कुल 444 अनुच्छेद (क्रमानुसार 395), 25 भाग (क्रमानुसार 22) और 12 अनुसूचियाँ हैं।
- ◆ जयप्रकाश नारायण एवं तेज बहादुर सप्रु ने स्वास्थ्य कारणों के आधार पर संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया। इस संविधान निर्माण में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कुल 33 एवं 12 महिला सदस्यों ने अपना योगदान दिया।
- ◆ संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन लगे तथा संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। इस कार्य पर लगभग 6.4 करोड़ रूपए खर्च हुए।
- ◆ संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की 11 बैठकें हुईं और 12वीं बैठक में डॉ. राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया।
- ◆ संविधान का शेष भाग 26 जनवरी 1950 को लागू करने का मुख्य कारण था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रही थी।

3. भारतीय संविधान के स्रोत

संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला संविधान का सबसे प्रमुख सामग्री स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है। इसी अधिनियम से परिसंघ प्रणाली, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातशक्ति, लोक सेवा आयोग और अधिकांश प्रशासनिक ब्यौरे लिए गए हैं। संविधान के आधे से अधिक उपबंध या तो 1935 के अधिनियम के समान हैं या उससे मिलते-जुलते हैं।

विदेशी संविधान से प्राप्त स्रोत:-

- ◆ **ब्रिटेन-** संसदीय शासन पद्धति, मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल नागरिकता, संसद की प्रक्रिया और विशेषाधिकार, परमाधिकार रिट, विधि निर्माण प्रक्रिया एवं राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति।
- ◆ **सं. रा. अमेरिका-** न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायलय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का उपबंध उपराष्ट्रपति, संविधान की सर्वोच्चता एवं संघात्मक शासन प्रणाली।
- ◆ **फ्रांस-** गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था।
- ◆ **कनाडा-** संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन, विधायन की अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित एवं केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति।
- ◆ **आयरलैंड-** नीति-निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा के कुछ सदस्यों का नामनिर्देशन।
- ◆ **जर्मनी (वीमर संविधान)-** आपात उपबंध और आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन।
- ◆ **आस्ट्रेलिया-** समवर्ती सूची और व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता के बारे में उपबंध।
- ◆ **रूस-** मूल कर्तव्यों का प्रावधान।
- ◆ **जापान-** विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
- ◆ **दक्षिण अफ्रीका-** संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान।

4. भारत के राष्ट्रीय प्रतीक

राष्ट्र ध्वज- संविधान सभा ने तिरंगा (राष्ट्रीय ध्वज) का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। इसकी चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात 3:2 होता है। ध्वज में समान अनुपात वाली तीन पट्टियाँ हैं, जो केसरिया, सफेद एवं हरे रंग की हैं। सफेद पट्टी के बीच नीले रंग का चक्र होता है, जिसमें 24 तीलियाँ बनी हैं। इसे सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृति, शौर्य तथा त्याग का, सफेद रंग सत्य तथा पवित्रता का एवं हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है।

- ◆ भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय आम नागरिक, निजी संस्थाओं एवं शिक्षण संस्थानों आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है।
- ◆ 23 जनवरी 2004 को एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा की कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (अ) के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है।

राजचिह्न- भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को राजचिह्न के रूप में स्वीकार किया। इस राजचिह्न के मूल स्तंभ पर चार सिंह हैं इनके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्रवल्ली में एक हाथी है। सिंह शीर्ष के नीचे पट्टी में उभरी हुई है, जिसमें दाईं ओर एक साँड़ तथा बाईं ओर एक घोड़ा है। फलक के नीचे देवनागरी लिपि में 'सत्यमेव जयते' अंकित है, जो मुंडकोपनिषद् से लिया गया है।

राष्ट्रगान- संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित **जन-गन-मन** को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अंकित किया। जनवरी 1912 में टैगोर द्वारा संपादित था। इसके गायन का निर्धारित समय 52 सेकेंड है। यह गीत सर्वप्रथम 27 सितंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के गीत '**अमार सोनार बंगला**' बंगलादेश का राष्ट्रगान है।

राष्ट्रीय गीत- बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित 'बंदे मातरम्' को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। इसे चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। यह मूलतः संस्कृत में है। इस गीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था।

झंडा गीत- 'विजय विश्व तिरंगा प्यारा...।' इस गीत को श्याम लाल गुप्ता ने लिखा। इसे सर्वप्रथम 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया और 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में इसे राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया।

राष्ट्रीय पंचांग- भारत सरकार का पंचांग (कलेंडर) शक संवत् (शुरूआत 78 ई.) पर आधारित है, जिसे भारत ने 22 मार्च 1957 को विभिन्न सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया। राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना चैत है, जिसका पहला दिन 22 मार्च और अधि वर्ष 21 मार्च को पड़ता है।

- ◆ राष्ट्रीय वाक्य - सत्यमेव जयते।
- ◆ राष्ट्रीय पशु- बाघ (पैन्थरा टाइग्रिस लिन्नायस) है।
- ◆ राष्ट्रीय पक्षी- मयूर (पावो क्रिस्टेसस) है।
- ◆ राष्ट्रीय पुष्प-कमल (नेलाम्बो न्यूसिपेरा गार्टन) है।
- ◆ राष्ट्रीय वृक्ष-बरगद (फइकस बंधालेंसिस) है।

- ◆ राष्ट्रीय फल-आम (मेनिगिफेरा इंडिका)
- ◆ राष्ट्रीय जलीय जीव- डाल्फिन है। सरकार ने 05 अक्टूबर 2009 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। इसकी ध्राणशक्ति तीव्र होती है, जिससे वह अपने शिकार का पता लगाती है।
- ◆ राष्ट्रीय विरासत पशु- हाथी (घोषणा 2010)

5. संविधान सभा के भाग एवं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद

भाग-1-संघ और उसका राज्यक्षेत्र (अनु. 1 से 4)

- ◆ अनु. 1- संघ का नाम और राज्य क्षेत्र।
- ◆ अनु. 2- नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना।
- ◆ अनु. 3 - नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन।

भाग-2 - (अनु. 5-11) नागरिकता

- ◆ अनु. 5 - संविधान के प्रारम्भ पर नागरिकता।
- ◆ अनु. 8 - भारत के बाहर रहने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार।
- ◆ अनु. 9 - विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना।
- ◆ अनु. 11-संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जाना।

भाग 3- (अनु. 12 से 35) मूल अधिकार

भाग 4- (अनु. 36 से 51) राज्य के नीति के निदेशक तत्व।

भाग 4-क (अनु. 51 क) मूल कर्तव्य

भाग 5- (अनु. 52 से 151) संघ की शासन व्यवस्था (इस भाग में 5 अध्याय हैं)।

- ◆ अनु. 53 - संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है।
- ◆ अनु. 58- राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं।
- ◆ अनु. 59 - राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें
- ◆ अनु. 60- राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञापन।
- ◆ अनु. 61- राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया।
- ◆ अनु. 63 - भारत का उपराष्ट्रपति
- ◆ अनु. 64- उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना।
- ◆ अनु. 66 - उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
- ◆ अनु. 70- उपराष्ट्रपति द्वारा अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वाह।

- ◆ अनु. 72-क्षमा आदि की (कुछ मामलों में दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति।)
- ◆ अनु. 73 - संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार।
- ◆ अनु. 74- राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान।
- ◆ अनु. 76- राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति।
- ◆ अनु. 78- राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य।
- ◆ अनु. 79- संसद का गठन।
- ◆ अनु. 80- और 81- क्रमशः राज्यसभा एवं लोकसभा की संरचना।
- ◆ अनु. 82-प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुनः समायोजन।
- ◆ अनु. 84 - संसद सदस्य की अर्हता।
- ◆ अनु. 85- संसद के सत्र का सत्रावसान और विघटन।
- ◆ अनु. 86- सदनों में अभिभाषण का और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार।
- ◆ अनु. 93- लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष।
- ◆ अनु. 98- संसद का सचिवालय।
- ◆ अनु. 99- सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।
- ◆ अनु. 100- सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
- ◆ अनु. 108- दोनों सदनों में मतदान, गतिरोध के अवसर पर संयुक्त बैठक का प्रावधान।
- ◆ अनु. 109- धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया।
- ◆ अनु. 110 - धन विधेयक की परिभाषा।
- ◆ अनु. 112 - प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) पेश किया जाएगा।
- ◆ अनु. 114- विनियोग विधेयक।
- ◆ अनु. 116- लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान।
- ◆ अनु. 117- वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध।
- ◆ अनु. 120 - संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा।
- ◆ अनु. 122- न्यायालयों द्वारा संसद के कार्यवाहियों की जांच न किया जाना।
- ◆ अनु. 123- संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति।
- ◆ अनु. 124-उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन।
- ◆ अनु. 129- उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना।
- ◆ अनु. 131 - उच्चतम न्यायालय का आरम्भिक अधिकारिता।
- ◆ अनु. 139- कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालयों को प्रदत्त किया जाना।
- ◆ अनु. 143- उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति।
- ◆ अनु. 147 - निर्वाचन
- ◆ अनु. 148- भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा।
- ◆ अनु. 150 - संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप
भाग 6- (अनु. 152 से 237) राज्य की शासन व्यवस्था संबंधी उपबंध।
- ◆ अनु. 153 - राज्यों का राज्यपाल।
- ◆ अनु. 155 - राज्यपाल की नियुक्ति
- ◆ अनु. 161-क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति।
- ◆ अनु. 162 - राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार।
- ◆ अनु. 163- राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद।
- ◆ अनु. 165- राज्य का महाधिवक्ता।
- ◆ अनु. 166 - राज्य के सरकार के कार्य का संचालन।
- ◆ अनु. 167- राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य।
- ◆ अनु. 169- राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन।
- ◆ अनु. 174- राज्य विधान मंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन।
- ◆ अनु. 187- राज्य के विधान मंडलों का सचिवालय।
- ◆ अनु. 199- धन विधेयक की परिभाषा।
- ◆ अनु. 201- राज्यपाल द्वारा विचार के लिए आरक्षित विधेयक।
- ◆ अनु. 202- राज्य में राज्यपाल द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) पेश करना।
- ◆ अनु. 210 - विधानमण्डल में प्रयोग की जाने वाली भाषा।
- ◆ अनु. 211 - विधानमण्डल में चर्चा पर निर्बन्धन।
- ◆ अनु. 213- विधान मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति।
- ◆ अनु. 214- राज्यों के लिए उच्च न्यायालय।

- ◆ अनु. 215- उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना।
- ◆ अनु. 222- किसी न्यायालय का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण।
- ◆ अनु. 226- मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति।
- ◆ अनु. 231 - दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था।
- ◆ अनु. 235- उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण।
- ◆ अनु. 239- संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा।
भाग 9- (अनु. 243 एवं 243क से 243 ग तक) पंचायतों के संबंध में प्रावधान।
भाग 9क- (अनु. 243 'त' से 243 य छ तक) नगरपालिका के संबंध में प्रावधान।
भाग 10- (अनु. 244 एवं 244 'क') अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र।
भाग 11- (अनु. 245-263) एवं राज्यों के बीच संबंध।
- ◆ अनु. 245- संसद द्वारा और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार।
- ◆ अनु. 248- अवशिष्ट विधायी शक्तियां संसद में निहित होती हैं।
- ◆ अनु. 249- राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति।
- ◆ अनु. 253- राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान।
- ◆ अनु. 262- अंतर्राज्यीय नदियों या नदी-दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन।
- ◆ अनु. 263- अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध।
भाग 12- (अनु. 264-300 'क') वित्त संपत्ति, सविदाएं और वाद।
- ◆ अनु. 265- विधि के प्रधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना।
- ◆ अनु. 266- भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा।
- ◆ अनु. 267- संसद आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है।
- ◆ अनु. 270- संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर।
- ◆ अनु. 269-संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किन्तु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर।
- ◆ अनु. 271- कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार।
- ◆ अनु. 275- केन्द्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान।
- ◆ अनु. 276- वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर।
- ◆ अनु. 280- वित्त आयोग।
- ◆ अनु. 281- वित्त आयोग की सिफारिशें।
- ◆ अनु. 280- कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन।
- ◆ अनु. 287- विद्युत पर करों से छुट।
- ◆ अनु. 292- भारत सरकार द्वारा उधार लेना।
- ◆ अनु. 293- राज्यों द्वारा उधार लेना।
- ◆ अनु. 300(क)- राज्य विविध के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता।
- ◆ अनु. 301- व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता।
- ◆ अनु. 303- व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विद्यायी शक्तियों पर निर्बंधन।
- ◆ अनु. 304- राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन।
भाग 13- (अनु. 301 से 307) भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार-वाणिज्य और समागम का उल्लेख।
भाग 14 (अनु. 308 से 323) संघ एवं राज्यों के अधीन लोक सेवाएं।
- ◆ अनु. 312- राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं के स्थापना की अनुशंसा विशेष बहुमत द्वारा कर सकती है।
- ◆ अनु. 315- संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना।
भाग 14क- (अनु. 323क एवं 323ख) अधिकरण।
- ◆ अनु. 323क- प्रशासनिक अधिकरण।
भाग 15- (अनु. 324 से 329) निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन से संबंधित अन्य प्रावधान।
- ◆ अनु. 324- निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना।

- ◆ अनु. 329- निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन।
- ◆ अनु. 326- लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का व्यस्क मताधिकार के आधार पर होना।
भाग 16- (अनु. 330 से 342) कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध।
- ◆ अनु. 330-लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों, के लिए स्थानों का आरक्षण।
- ◆ अनु. 331- लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व।
- ◆ अनु. 332- राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण।
- ◆ अनु. 333- विधान सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व।
- ◆ अनु. 335- अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान।
- ◆ अनु. 340- पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति।
भाग 17- (अनु. 343 से 351) राजभाषा।
- ◆ अनु. 343- संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिन्दी होगी।
- ◆ अनु. 347- किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध।
- ◆ अनु. 350क- प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना।
- ◆ अनु. 351- हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश।
भाग 18- (अनु. 352 से 360) आपात उपबंध।
- ◆ अनु. 352- यदि किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह से हो तो राष्ट्रपति आपात की घोषणा करता है।
- ◆ अनु. 356- राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में वहां राष्ट्रपति शासन लागू होता है।
- ◆ अनु. 360- वित्तीय आपात के बारे में उपबंध।
भाग 19- (अनु. 361 से 367) राष्ट्रपति, राज्यपालों और राजप्रमुखों के संरक्षण, संसद और राज्य विधानमण्डलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण आदि के संबंध में प्रावधान (प्रकीर्ण)
 - ◆ अनु. 361- राष्ट्रपति, राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण।
 - ◆ अनु. 363- कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन।
 - ◆ अनु. 364- महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध।
- भाग 20- (अनु. 368) संविधान संशोधन।
- ◆ अनु. 368- संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया।
भाग 21- (अनु. 369 से 392) अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध।
- ◆ अनु. 370- जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध ।
- ◆ अनु. 373- निवारक निरोध में रखे गये व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति।
- ◆ अनु. 374- फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद हिज मेजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध।
भाग 22- (अनु. 393 से 395) संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ आदि के संबंध में प्रावधान।
- ◆ अनु. 394क- राष्ट्रपति इस संविधान का विशेष उपबंध के तहत हिन्दी में अनुवाद करवायेगा।

6. संविधान की अनुसूचियां

संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं जो इस प्रकार हैं-

- ◆ प्रथम अनुसूची- इसमें भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है, जिनकी संख्या क्रमशः 29 तथा 7 है। इससे संबंधित अनुच्छेद 1 से 4 हैं।
- ◆ द्वितीय अनुसूची- इसमें भारतीय राजव्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उप-सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानपरिषद के सभापति और उप-सभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि) को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6) 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5), 186 और 221 से है।
- ◆ तृतीय अनुसूची- इसमें विभिन्न पदाधिकारियों (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, संसद सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश आदि) द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। इस अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 75(4), 99, 124(6), 148(2), 164(3), 188 और 219 से है।

- ◆ **चतुर्थ अनुसूची-** इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। इस अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 4(1) और 80(2) से है।
- ◆ **पांचवी अनुसूची-** इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। इस अनुसूची का संबंध अनु. 244(1) से है।
- ◆ **छठी अनुसूची-** इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में उल्लेख है। 1 अक्टूबर 2007 को दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद को इसमें शामिल किया गया है। इससे संबंधित अनुच्छेद हैं- 244 (2) और 275 (1)।
- ◆ **सातवीं अनुसूची-** इसमें केन्द्र और राज्य के बीच शक्ति विभाजन के लिए तीन सूचियों का वर्णन है-
 1. **संघ सूची-** इस सूची में आरम्भ में 97 विषय थे, किन्तु मई 2003 में सेवाकर को इस सूची में शामिल करने के बाद वर्तमान में इनकी संख्या 98 हो गई है। वर्तमान में इसकी संख्या 99 है। इस सूची में शामिल विषय हैं- प्रतिरक्षा, युद्ध, विदेश मामले, रेलवे, वायु एवं जलपरिवहन, मुद्रा, विदेशी व्यापार आदि। इन विषयों पर सिर्फ केन्द्र सरकार कानून बना सकती है।
 2. **राज्य सूची-** इस सूची में आरम्भ में 66 विषय शामिल थे, किन्तु वर्तमान में इसमें 62 विषय शामिल हैं, जो हैं- कृषि, पुलिस स्थानीय प्रशासन, जेलखाना, सिंचाई, भू-राजस्व, लोक स्वास्थ्य, पशुपालन आदि। इस सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है, किन्तु राष्ट्रीय हित के मामले में केन्द्र सरकार भी राज्यसभा के सहयोग से इस सूची पर कानून बना सकती है।
 3. **समवर्ती सूची-** इस सूची के आरम्भ में 47 विषय थे, किन्तु वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं, जिनमें जनसंख्या नियंत्रण, समाचार-पत्र, शिक्षा, वन, सामाजिक और आर्थिक नियोजन, राष्ट्रीय जलमार्ग आदि हैं। इस सूची पर केन्द्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं किन्तु अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र के पास होती हैं।
- ◆ **आठवीं अनुसूची-** इसमें वर्तमान में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, किन्तु आरम्भ में इसमें केवल 14 भाषायें थीं। 1967 में सिंधी को, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को और 2003 में संथाली, डोंगरी, बोडो एवं मैथिली को इस अनुसूची में शामिल किया गया।
- ◆ **नवीं अनुसूची-** संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत

- राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 31(ख) से है। इसमें 300 (अधिकांश भूमि संबंधी सुधार) अधिनियमों का वर्णन है, जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। संसद को इस पर असीम शक्ति प्राप्त है। जनवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि अप्रैल 1973 के बाद बने अधिनियम पर संसद उस पर सुरक्षा कवच नहीं रख सकती। इस पर न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है।
- ◆ **दसवीं अनुसूची-** इसे संविधान में 52वां संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें दल-बदल से सम्बंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 102(2) 191(2) और 361(ख) से है।
- ◆ **ग्यारहवीं अनुसूची-** इस अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 में जोड़ा गया था। इसमें पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में वर्णन है। इसका संबंध अनुच्छेद 243(क) से 243 (ण) तक है। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं।
- ◆ **बारहवीं अनुसूची-** इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा 1992 में जोड़ा गया। इसमें नगरपालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में उपबंध हैं। जो अनुच्छेद 243(त) से 243 (यछ) तक संबद्ध है। इस अनुसूची में 18 विषय शामिल हैं।

7. भारतीय संविधान की प्रकृति

- ◆ भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों लक्षण स्पष्ट हैं।

संघात्मक लक्षण

- ◆ लिखित संविधान एवं संविधान की सर्वोच्चता।
- ◆ संविधान संशोधन की प्रक्रिया की जटिलता।
- ◆ संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन।
- ◆ स्वतंत्र न्यायपालिका तथा न्यायपालिका का कार्यपालिका तथा विधानपालिका पर पुनरावलोकन का अधिकार।

एकात्मक लक्षण

- ◆ राज्यों में केन्द्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान।
- ◆ आपातकालीन स्थिति में संसद की विधि निर्माण की शक्ति से संबंधित प्रावधान।
- ◆ नये राज्यों के गठन, नाम तथा सीमा परिवर्तन संबंधी संसद की शक्ति।
- ◆ राज्यों में राष्ट्रपति शासन की स्थिति में केन्द्र सरकार के अधिकार।

विभिन्न विचार

- ◆ डॉ. भीमराव अम्बेडकर - “यह समय और परिस्थिति की मांग के अनुसार एकात्मक और संघात्मक हो सकता है।”
- ◆ हवीयर- “भारत का संविधान अर्द्धसंघीय है।”
- ◆ उच्चतम न्यायालय- “भारत का संविधान संघीय नहीं है, यद्यपि इसमें कई संघीय लक्षण पाये जाते हैं।”
- ◆ आस्टिन- “भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है।”

8. भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना

- ◆ उद्देशिका को “संविधान की कुंजी” कहा जाता है।
- ◆ उद्देशिका के अनुसार संविधान में निहित समस्त शक्ति का स्रोत भारत के लोग हैं और वह सर्वोच्च सम्प्रभुता धारण करती है।
- ◆ इस उद्देशिका में 42वें संशोधन (1976) द्वारा पहले पैरा में “समाजवादी और पंथनिरपेक्ष” अंतः स्थापित किए गए एवं छठे पैरा में “और अखंडता” शब्द जोड़ा गया।
- ◆ बेरूबारी यूनियनवाद (1960) में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का अंग मानने से इंकार कर दिया। इसलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती।
- ◆ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद (1973) में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का अंग माना। अतः उद्देशिका में संशोधन हो सकता है, किन्तु उसके मूल ढांचा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

9. संघ का राज्यक्षेत्र और राज्यों का निर्माण

- ◆ भारत राज्यों का संघ है। कोई भी राज्य इकाई भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है।
- ◆ संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि वह विधि बनाकर संघ में नये राज्यों को प्रवेश दे सकती है या नये राज्यों की स्थापना कर सकती है। नये राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अनुसार की जायेगी जिन्हें संसद उचित समझे।
- ◆ अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का उपबन्ध है। इस अनुच्छेद का संसद ने अब तक कई बार प्रयोग किया है।

10 भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन

- ◆ स्वतंत्रता के पूर्व कांग्रेस दल राजनीतिक कारणों से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग का समर्थन करते थे।

- ◆ तेलुगु, कन्नड़ तथा मराठी भाषी जनता के दबाव में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस. के. धर की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। आयोग ने 10 दिसम्बर 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को सौंपा, जिसमें भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया गया। इस रिपोर्ट के प्रति जनता की प्रतिक्रिया के कारण कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मामले पर विचार करने के लिए जवाहरलाल नेहरू, बल्लभी भाई पटेल तथा पट्टाभि सीतारमैया की एक समिति गठित की। इस समिति ने भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया।
- ◆ नेहरू, पटेल तथा सीताभीमैया समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोर्टी श्री रामुल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारम्भ कर दिया।
- ◆ रामुल्लू की 56 दिन के लगातार आमरण अनशन के बाद 15 दिसम्बर 1952 को उनकी मृत्यु हो गयी।
- ◆ रामुल्लू की मृत्यु के बाद आंदोलन की तीव्रता के कारण प्रथम मंत्री नेहरू ने 19 दिसम्बर 1952 को तेलुगु भाषियों के लिए आन्ध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी।
- ◆ 1 अक्टूबर 1953 को आन्ध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया, जो भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य था।
- ◆ केन्द्र सरकार ने 22 दिसम्बर 1953 को न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की घोषणा की। अन्य सदस्य थे- पं. हृदयनाथ कुंजरू और के. एम. पणिकर।
- ◆ *आयोग की सिफारिशें*- (1) केवल भाषा तथा संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। (2) राज्यों का पुनर्गठन करते समय राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विकास को भी ध्यान में रखना चाहिए। (3) भारतीय संघ को 16 राज्यों एवं 3 संघ राज्यक्षेत्रों में विभाजित करना चाहिए।
- ◆ राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर 1956 में 14 राज्यों और पांच संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया।
- ◆ 28 मई 1956 को भारत और फ्रांस के बीच एक संधि हुई, जिसके अनुसार फ्रांस ने अपने उपनिवेश क्षेत्र चन्द्रनगर, माहे, यनाम और ‘कारकल’ भारत को सौंप दिया। इन सभी को मिलाकर छठवां संघ राज्य क्षेत्र पाण्डिचेरी का गठन किया गया।

- ◆ गोवा मुक्ति संग्राम की उग्रता के कारण भारत सरकार ने 1961 में सैनिक हस्तक्षेप करके गोवा, दमन तथा दीव को जीतकर भारत में मिला लिया और इसे सातवां संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया।
- ◆ मुम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा मुम्बई राज्य को दो भागों-गुजरात तथा महाराष्ट्र में विभाजित कर दिया गया।

संविधान संशोधन तथा राज्यों का गठन

- ◆ सातवां संशोधन 1956- केन्द्र को भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति देने के लिए।
- ◆ 10वां संशोधन 1961- दादरा एवं नगर हवेली को संघ राज्य क्षेत्र बनाने के लिए।
- ◆ 12वां संशोधन 1962- गोवा, दमन तथा दीव को भारत में शामिल कर संघ राज्य क्षेत्र बनाने के लिए।
- ◆ 13वां संशोधन 1962- नागालैण्ड को राज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए।
- ◆ 14वां संशोधन 1962- पांडिचेरी के लिए अनुच्छेद 239 जोड़कर विधान सभा तथा मंत्रिमण्डल के गठन हेतु प्रावधान।
- ◆ 18वां संशोधन 1966- पंजाब तथा हरियाणा को राज्य तथा हिमाचल प्रदेश को संघ राज्य क्षेत्र बनाने के लिए।
- ◆ 22वां संशोधन 1969- मेघालय को राज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए।
- ◆ 27वां संशोधन 1975- मणिपुर तथा त्रिपुरा को राज्य तथा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को संघ राज्य क्षेत्र बनाने के लिए।
- ◆ 36वां संशोधन 1975- सिक्किम को 22वां राज्य बनाने के लिए।
- ◆ 53वां संशोधन 1986- मिजोरम को 23वां राज्य बनाने के लिए।
- ◆ 55वां संशोधन 1986- अरुणाचल प्रदेश को 24वां राज्य बनाने के लिए।
- ◆ 56वां संशोधन 1987- गोवा को 25वां राज्य बनाने के लिए।
- ◆ 1 नवम्बर 2000 को छत्तीसगढ़, 26वें राज्य, 9 नवम्बर 2000 को उत्तरांचल (अब उत्तराखण्ड) 27वें राज्य और 15 नवम्बर 2000 को झारखण्ड 28वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया।
- ◆ 2 जून 2014 को तेलंगाना औपचारिक तौर पर देश का 29वां राज्य बन गया। के. चन्द्रशेखर राव तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री बने।

- ◆ वर्तमान में भारतीय संघ में 29 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।
- ◆ **क्षेत्रीय परिषद्**- राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 में क्षेत्रीय परिषद् का प्रावधान किया गया। वर्तमान में पांच क्षेत्रीय परिषद् हैं। इन परिषदों के गठन का आधार देश की प्राकृतिक एवं भौगोलिक स्थिति, आर्थिक विकास की आवश्यकताएं, सांस्कृतिक एवं भाषायी सम्पर्क, नदी व्यवस्था, संचार के साधन तथा सुरक्षा की आवश्यकता रही है।
- ◆ इन क्षेत्रीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय गृहमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी केन्द्रीय मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं तथा सम्बंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं, जो प्रतिवर्ष बदलते हैं।
- ◆ क्षेत्रीय परिषद् का मुख्य कार्य विघटनकारी तत्व को कमजोर करना और एकता का संचार करना है।

क्षेत्रीय परिषद् एवं उनके अन्तर्गत शामिल राज्य:-

1. उत्तरी क्षेत्रीय परिषद्- जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान राज्य तथा चण्डीगढ़ एवं दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र। मुख्यालय- नई दिल्ली।
 2. मध्य क्षेत्रीय परिषद्- उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तराखण्ड एवं छत्तीसगढ़। मुख्यालय-इलाहाबाद।
 3. पूर्वी क्षेत्रीय परिषद्- बिहार, पश्चिम बंगाल, ओड़ीसा, असोम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम। मुख्यालय- कलकत्ता।
 4. पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद्- गुजरात, महाराष्ट्र तथा दादरा-नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र, मुख्यालय मुम्बई।
 5. दक्षिण क्षेत्रीय परिषद्- आन्ध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य एवं पण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र मुख्यालय-चेन्नई।
- ◆ इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के अधीन एक पूर्वोत्तर परिषद भी बनाई गई है जो कि असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की

भारतीय संविधान में 'विशेष राज्य' का दर्जा प्राप्त 'राज्य'

- 1969 ई. (1) असम, (2) नागालैण्ड, (3) जम्मू-कश्मीर।
1971 ई. (4) हिमाचल प्रदेश।
1972 ई. (5) मणिपुर, (6) मेघालय, (7) त्रिपुरा।
1975-76 ई. (8) सिक्किम।
1987-88 ई. (9) मिजोरम (10) अरुणाचल प्रदेश और

सम्मिलित समस्याओं पर विचार विमर्श करती है। 23 नवम्बर 2002 को सिक्किम को भी पूर्वोत्तर परिषद में शामिल किया गया और इसे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद से हटाने की प्रक्रिया गृह मंत्रालय द्वारा आरम्भ कर दी गई है।

- ◆ प्राप्ति- विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को 90% अनुदान और 10% ऋण उदार शर्तों पर दी जाती है।
- ◆ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने का कार्य डी. आर. गाडगिल फार्मूले के आधार पर शुरू किया गया था।

11. नागरिकता (भाग-2 अनुच्छेद 5 से 11)

- ◆ नागरिकता का विषय संघीय सूची में रखा गया है, किन्तु नागरिकता की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है।
- ◆ भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है।
- ◆ अनुच्छेद 11 संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। इसी आधार पर भारतीय नागरिकता अधिनियम-1955 प्रस्तुत किया गया।

नागरिकता का प्रावधान:-

- ◆ **जन्म द्वारा-** 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, किन्तु नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के बाद भारत के राज्यक्षेत्र में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति तब भारत का नागरिक होगा, जब उसके माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो।
- ◆ **देशीकरण द्वारा-** कोई भी विदेशी व्यक्ति जो अपने देश की नागरिकता का परित्याग कर चुका हो, 12 वर्ष से लगातार भारत में रह रहा हो और वह राज्यनिष्ठ एवं अच्छे चरित्र का हो तो भारत सरकार को आवेदन देकर भारत का नागरिक बन सकता है।
- ◆ **वंश परंपरा द्वारा-** भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के पश्चात् जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा, यदि उसके जन्म के समय उसके माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है।
- ◆ **पंजीकरण द्वारा-** जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है वह पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को इसके लिए नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष विहित प्रारूप में आवेदन करना होता है। पंजीकरणकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह कम से कम 5 वर्ष तक भारत में निवास किया हो।

◆ **अर्जित भू-भाग के विलयन द्वारा-** यदि किसी नये भू-भाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है।

◆ **भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986-** भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बहुत उदार था। जम्मू-कश्मीर तथा असम जैसे राज्यों में घुसपैठियों ने अनाधिकृत रूप से प्रवेश का अनुचित लाभ उठाया। इसी कारण यह संशोधन पारित किया गया।

◆ **नागरिकता कानून में संशोधन 1992-** इसके द्वारा नागरिकता के प्रसंग में बच्चे के माता को पिता के समकक्ष स्थिति प्रदान कर दी गयी।

◆ **प्रवासी भारतीयों की नागरिकता संबंधी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003-** यह विधेयक लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया था। 25 अगस्त 2004 को केन्द्र सरकार ने भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को दोहरी नागरिकता का लाभ दिलाने के लिए नागरिकता नियमावली 2004 संबंधी अधि सूचना जारी की। इसके तहत बंगलादेश एवं पाकिस्तान को छोड़कर वैसे सभी प्रवासी भारतीय को यह नागरिकता प्राप्त होगी बशर्ते वह जिस देश में रह रहा है वहां दोहरी नागरिकता का प्रावधान हो। इस प्रकार के नागरिकों को भारत सरकार की सेवाओं में रोजगार, मतदान और सवैधानिक पद पाने के अतिरिक्त शेष सारे अधिकार प्राप्त होंगे।

◆ **भारतीय नागरिकता का अंत-** यदि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ली हो, नागरिकता का परित्याग कर दिया हो या सरकार द्वारा उसकी नागरिकता छीन ली गयी हो।

◆ **नागरिकता के लिए जम्मू-** कश्मीर का विशेषाधिकार- जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्ति को विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गयी है-

- (1) राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में।
- (2) राज्य में स्थायी रूप से बस जाने के संबंध में।
- (3) छात्रवृत्तियों अथवा इसी प्रकार की सहायता जो सरकार प्रदान करे, के संबंध में।
- (4) राज्य में अचल सम्पत्ति के अर्जन के सम्बंध में।

12. मूल अधिकार

- ◆ अनुच्छेद 12 के अनुसार मूल अधिकार व्यक्तियों का राज्यों के विरुद्ध संरक्षण है।
 - ◆ अनुच्छेद 13 के अनुसार न्यायालय मूल अधिकारों से असंगत विधियों को अवैध घोषित कर सकता है, अर्थात् इसमें न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति समाहित है। इस रूप में अनुच्छेद 13 को नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रहरी बताया गया है।
 - ◆ मूल अधिकार संविधान लागू होने के समय 7 थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा संपत्ति के अधिकार (अनु. 31 एवं 19च) को मूल अधिकार की सूची से हटाकर अनुसूची 300(क) के अन्तर्गत सिर्फ कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को निम्न छः मूल अधिकार प्राप्त हैं-
1. **समता का अधिकार (अनु. 14 से 18)**
 - ◆ अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समता)- इसके तहत राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाएगा एवं उन पर एक समान लागू करवायेगा, किन्तु भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, न्यायालयों के न्यायाधीशों, लोकप्राधिकारियों को अनुच्छेद 361 के तहत विशेष प्राधिकार प्रदान किये गये हैं।
 - ◆ अनुच्छेद 15 (धर्म, नस्ल, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर विभेद का निषेध)- राज्य के द्वारा धर्म, जाति, मूलवंश, जन्म-स्थान एवं लिंग के आधार पर नागरिकों के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किन्तु अपवादस्वरूप अनु. 15(3) के तहत बालकों एवं स्त्रियों के विकास के लिए तथा अनु. 15(4) के तहत सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों या अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।
 - ◆ अनुच्छेद 16 (लोकनियोजन के विषय में अवसर की समता)- राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति या नियोजन से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। किन्तु अनुच्छेद 16(2) (3) (4) एवं (5) इसके अपवाद हैं। राज्य अनुच्छेद 16(4) के तहत सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरी में आरक्षण उपलब्ध कराता है। उच्चतम न्यायालय ने बालाजी वाद मामले में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% माना।
 - ◆ अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का अंत)- यह मूल अधिकार व्यक्ति को राज्यों के साथ-साथ नागरिकों के विरुद्ध भी प्राप्त है। अस्पृश्यता का अंत करने के लिए कानून बनाने का अधि

कार संसद को अनुच्छेद-35 द्वारा दिया गया है, जिसके तहत संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम-1955 पारित किया।

- ◆ अनुच्छेद 18 (उपाधियों का अंत)- राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता, किन्तु इस अनुच्छेद की अवहेलना करने वालों के लिए किसी दण्ड का विधान नहीं है।
2. **स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22)**
 - ◆ अनुच्छेद 19- मूल संविधान में सात प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, अब सिर्फ छः हैं-
 - ◆ 19(1)(क)- वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता।
 - ◆ 19(1) (ख)- शांतिपूर्ण तथा निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता।
 - ◆ 19(1) (ग)- संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता।
 - ◆ 19(1) (घ)- भारत में सर्वत्र स्वतंत्रतापूर्वक भ्रमण करने की स्वतंत्रता।
 - ◆ 19(1) (ङ)- भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में जम्मू-कश्मीर को छोड़कर निवास करने तथा बस जाने की स्वतंत्रता।
 - ◆ 19(1) (छ)- कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता।
 - ◆ अनुच्छेद 20- (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के सम्बंध में संरक्षण)- इस अनुच्छेद में निम्न प्रावधान हैं- (1) किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी निर्णीत नहीं किया जा सकता, जब तक उसने ऐसी विधि का उल्लंघन न किया हो। (2) अपराधी को अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद के बनने वाले कानून के तहत (3) एक अपराध के लिए एक से अधिक दण्ड नहीं दिया जा सकता। (4) किसी भी अपराधी को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
 - ◆ अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण)- किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
 - ◆ अनुच्छेद 21(क) राज्य छः से चौदह वर्ष आयु तक के सभी बच्चों को विधि द्वारा स्थापित उपबन्धित निःशुल्क एवं

अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इस अनुच्छेद को संविधान में 86वां संविधान-संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया।

- ◆ अनुच्छेद 22 (बंदीकरण व निरोध के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण)- अनुच्छेद 22 अनुच्छेद का पूरक है और इन दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए। अनुच्छेद 22 में 7 खण्ड हैं, जिनमें खण्ड (1) तथा (2) में गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों तथा संरक्षण के संबंध में प्रावधान किया गया है, जबकि खण्ड (3) से (7) तक में निवारक निरोध के सम्बंध में प्रावधान किया गया है।

गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार एवं संरक्षण प्रदान किया गया है-

1. गिरफ्तारी में लेने का कारण बताना होगा।
2. 24 घंटे के अन्दर (आने-जाने के समय को छोड़कर) उसे नजदीक के दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा।
3. उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा।
- ◆ निवारक निरोध- इस कानून के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व गिरफ्तार किया जा सकता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दण्ड देना नहीं वरन् अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः यह कार्यवाही लोक व्यवहार बनाये रखने एवं राज्य की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकती है।

निवारक निरोध से संबंधित बनाई गई विधियां

1. निवारक निरोध अधिनियम 1950- भारतीय संसद द्वारा पहला निवारक निरोध कानून 26 फरवरी 1950 को पारित किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारतीय प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य करने से रोकना था। इसके तहत नजरबंदी की अवधि एक वर्ष थी। यह अधिनियम 31 दिसम्बर 1969 तक अस्तित्व में रहा।
2. आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम (MISA) 1971- इस कानून के तहत संकट काल में किसी व्यक्ति को परामर्शदाता मंडल से परामर्श लिए बिना 21 माह तक नजरबंद किया जा सकता था। यह अधिनियम अप्रैल 1979 में समाप्त हो गया।
3. विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम 1974- आर्थिक क्षेत्र में इसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का दर्जा प्राप्त है। प्रारम्भ में इसके अंतर्गत नजरबंदी की अवधि एक वर्ष थी। जिसे 1984 में एक अध्यादेश द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया है।
4. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1983- इसका उद्देश्य साम्प्रदायिक और जातीय दंगों तथा देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक अन्य

गतिविधियों के उत्तरदायी व्यक्तियों को निरुद्ध करना है।

5. आवश्यक वस्तु एवं चोरबाजारी निवारण अधिनियम, 1980।
6. आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि (निरोधक) अधिनियम (टाडा) 1985- निवारक निरोध के लिए अब तक जो कानून बने उन सब में यह सर्वाधिक कठोर एवं प्रभावी था। 23 मई 1995 को इसे समाप्त कर दिया गया। समाप्त करने वाला सबसे पहला राज्य उ. प्र. था।
7. आतंकवाद निरोधक अधिनियम (पोटा) 2002- देश में आतंकवाद पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह अधिनियम लाया गया था, जिसे 21 दिसम्बर 2004 को केन्द्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के जरिये रद्द कर दिया गया।
8. गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम 2004- इसके द्वारा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया है।
9. गैर कानूनी गतिविधि निवारण (संशोधित) कानून 2009- इस कानून के दायरे में आतंकवाद और आतंकवाद के वित्त पोषण तथा अन्य तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को सहायता करने वाले कार्यों को लाया गया है। इस कानून का उद्देश्य आतंकवाद से जुड़े मामलों की त्वरित जांच, अभियोजन और सुनवाई सुनिश्चित करना है।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

- ◆ अनुच्छेद 23 (मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध)- इसके तहत मानव के दुर्व्यापार तथा बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम को प्रतिषेद्ध किया जाता है और इसका उल्लंघन अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इसी अनुच्छेद के तहत संसद ने बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 और महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1988 पारित किया।
- ◆ अनुच्छेद 24 (बालश्रम का निषेध)- इसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय कार्य में नहीं लगाया जाएगा। बाल अधिकारों के संरक्षण के उद्देश्य से 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया।
- 4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28)
- ◆ अनुच्छेद 25 (अन्तः करण की स्वतंत्रता)- इसके तहत सभी व्यक्तियों को अन्तः करण की स्वतंत्रता का और धर्म को बिना किसी बाधा के मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है।

- ◆ अनुच्छेद 26 (धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता)- इसके तहत व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत सम्पत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है।
 - ◆ अनुच्छेद 27 (धार्मिक व्यय पर कर से मुक्ति)- इसके तहत किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक सम्प्रदाय की वृद्धि के लिए व्यय किया जाता है।
 - ◆ अनुच्छेद 28- इसके तहत उन शिक्षा संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, जो पूर्णतः सरकार के खर्च पर संचालित होती है। जो शिक्षा संस्थाएं किसी ऐसे न्यास द्वारा स्थापित की गयी है, जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है, उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, भले ही ऐसी संस्था का प्रशासन राज्य करता हो।
5. **संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29, 30)**
- ◆ अनुच्छेद 29 (अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण)- भारत का कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है।
 - ◆ अनुच्छेद 30 (शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार)- इसके तहत धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्था को स्थापित करने तथा उनका प्रशासन करने का अधिकार है।
6. **संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)**
- ◆ संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा।
 - ◆ अनुच्छेद 32- संविधान के भाग 3 में प्रत्याभूत मूल अधिकारों का यदि राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाये तो राज्य के विरुद्ध उपचार प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय में तथा अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करने के अधिकार नागरिकों को प्रदान किये गये हैं। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय को निम्न रिट जारी करने का अधिकार है-
 - ◆ **बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट-** यह रिट गिरफ्तार किये गये व्यक्ति या उसके किसी संबंधी की प्रार्थना पर न्यायालय द्वारा उस प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है जो उसे गिरफ्तार किया होता है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले प्राधिकारी को यह आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करें, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर उचित विचार कर सके।
 - ◆ **परमादेश (Mandamus):** इसका शाब्दिक अर्थ, 'हम आदेश देते हैं।' यह उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन नहीं करता। इस रिट के माध्यम से उसे अपने कर्तव्य के पालन का आदेश दिया जाता है।
 - ◆ **उत्प्रेषण (Certiorari):** इसका शाब्दिक अर्थ है 'और अधिक जानकारी प्राप्त करना'। यह आदेश कानूनी क्षेत्राधिकार से सम्बंधित त्रुटियों अथवा अधीनस्थ न्यायालय से कुछ सूचना प्राप्त करने के लिए जारी किया जाता है।
 - ◆ **अधिकार पृच्छा (Que-irrantio):** जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसका कि वह वैधानिक रूप से अधिकारी नहीं है तो न्यायालय इस रिट द्वारा पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। इस प्रश्न का समुचित उत्तर देने तक वह कार्य नहीं कर सकता है।
 - ◆ **प्रतिषेध (Prohibition):** यह तब जारी किया जाता है जब कोई न्यायिक अधिकरण अथवा अर्धन्यायिक प्राधिकरण अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करता है। इसमें प्राधिकरण न्यायालय को कार्यवाही तत्काल रोकने का आदेश दिया जाता है।

मौलिक अधिकार	नीति निर्देशक तत्व
इसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में है।	इसका उल्लेख संविधान के भाग-4 में है।
यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है।	यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
यह न्यायालय में प्रवर्तनीय है।	यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है।
इसका उद्देश्य राजनैतिक प्रजातंत्र की स्थापना है।	इसका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना है।
यह नकारात्मक है।	यह सकारात्मक है।
आपत उपबंध में इन्हें रद्द किया जा सकता है।	इन्हें रद्द नहीं किया जा सकता है।
यह अधिकार नागरिक को स्वतः प्राप्त है।	यह साधन है।
इसका विषय व्यक्ति है।	इसका विषय राज्य है।

- ◆ केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार-अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30।
- ◆ नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों को प्राप्त मूल अधिकार-अनुच्छेद 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, और 28।

मौलिक अधिकारों का निलम्बन:-

- ◆ जब राष्ट्रपति देश में 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा (युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर) करता है तो अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलम्बित हो जाते हैं।
 - ◆ अन्य मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत अधिसूचना जारी कर निलम्बित कर सकता है।
 - ◆ 44वें संविधान संशोधन (1978) के अनुसार अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकार कभी भी समाप्त नहीं किए जा सकते।
 - ◆ *मूल अधिकार में संशोधन*- संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 13(2) में प्रावधान किया गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूलाधिकारों को कम करती हो। संविधान का अन्तिम निर्वचनकर्ता उच्चतम न्यायालय है। इसलिए उसके समक्ष कई वादे आये।
1. *शंकरा प्रसाद बनाम भारत संघ (1951)*- इस मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान का संशोधन विधि के अन्तर्गत नहीं आता, इसलिए संसद संविधान में संशोधन कर सकती है।
 2. *गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले (1967)* में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन की कोई शक्ति नहीं है।
 3. *24वां संशोधन (1971)* द्वारा संसद ने यह व्यवस्था दी कि संविधान के किसी भाग में संशोधन किया जा सकता है और राष्ट्रपति सभी संविधान संशोधन पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होगा।
 4. *केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य के मामले (1973)* में 24वें संविधान संशोधन की संवैधानिकता को चुनौती दी गयी। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किन्तु उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती।
 5. *42वें संविधान संशोधन (1976)* द्वारा यह व्यवस्था की गई कि संसद द्वारा किये गये संविधान संशोधन की वैधता को किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर कोई परिसीमा नहीं होगी।

6. *मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)* के निर्णय के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है। इस आधार पर न्यायालय किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है।

13. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51)

- ◆ निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना करना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।
- ◆ *अनुच्छेद 37*- न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है किन्तु यह शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।
- ◆ *अनुच्छेद 38(क)*- राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय अनुप्रमाणित होता हो, की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।
- ◆ *अनुच्छेद 38(ख)*- राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए समूहों के बीच प्रतिष्ठा सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा (44वें संशोधन द्वारा अन्तः स्थापित)।
- ◆ *अनुच्छेद 39*- राज्य द्वारा अपनी नीति के संचालन में निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (क) पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकारी हो।
 - (ख) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो, जिसमें सामूहिक हित का सर्वोच्च रूप से संसाधन हो।
 - (ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिये अहितकारी संकेन्द्रण न हो।
 - (घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो।
 - (ङ) पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े, जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल नहीं हैं।
 - (च) बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं तथा उनका शोषण तथा नैतिक एवं आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाये।
- ◆ *अनुच्छेद 39, (क)(1)*, राज्य, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायेगा।

- ◆ अनुच्छेद 40- ग्राम पंचायतों का संगठन।
 - ◆ अनुच्छेद 41- कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार।
 - ◆ अनुच्छेद 42- काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध।
 - ◆ अनुच्छेद 43- कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ाने का प्रयास।
 - ◆ अनुच्छेद 44- समान नागरिक संहिता।
 - ◆ अनुच्छेद 45- छः वर्ष से कम आयु के बालकों के प्रारम्भिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का उपबंध।
 - ◆ अनुच्छेद 46- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि।
 - ◆ अनुच्छेद 47- पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य।
 - ◆ अनुच्छेद 48- कृषि और पशुपालन का संगठन। राज्य दुधारू पशु वध को रोकेगा।
 - ◆ अनुच्छेद 48(क)- राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
 - ◆ अनुच्छेद 49- राज्य राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा।
 - ◆ अनुच्छेद 50- कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण।
 - ◆ अनुच्छेद 51- राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रयास करेगा।
1. संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
 2. स्वतंत्रता के पालन हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोये रखे और उनका पालन करें।
 3. भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखें।
 4. देश की रक्षा करें और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो।
 6. हमारी सामासिक (Composit) संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें।
 7. प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखें।
 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
 9. सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा करें तथा हिंसा से दूर रहे।
 10. व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर पढ़ने का सतत् प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले।
 11. 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के माता-पिता या संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान करें।

14. मौलिक कर्तव्य

- ◆ भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 में एक नया भाग 4-क जोड़कर अनुच्छेद 51-क के तहत मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था की गयी है।
- ◆ भारत के संविधान में इनका समावेश सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित होकर किया गया है।
- ◆ इसके तहत दस कर्तव्य जोड़े गये हैं जो कि प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है, परंतु छियासीवां संविधान संशोधन 2001 द्वारा अनुच्छेद 51-क में नया खण्ड '11' जोड़ा गया है। अतः वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है।
- ◆ मूल कर्तव्य के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि-

15. राष्ट्रपति

- ◆ भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है।
- ◆ भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अतः राष्ट्रपति नाममात्र का कार्यपालिका प्रमुख है तथा वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल (प्रधानमंत्री) में निहित होती है।
- ◆ राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख होने के कारण उसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है।
- ◆ अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद के लिए निम्न योग्यता निर्धारित करता है-
- 1. वह भारत का नागरिक हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

2. वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।
3. वह चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। किन्तु यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा।
 - ◆ राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मण्डल-अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। 70वें संशोधन के बाद संघ राज्य पाण्डिचेरी तथा दिल्ली विधान सभा के निर्वाचित सदस्य को भी इस निर्वाचन मंडल में शामिल कर लिया गया।
 - ◆ एक संसद के मतों का मूल्य
सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य
= $\frac{\text{संसद का निर्वाचित सदस्य}}{\text{राज्य की कुल जनसंख्या}} \times \frac{1}{1000}$
 - ◆ एक विधायक का मत मूल्य
= $\frac{\text{राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या}}{\text{राज्य की कुल जनसंख्या}} \times \frac{1}{1000}$
 - ◆ राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदनकर्ता होता है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार की जमानत राशि 15,000 रुपये है।
 - ◆ राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 55 के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है।
 - ◆ राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का समाधान उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन में गड़बड़ी पाये जाने पर चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जाता है, किन्तु उस कार्यकाल में राष्ट्रपति द्वारा किये गये कार्य को वैध माना जाता है।
 - ◆ 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा भंग होने की स्थिति में राष्ट्रपति चुनाव कराया जा सकता है।
 - ◆ अनुच्छेद 57 के अनुसार व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है।
 - ◆ अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुआ व्यक्ति, उच्चतम न्यायालय (भारत) के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के बरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद के कार्यपालन की शपथ लेता है कि-
1. वह अपने पद के प्रति वफादार रहेगा,
2. संविधान एवं कानून का पालन एवं रक्षा करेगा,
3. स्वयं को भारत के लोगों की सेवा व कल्याण करने में समर्पित रहेगा।
 - ◆ अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्ष होता है, किन्तु व्यवहार में कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अपने उत्तराधिकारी चुने जाने तक पद पर बने रहते हैं।
 - ◆ अपने कार्यकाल के मध्य में भी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। जिसकी सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को अविलम्ब देता है।
 - ◆ महाभियोग- अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इस बात की लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के एक चौथाई (25%) सदस्यों का हस्ताक्षर हो। इसके बाद बारी-बारी से दोनों सदनों द्वारा दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उस तिथि से राष्ट्रपति को पदत्याग करना होगा।
 - ◆ राष्ट्रपति का पद यदि किसी कारण वश रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश हट जाता है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। न्यायमूर्ति मु. हिदायतुल्लाह ऐसी ही स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किये।
 - ◆ राष्ट्रपति का पद छः महीने से अधिक रिक्त नहीं रह सकता है।
 - ◆ वेतन एवं भत्ता- राष्ट्रपति का मासिक वेतन डेढ़ लाख रुपया है उनका वेतन आयकर से मुक्त होता है।
 - ◆ राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनके वेतन तथा भत्ते में कोई भी कमी नहीं की जा सकती है।
 - ◆ राष्ट्रपति को वेतन के अतिरिक्त निःशुल्क निवास स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं।
 - ◆ राष्ट्रपति के लिए 6 लाख रुपये वार्षिक पेंशन निर्धारित की गई है।
 - ◆ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें दो बार भारत का राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ है।
 - ◆ वी. वी. गिरि एक मात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं, जिनके निर्वाचन में द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी।

- ◆ नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के एक मात्र राष्ट्रपति हैं।
- ◆ भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं।
- ◆ मुहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल में कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे।
- ◆ भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति-वी. वी. गिरि, न्यायमूर्ति मु. हिदायतुल्लाह एवं बी. डी. जत्ती।

राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य-

- ◆ **कार्यपालिका शक्तियाँ-** अनुच्छेद 73 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और वह अपनी इस शक्ति का प्रयोग केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की सहायता से करता है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति को निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है।
- 1. **मंत्रिपरिषद् का गठन-** अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति के संचालन के लिए मंत्रिपरिषद् का गठन करता है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।
- 2. **नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ-** राष्ट्रपति निम्न को नियुक्ति करता है-
 - (1) भारत का प्रधानमंत्री, (2) प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद् के अन्य सदस्यों, (3) सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों, (4) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, (5) राज्यों के राज्यपाल, (6) मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, (7) भारत के महान्यायवादी, (8) राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अन्तर्राज्यीय परिषद् के सदस्य, (9) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों, (10) वित्त आयोग के सदस्यों, (11) भाषा आयोग के सदस्यों, (12) पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों, (13) अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों, (14) भारत के राजदूतों तथा अन्य राजनयिकों आदि। राष्ट्रपति ये सभी नियुक्तियाँ मंत्रिपरिषद् की सलाह से करता है। वह अपने द्वारा नियुक्त प्राधिकारियों तथा अधिकारियों को पदमुक्त भी कर सकता है।
- 3. **आयोगों का गठन-** राष्ट्रपति के राज्यक्षेत्र में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की दशाओं का अन्वेषण करने के लिए आयोग, राज्यभाषा पर प्रतिवेदन देने के लिए आयोग, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर रिपोर्ट देने के लिए तथा राज्यों

में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी क्रियाकलापों पर रिपोर्ट देने के लिए आयोग का गठन करना शामिल है।

- 4. **सैन्य शक्ति-** राष्ट्रपति तीनों सेना का सर्वोच्च होते हैं।
- 5. **राजनयिक शक्ति-** अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रपति भारत का प्रतिनिधित्व करता है। अन्य देशों में भेजे जाने वाले राजदूत तथा उच्चायुक्त राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। साथ ही अन्य देशों से भारत में नियुक्ति पर आने वाले राजदूतों एवं उच्चयुक्तों का अनुमोदन भी राष्ट्रपति ही करते हैं। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है।
- 6. **संसद से संबंधित शक्तियाँ-** राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर होता है। इस रूप में राष्ट्रपति के कार्य-
 - ◆ राष्ट्रपति को संसद के सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने का अधिकार प्राप्त है।
 - ◆ वह लोकसभा में दो एवं राज्यसभा में 12 आंग्ल- भारतीय

राष्ट्रपति एवं राज्यपाल: क्षमादान शक्ति की तुलना

राष्ट्रपति	राज्यपाल
1. सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दण्ड अथवा दण्डादेश के सन्दर्भ में क्षमादान, प्रविलम्बन, विराम, निलम्बन, परिहार अथवा लघुकरण की शक्ति प्राप्त है।	1. ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है।
2. जहां दण्ड या दण्डादेश उन विधियों के विरुद्ध अपराध के लिए है जो ऐसे विषयों से सम्बंधित है जिन पर संघीय कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है वहाँ राष्ट्रपति को उपरोक्त शक्तियाँ प्राप्त हैं।	2. मृत्यु दण्डादेश को छोड़कर उन विधियों के विरुद्ध अपराध के लिए है जो ऐसे विषयों से सम्बंधित हैं जिन पर राज्य की कार्यपालिका को राष्ट्रपति के समान शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
3. मृत्युदण्ड के सम्बंध में उपरोक्त सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं।	मृत्यु दण्डादेश की स्थिति में क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है, परंतु निलम्बन, परिहार अथवा लघुकरण की शक्ति प्राप्त है।

सदस्यों की नियुक्ति करता है।

- ◆ वह दोनों सदनों में गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है।
- ◆ वह सदन के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकता है।
- ◆ संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। राष्ट्रपति या तो उस पर अपनी

अनुमति देता है या विधेयक पर पुनः विचार करने के लिए संसद को वापस भेजता है। यदि संसद द्वारा पुनः विधेयक पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य हैं।

7. निम्न विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता-

(1) व्यापार की स्वतंत्रता पर रोक लगाने वाले राज्य का कोई विधेयक। (2) धन विधेयक (3) भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक (4) संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक (5) जिस कराधान में राज्य का हित हो, उस कराधान पर प्रभाव डालने वाले विधेयक। (6) नये राज्य का निर्माण करने या विद्यमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक।

8. अध्यादेश जारी करने की शक्ति- अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति विश्रान्तिकाल में अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का प्रभाव केवल 6 मास तक रहता है। 6 माह के अंदर यदि दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता तो यह अध्यादेश प्रभावहीन हो जाता है।

9. राष्ट्रपति की वीटो शक्ति- संविधान द्वारा राष्ट्रपति को स्पष्टतः वीटो की शक्ति प्रदान नहीं की गयी है, किन्तु राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से जेवी वीटो का प्रयोग करता है इसके तहत 1 राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को न तो अनुमति देता है और न ही पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है। इस वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाक (संशोधन) अधिनियम के संदर्भ में किया है।

10. अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, किन्तु वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है और न्यायाधीश भी परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। और न्यायाधीश भी परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं।

11. क्षमादान की शक्ति- संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा तथा कुछ मामलों में दण्डादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्रदान की गयी है। क्षमा का तात्पर्य अपराध के दण्ड से मुक्ति प्रदान करना है। प्रतिलम्बन का तात्पर्य विधि द्वारा विहित दण्ड के स्थायी स्थगन से है। परिहार के अन्तर्गत दण्ड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दण्ड की मात्रा को कम किया जाना है लघुकरण का अर्थ दण्ड की प्रकृति में परिवर्तन करना है।

12. आपातकालीन शक्ति- राष्ट्रपति को निम्नलिखित आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गयी हैं- (1) राष्ट्रीय आपात घोषित करने

की (अनुच्छेद-352) (2) राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर वहां आपातकाल घोषित करने की (अनुच्छेद-356) और (3) वित्तीय आपात घोषित करने की (अनुच्छेद-360)।

13. राष्ट्रपति को विशेषाधिकार- राष्ट्रपति अपने पद के किसी कर्तव्य के निर्वहन तथा शक्तियों के प्रयोग में किये जाने वाले किसी कार्य के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। साथ ही जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है तब तक उसके विरुद्ध किसी दीवानी या फौजदारी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

◆ 42वें संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गयी कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करने के लिए बाध्य है, किन्तु 44वें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है।

◆ राष्ट्रपति की सुरक्षा दस्ते का अमर वाक्य है- भारत माता की जय।

16. उपराष्ट्रपति

- ◆ भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है।
- ◆ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गयी है।
- ◆ उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मण्डल के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है।
- ◆ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बंधित किसी विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जायेगा। उसका निर्णय अन्तिम होगा। न्यायालय द्वारा उसके निर्वाचन को अवैध घोषित किये जाने पर उसके पद की शक्तियों के प्रयोग में किये गये कार्य अमान्य नहीं होंगे, (अनुच्छेद- 71)।
- ◆ इस पद के उम्मीदवार में निम्नलिखित योग्यताएं होनी आवश्यक हैं-

(क) वह भारत का नागरिक हो।

(ख) उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो।

(ग) वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो।

(घ) वह कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता।

(ङ) वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधान मण्डल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता और यदि ऐसा व्यक्ति

उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जायेगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।

- ◆ उपराष्ट्रपति केवल अस्थायी रूप से ही राष्ट्रपति पद को धारण करता है। यह अवधि अधिकतम 6 माह है, जिसके अन्तर्गत नये राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए।
- ◆ उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, लेकिन डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं मोहम्मद हामिद अंसारी के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचित नहीं हुआ।
- ◆ उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है।
- ◆ उपराष्ट्रपति चूंकि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है; अतएव उसे मतदान का अधिकार नहीं है, किन्तु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है।
- ◆ उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में 1. 25 लाख रुपये मासिक है।
- ◆ जिस कालावधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है उसे राष्ट्रपति की ही शक्तियां, उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं।

कार्य एवं शक्तियाँ

- ◆ भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्य को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र अथवा अपदस्थता के कारण पद-रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तथा यदि अनुपस्थिति, अस्वस्थता अथवा किसी अन्य कारणवश राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति स्थानापन्न राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।
- ◆ उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा उसकी समस्त कार्यवाहियों का संचालन करता है।
- ◆ उपराष्ट्रपति के रूप में संविधान में उन्हें कोई कार्य नहीं सौंपे गए हैं।
- ◆ वह राज्यसभा में आचरण के नियमों का पालन करवाता है।
- ◆ किसी प्रश्न पर राज्यसभा में मत विभाजन होने की स्थिति में वह मतों की गिनती करता है तथा परिणाम की घोषणा करता है।
- ◆ राज्यसभा में यदि किसी भी प्रस्ताव अथवा प्रश्न पर विवाद उठ जाए कि उसे विचारार्थ स्वीकार किया जाए अथवा नहीं तो इसका निपटारा उपराष्ट्रपति अपने निर्णय से करता है।
- ◆ सामान्यतया वह सदन के किसी प्रस्ताव अथवा विधेयक पर मतदान नहीं करता किन्तु दोनों पक्षों को बराबर मत प्राप्त होने की स्थिति में वह निर्णायक मतदान करता है।

राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति: एक तुलना

राष्ट्रपति	उपराष्ट्रपति
1. राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का निर्माण संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है।	1. निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का निर्माण संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों (निर्वाचित+मनोनीत) द्वारा होता है। (निर्वाचक मंडल में विधान सभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं)
2. लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता धारण करना चाहिए।	2. राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता धारण करना चाहिए।
3. त्यागपत्र उपराष्ट्रपति के नाम संबोधित होता है।	3. त्यागपत्र राष्ट्रपति के नाम संबोधित होता है।
4. महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किया जा सकता है।	4. राज्यसभा द्वारा बहुमत से पारित ऐसे संकल्प द्वारा पदच्युत किया जा सकता है जिससे लोकसभा सहमत हो।
5. संघ की कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित है तथा उसका प्रयोग वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद् के परामर्श एवं सहायता से करता है।	5. उपराष्ट्रपति के रूप में संविधान में कोई कार्य वर्णित नहीं है। वह राज्य सभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति अथवा पद रिक्ति की स्थिति में वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।

- ◆ जब कभी किसी सदस्य द्वारा सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किया जाता है तो वह निर्णय देता है कि उसे विचारार्थ स्वीकार किया जाए अथवा नहीं।
- ◆ उपराष्ट्रपति कभी-कभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में भी कार्य करता है।
- ◆ जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तब वह राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है तथा उस समय वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता।

17. प्रधानमंत्री

- ◆ अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी।
- ◆ व्यवहार में राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल या सबसे बड़े दल या सबसे बड़े गठबन्धन के नेता, जो उनकी नजर में बहुमत सिद्ध कर सकेगा, को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है।
- ◆ पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है।
- ◆ मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि लोकसभा अविश्वास व्यक्त कर देती है, तो मंत्रिपरिषद् पदत्याग करने के लिए बाध्य होती है।
- ◆ यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से सम्बंधित विधेयक को रद्द कर देती है तो समस्त मंत्रिमण्डल को त्याग-पत्र देना होता है।
- ◆ प्रधानमंत्री मंत्रिमण्डल का प्रधान होता है और उसकी मृत्यु या त्यागपत्र से मंत्रिमण्डल का विघटन हो जाता है (अनुच्छेद 74(1))।
- ◆ अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री देश की वास्तविक स्थिति से राष्ट्रपति को अवगत कराता है।
- ◆ प्रधानमंत्री मंत्रिमण्डल की बैठक की अध्यक्षता करता है।
- ◆ देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं।
- ◆ प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई (1977) थे।
- ◆ सबसे लम्बे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू (1947-64) थे।
- ◆ सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी (मात्र 13 दिन) थे।

- ◆ चौधरी चरण सिंह एक मात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे।
- ◆ अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाये जाने वाले प्रधानमंत्री वी. पी. सिंह (1990) एवं अटल बिहारी वाजपेयी (1999) थे।
- ◆ लोकसभा चुनाव में एकमात्र पराजित प्रधानमंत्री उम्मीदवार श्रीमती इन्दिरा गांधी (1977) थीं।
- ◆ पी. वी. नरसिंहराव (1991) एवं एच. डी. देवगौड़ा (1996) प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे।
- ◆ ऐसे प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय राज्यसभा के सदस्य थे- श्रीमती इंदिरा गांधी (1996) इन्द्रकुमार गुजराल (1997) एवं मनमोहन सिंह (2004 और 2009)।
- ◆ जवाहरलाल नेहरू, लालबहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी तीनों ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जिनकी मृत्यु कार्यकाल में हुई थी।
- ◆ जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मनमोहन सिंह चौथे प्रधानमंत्री हैं, जो दूसरी बार इस पर आसीन हुए हैं।

प्रधानमंत्री के शक्तियाँ एवं कार्य

- ◆ प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति एवं पदच्युति की अनुशंसा राष्ट्रपति को की जाती है।
- ◆ लोकसभा में बहुमत दल के नेता होने के कारण वह लोकसभा में शासन की प्रमुख नीतियों एवं कार्यों की घोषणा करता है तथा लोकसभा के सदस्यों द्वारा गंभीर विषयों से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देता है।
- ◆ देश की वित्त व्यवस्था एवं वार्षिक बजट निर्धारित करने में भी प्रधानमंत्री की भूमिका होती है।
- ◆ शासकीय विधेयकों को प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार तैयार किया जाता है।
- ◆ अपने दल में अनुशासन एवं एकता कायम रखने तथा दल की नीतियों को क्रियान्वित कराने हेतु प्रधानमंत्री दलीय सचेतक के माध्यम से आदेश जारी करता है।
- ◆ वह किसी भी समय लोकसभा के विघटन की अनुशंसा राष्ट्रपति से कर सकता है।
- ◆ उसके द्वारा मंत्रियों के बीच मंत्रालयों का आवंटन तथा पुनः परिवर्तन किया जाता है।
- ◆ प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा उसके निर्णयों को प्रभावित करता है।
- ◆ संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार वह प्रशासन तथा विधान संबंधी सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है।

प्रधानमंत्री कार्यालय

- ◆ प्रधानमंत्री को शासन कार्यों में स्टॉक कार्य प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थापना की गई जो आगे चलकर प्रधानमंत्री सचिवालय में परिणत हो गया। प्रधानमंत्री कार्यालय को संक्षिप्त एवं व्यावहारिक रूप में पीएमओ (Prime Minister Office) के नाम से अभिहित किया जाता है।
- ◆ भारत में प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थापना 15 अगस्त, 1947 को भारत के स्वतंत्रता के साथ ही की गई थी। केंद्रीय सचिवालय संगठनों में प्रधानमंत्री कार्यालय (सचिवालय) सबसे छोटा है। PMO का शीर्षस्थ अधिकारी मुख्य सचिव कहलाता है।

प्रधानमंत्री कार्यालय के कार्य

- ◆ प्रधानमंत्री के मुख्य कार्यपालक के रूप में सभी उत्तरदायित्वों के निर्वहन में सहायता करना।
- ◆ प्रधानमंत्री के केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों से संपर्क एवं विभिन्न उत्तरदायित्व संबंधी क्रियाकलापों को निभाने में सहायता करना।
- ◆ प्रधानमंत्री को योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में उत्तरदायित्व के निर्वहन में सहायता करना।
- ◆ प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जनसंपर्क (प्रेस तथा जनता से) स्थापित करना।
- ◆ उन सभी संदर्भों में, जिनका संबंध प्रधानमंत्री के साथ कार्य-व्यापार के नियमों के अंतर्गत आता है एवं प्रधानमंत्री के पास है, को देखना।
- ◆ प्रधानमंत्री को भेजे गए मामलों के परीक्षण में सहायता देना।
- ◆ उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त भूकंप, बाढ़ आदि संकटों के समय प्रधानमंत्री कोष से राज्यों/व्यक्तियों को जो सहायता पहुँचाई जाती है तथा अन्य प्रकार के मदों का लेखा-जोखा रखना।

कैबिनेट सचिवालय

- ◆ कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। यह केंद्रीय प्रशासन की धुरी है।
- ◆ मंत्रिमंडल सचिव कैबिनेट सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है।
- ◆ कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। वह वरिष्ठतम लोक सेवक होने के नाते भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठतम सदस्य होता है।
- ◆ भारत सरकार के (कार्य आवंटन) नियम, 1961 में कैबिनेट सचिवालय का स्थान नियमों की पहली सूची में है। इसके

अंतर्गत कैबिनेट सचिवालय को आवंटित विषय हैं।-(1) मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल समितियों को सचिवालय सहायता तथा (2) कार्यनियम।

- ◆ मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन -(1) मंत्रिमंडलीय मामलों से संबंध विभाग (2) संविर्ग विभाग (3) सांख्यिकी विभाग (4) इलेक्ट्रॉनिक विभाग होते हैं।
- ◆ कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार (कार्य निष्पादन) नियम, 1961 और भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है।
- ◆ उपरोक्त नियमों का पालन करते हुए कैबिनेट सचिवालय सरकार के मंत्रालय में सुचारू रूप से कार्य संचालन की सुविधा प्रदान करता है। विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए और मंत्रालयों के बीच मतभेद दूर करते हुए यह सरकार को निर्णय लेने में मदद करता है।
- ◆ सचिवालय मासिक सार लेखों तथा संक्षिप्त टिप्पणियों द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालयों की गतिविधियों से परिचित करवाता है।
- ◆ कैबिनेट सचिवालय संसद में व्यवस्थापन प्रस्ताव का प्रारूप, राष्ट्रपति के संसद में दिए जाने वाले अभिभाषण और संदेशों को तैयार करता है।
- ◆ यह राज्य या संघीय स्तर पर प्रशासनिक विलंब या कठिनाइयों को दूर करने संबंधी सुझाव देता है एवं सार्वजनिक जांच समितियों की नियुक्ति तथा ऐसी समितियों के प्रतिवेदनों पर विचार भी करता है।
- ◆ **उपप्रधानमंत्री-** भारतीय संविधान में उपप्रधानमंत्री की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद कई उप-प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति हुई, ये हैं- सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवनराम, चौधरी चरण सिंह, वाई. वी. चव्हाण, चौधरी देवीलाल (दो बार), एवं लालकृष्ण आडवाणी।
- ◆ **संघीय मंत्रिपरिषद-** मंत्रिपरिषद तीन स्तरीय होता है- कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, एवं उपमंत्री।
- ◆ कैबिनेट मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता है तथा राज्यमंत्री एवं उपमंत्री उसके सहायक होते हैं। मंत्रिमंडल का गठन कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से होता है।
- ◆ **मंत्रियों की संख्या-** 91वां संविधान संशोधन (2004) के अनुसार मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सीटों के 15% से अधिक नहीं हो सकती है।
- ◆ संघ मंत्रालय में अनेक विभाग हैं। 15 अगस्त 1947 को संघ में मंत्रालयों को संख्या 18 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 57 हो गई है।

18. संसद

- ◆ अनुच्छेद 79 के अनुसार सदन राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर बनता है।
- ◆ संसद के उच्च सदन को राज्यसभा एवं निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं।
- ◆ **राज्यसभा**- इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया एवं इसकी प्रथम बैठक 13 मई, 1952 को हुई। राज्यसभा मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है।
- ◆ अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, जिसमें 233 का चुनाव राज्यों से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीति किये जाते हैं।
- ◆ इन सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है।
- ◆ राज्यसभा के सदस्य के लिए जरूरी है कि उसका नाम उस राज्य के किसी निर्वाचन क्षेत्र की सूची से हो, जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, किन्तु नवीनतम संशोधन के द्वारा यह अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है।
- ◆ राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जो कभी भंग नहीं होता। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, किन्तु इसके एक तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
- ◆ राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है।
- ◆ भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
- ◆ राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम दो बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। राज्यसभा की अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक में छः माह से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए।

- ◆ राज्यसभा धन एवं वित्त विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है और न ही संशोधन कर सकती है। सिर्फ सुझाव दे सकती है। सुझाव मानना या न मानना लोकसभा पर निर्भर करता है। धन विधेयक को राज्यसभा में भेजने के बाद 14 दिन के अन्दर न लौटाने की स्थिति में भी पारित माना जाता है।
- ◆ अनुच्छेद 249 के अनुसार केवल राज्यसभा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले कुल सदस्य के दो तिहाई मत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित कर सकता है। राज्यसभा अब तक इस अधिकार का प्रयोग 1952 एवं 1986 में दो बार किया है।
- ◆ अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा सृजन कर सकता है।

लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व

राज्य	लोकसभा	राज्यसभा	राज्य	लोकसभा	राज्यसभा
आंध्र प्रदेश	25	11	हरियाणा	10	5
असोम	14	7	नागालैण्ड	1	1
बिहार	40	16	मेघालय	2	1
गुजरात	26	11	मणिपुर	2	1
जम्मू-कश्मीर	6	4	त्रिपुरा	2	1
केरल	20	9	सिक्किम	1	1
मध्य प्रदेश	29	11	अरुणाचल प्रदेश	2	1
महाराष्ट्र	48	19	गोवा	2	1
कर्नाटक	28	12	मिजोरम	1	1
ओडिसा	21	10	छत्तीसगढ़	11	5
पंजाब	13	7	उत्तराखण्ड	5	3
राजस्थान	25	10	झारखंड	14	6
तमिलनाडु	39	18	तेलंगाना	17	7
उत्तर प्रदेश	80	31	संघीय क्षेत्र		
हिमाचल	4	3	दिल्ली	7	3
पश्चिम बंगाल	42	16	पाण्डिचेरी	1	1
			कुल	543	233

- ◆ वैसे राज्य जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है- चण्डीगढ़, अंडमान-निकोबार, दमन व दीव, दादरा-नगर हवेली एवं लक्षद्वीप है।
 - ◆ **लोकसभा-** प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी।
 - ◆ मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गयी थी, परंतु 31वें संशोधन (1974) द्वारा इसकी संख्या बढ़कर 547 और गोवा-दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा इसकी संख्या बढ़ाकर 552 कर दी गयी। इनमें 530 का निर्वाचन राज्य क्षेत्र से, 20 का निर्वाचन संघ राज्य क्षेत्र से और दो का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन होता था। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। इनमें 530 सदस्यों का निर्वाचन राज्य क्षेत्रों से, 13 सदस्यों का निर्वाचन संघ राज्य क्षेत्र से और 2 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा होता है।
 - ◆ 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार 2026 तक लोकसभा एवं विधान सभाओं की सीटों की संख्या यथावत रहेगी।
 - ◆ लोकसभा सदस्यों का चुनाव वयस्क (18 वर्ष, 61वें संविधान संशोधन) मतदाता द्वारा गुप्त विधि से होता है।
 - ◆ लोकसभा एवं विधान सभाओं में सीटों के आबंटन एवं क्षेत्रों की सीमा के निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। अब तक चार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। पहला 1952, दूसरा 1962, तीसरा 1973 एवं चौथा 2002 (अध्यक्ष न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह)।
 - ◆ लोकसभा में सामान्य/आम निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 410, अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 85 और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 48 है।
 - ◆ चौथा परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। जिसकी मंजूरी केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 10 जनवरी 2008 को मिली।
 - ◆ संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा एवं राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनः समायोजन का कार्य संसद द्वारा विहित अधिकारी द्वारा किये जाने का प्रावधान है। किन्तु तृतीय परिसीमन के बाद यह अनियमित हो गया, कारण 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 82 में संशोधन कर वर्ष 2000 तक इस पर रोक लगा दिया गया।
 - ◆ परिसीमन आयोग में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्य व केन्द्रशासित प्रदेशों के निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के सदस्य हैं।
 - ◆ वैसे राज्य जिनका परिसीमन नहीं हो सका-असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं झारखंड। पूर्वोत्तर के चारों राज्यों में स्थानीय विरोध एवं अदालतों के स्थगन आदेश के कारण परिसीमन नहीं हो सका, जबकि झारखंड में सरकारी नीति के विपरीत आरक्षित सीटें कम होने के कारण यह परिसीमन पूरा नहीं हो सका।
 - ◆ लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किन्तु प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति कार्यकाल के मध्य में भी संसद भंग कर सकता है। ऐसी घटना अब तक आठ बार हो चुकी है- 1970, 1977, 1979, 1984, 1989, 1991, 1997 तथा अप्रैल 1999।
 - ◆ आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल दो बार एक-एक वर्ष के लिए बढ़ा सकता है, किन्तु आपात काल की समाप्ति के बाद लोकसभा का कार्यकाल 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता।
 - ◆ कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम (32 वर्ष) का रहा है।
 - ◆ लोकसभा एवं राज्यसभा की गणपूर्ति (कोरम) कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होती है।
- लोकसभा के सदस्यों के लिए अनिवार्य योग्यताएँ**
- ◆ वह भारत का नागरिक हो और 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
 - ◆ वह पागल या दिवालिया घोषित न हो।
 - ◆ वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद न धारण करता हो।
- लोकसभा के पदाधिकारी**
- ◆ **अस्थायी (प्रोटेम) अध्यक्ष-** आम चुनाव के पश्चात् जब लोकसभा पहली बार बैठक के लिए आमंत्रित की जाती है तो राष्ट्रपति लोकसभा के किसी वरिष्ठतम सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करता है, जिससे कि नये सदस्य शपथ आदि ले सकें और अपना अध्यक्ष चुन सकें।
 - ◆ अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है, जिसका कार्यकाल लोकसभा के जीवन पर्यन्त होता है। किन्तु इससे पूर्व भी वे निम्न विधि द्वारा पद से हट सकते हैं-
 1. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को त्याग-पत्र देकर।
 2. लोकसभा के तत्कालीन उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है।

ऐसे संकल्प प्रस्तावित करने के आशय की सूचना कम से कम उन्हें 14 दिन पूर्व देनी होगी। यह प्रस्ताव पहली बार 18 दिसम्बर 1954 को लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध लाया गया था, किन्तु वह पारित नहीं हो सका था।

- ◆ लोकसभा का अध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है।
- ◆ लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता।
- ◆ लोकसभा की अध्यक्षता अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा 6 वरिष्ठ सदस्यों के पैनल में से कोई एक व्यक्ति करता है।
- ◆ मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं।

लोकसभा अध्यक्ष का कार्य एवं शक्तियाँ

1. लोक सभा के भीतर व्यवस्था बनाये रखने की प्रक्रिया के नियमों का निर्वहन करने की अंतिम शक्ति अध्यक्ष को है।
 2. उसे विभिन्न विधेयक व प्रस्ताव पर मतदान करवाना व परिणाम घोषित करना तथा मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है।
 3. लोकसभा की बैठक स्थगित या निलंबित करने का अधिकार अध्यक्ष को है।
 4. दल-बदल विरोधी अधिनियम पालन करवाने का दायित्व भी उसी पर होता है।
 5. वह सदन के सदस्यों के अधिकारों का संरक्षक होता है।
 6. सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उसे नियमित करना व नियम के विरुद्ध घोषित करना अध्यक्ष का कार्य है।
 7. कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होता है। इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
 8. लोकसभा एवं राष्ट्रपति के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है।
 9. वह विदेश जाने वाले संसदीय शिष्टमंडल के लिए सदस्यों का मनोनयन करता है।
- ◆ लोकसभा अध्यक्ष का वेतन संचित निधि से मिलता है।
 - ◆ लोकसभा में विपक्ष के नेता को कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं।

◆ लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर तथा प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयनम अययंगर थे।

◆ किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अन्तिम विनिश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं।

◆ संसद की कार्यवाही अंग्रेजी या हिन्दी में होगी लेकिन लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति किसी सदस्य को मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं।

◆ यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए लगातार सदन से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है।

◆ संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या बाद 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गयी है गिरफ्तारी से यह मुक्ति केवल सिविल मामलों में है। आपराधिक मामलों या निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार से छूट नहीं है।

◆ 25 नवम्बर 2001 को सर्वदलीय राष्ट्रीय सम्मेलन में संसद एवं विधानसभाओं की मर्यादा बनाये रखने तथा इन सदनों में अनुशासनहीनता को रोकने के उद्देश्य से एक आचार संहिता का निर्माण किया गया।

◆ **संयुक्त अधिवेशन-** अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा निम्न परिस्थितियों में बुलाया जा सकता है- (1) विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद यदि दूसरा सदन अस्वीकार कर दे। (2) विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदन अन्तिम रूप से असहमत हों। (3) एक सदन से पारित विधेयक को यदि दूसरा सदन 6 माह से अधिक दिनों तक रोक ले।

◆ धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है।

◆ अब तक तीन बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। ये हैं- दहेज प्रतिबंध विधेयक 1959, बैंकिंग सेवा आयोग 1977 तथा आतंकवाद निवारक अध्यादेश (पोटा) 2002।

संसदीय समितियाँ

संसद के कार्यों में विविधता तो है, साथ ही उसके पास काम की अधिकता भी रहती है। चूंकि उसके पास समय बहुत सीमित होता है, इसीलिए उसके समक्ष प्रस्तुत सभी विधायी या अन्य मामलों

पर गहन विचार नहीं हो सकता है। अतः इसका बहुत-सा कार्य समितियों द्वारा किया जाता है। संसद के दोनों सदनों की समितियों की संरचना कुछ अपवादों को छोड़कर एक जैसी होती है। इन समितियों में नियुक्ति, कार्यकाल, कार्य एवं कार्य संचालन की प्रक्रिया कुल मिलाकर करीब एक जैसी ही है और यह संविधान के अनुच्छेद 118(1) के अंतर्गत दोनों सदनों द्वारा निर्मित नियमों के तहत अधिनियमित होती है। सामान्यतः ये समितियाँ दो प्रकार की होती हैं-स्थायी और तदर्थ समितियाँ। स्थायी समितियाँ प्रतिवर्ष या समय-समय पर निर्वाचित या नियुक्त की जाती हैं और इनका कार्य कमोबेश निरंतर चलता रहता है। तदर्थ समितियों की नियुक्ति जरूरत पड़ने पर की जाती है तथा अपना काम पूरा कर लेने और अपनी रिपोर्ट पेश कर देने के बाद वे समाप्त हो जाती हैं।

स्थायी समितियाँ: लोकसभा की स्थायी समितियों में तीन वित्तीय, यानी लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रम समिति का विशिष्ट स्थान है और ये सरकारी खर्च और निष्पादन पर लगातार नजर रखती हैं। लोक लेखा समिति तथा सरकारी उपक्रम समिति में राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं, लेकिन प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं।

प्राक्कलन समिति: यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्यता बरती जा सकती है तथा संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या-क्या सुधार किए जा सकते हैं। यह इस बात की भी जांच करती है कि धन प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप ही व्यय किया गया है या नहीं। समिति इस बारे में भी जांच करती है कि धन प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप ही व्यय किया गया है या नहीं। समिति इस बारे में भी सुझाव देती है कि प्राक्कलन को संसद में किसी रूप में पेश किया जाए। लोकलेखा समिति भारत सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखा और लेखा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी धन संसद के निर्णयों के अनुरूप ही खर्च हो। यह अपव्यय, हानि और निरर्थक व्यय के मामलों की ओर ध्यान दिलाती है। सरकारी उपक्रम समिति नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की, यदि कोई रिपोर्ट हो, तो उसकी जांच करती है। वह इस बात की भी जांच करती है कि ये सरकारी उपक्रम कुशलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं या नहीं तथा इनका प्रबंध ठोस व्यापारिक सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रक्रियाओं के अनुसार किया जा रहा है या नहीं।

इन तीन वित्तीय समितियों के अलावा, लोकसभा की नियमों के बारे में समिति ने विभागों से संबंधित 17 स्थायी समितियाँ गठित करने की सिफारिश की थी। इसके अनुसार 8 अप्रैल, 1993 को इन 17 समितियों को गठन किया गया। जुलाई 2004 में नियमों में संशोधन किया गया, ताकि ऐसी ही सात और समितियाँ गठित की

जा सकें। इस प्रकार से इन समितियों की संख्या 24 हो गई है। इन समितियों के निम्नलिखित कार्य हैं:- (क) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अनुदानों की मांग पर विचार करना और उसके बारे में सदन को सूचित करना; (ख) लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा समिति के पास भेजे गए ऐसे विधेयकों की जांच पड़ताल करना, और जैसा भी मामला हो, उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करना; (ग) मंत्रालयों और विभागों की वार्षिक रिपोर्टों पर विचार करना तथा उसकी रिपोर्ट तैयार करना; और (घ) सदन में प्रस्तुत नीति संबंधी दस्तावेज, यदि लोकसभा के अध्यक्ष राज्यसभा द्वारा समिति के पास भेजे गए हैं, उन पर विचार करना और जैसा भी हो, उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करना।

प्रत्येक सदन में अन्य स्थायी समितियाँ, उनके कार्य के अनुसार इस प्रकार विभाजित हैं- (1) **जांच समितियाँ**-(क) **याचिका समिति:** विधेयकों और जनहित संबंधी मामलों पर प्रस्तुत याचिकाओं की जांच करती है और केंद्रीय विषयों पर प्राप्त प्रतिवेदनों पर विचार करती है; और (ख) **विशेषाधिकार समिति:** सदन या अध्यक्ष/सभापति द्वारा भेजे गए विशेषाधिकार के किसी मामले की जांच करती है; (2) **समीक्षा समितियाँ**-(क) सरकारी आश्वासनों से संबंधी समिति : मंत्रियों द्वारा सदन में दिए गए आश्वासनों, वादों एवं संकल्पों पर उनके कार्यान्वित होने तक नजर रखती है; (ख) अधीनस्थ विधि निर्माण समिति: इस बात की जांच करती है कि क्या संविधान द्वारा प्रदत्त विनियमों, नियमों, उप-नियमों तथा प्रदत्त शक्तियों का प्राधिकारियों द्वारा उचित उपयोग किया जा रहा है; (ग) पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी: वैधानिक अधिसूचनाओं और आदेशों के अलावा, जो कि अधीनस्थ विधान संबंधी के कार्य क्षेत्र में आते हैं, मंत्रियों द्वारा सदन के पटल पर रखे गए सभी कागजातों की जांच करती है और देखती है कि संविधान, अधिनियम, नियम या विनियम के अंतर्गत कागजात प्रस्तुत करते हुए उनकी व्यवस्थाओं का पालन हुआ है या नहीं; (3) **सदन के दैनिक कार्य से संबंधित समितियाँ**-(क) कार्य मंत्रणा समिति: सदन में पेश किए जाने वाले सरकारी एवं अन्य कार्य के लिए समय-निर्धारण की सिफारिश करती है; (ख) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा प्रस्तावों संबंधी लोकसभा की समिति: निजी सदस्यों द्वारा पेश गैर-सरकारी विधेयकों का वर्गीकरण एवं उनके लिए समय का निर्धारण करती है, निजी सदस्यों द्वारा पेश प्रस्तावों पर बहस के लिए समय का निर्धारण करती है और लोकसभा में निजी सदस्यों द्वारा पेश किए जाने से पूर्व संविधान संशोधन विधेयकों की जांच करती है। राज्यसभा में इस तरह की समिति नहीं होती। राज्यसभा की कार्यमंत्रणा समिति की गैर-सरकारी विधेयकों एवं प्रस्तावों के चरण या चरणों में बहस के लिए समय के निर्धारण की सिफारिश करती है। (ग) नियम समिति: सदन में कार्यवधि और कार्यवाही के संचालन से संबंधित मामलों पर विचार करती है और नियमों में

संसद की समितियाँ				
समिति	कुल सदस्य संख्या	लोक सभा से	राज्य सभा से	कार्य
लोक लेखा समिति	22	15	7	विभिन्न मंत्रालयों के व्यय और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श करना।
प्राक्कलन समिति	30	30	-	सरकार को वित्तीय नीतियों के संबंध में सुझाव देना है।
सार्वजनिक उपक्रम समिति	15	10	5	सीएजी के प्रतिवेदनों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के लेखाकार प्रतिवेदनों की समीक्षा और संवीक्षा करना है।
विशेषाधिकार समिति	15	10	5	संसद के किसी सदन या अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार उल्लंघन से संबंधित प्रेषित मामलों का परीक्षण करना है।
प्रवर समिति *	-	30	30	विधेयकों की समीक्षा करना।
संयुक्त प्रवर समिति	45	30	15	सरकारी विधेयकों का समय निश्चित करने हेतु सिफारिश करना।
याचिका समिति *	-	15	10	प्रत्येक याचिका की जांच करना।
नियम समिति *	-	15	16	सभा के प्रक्रिया व कार्य-संचालन के मामलों पर विचार करना।
नोट:-* दोनों सदनों के लिए पृथक-पृथक				

संशोधन या संयोजन की सिफारिश करती है, और (घ) सदन की बैठकों में अनुपस्थित सदस्यों संबंधी लोकसभा की समिति: सदन के सदस्यों की बैठकों से अनुपस्थिति या छुट्टी के आवेदनों पर विचार करती है। राज्यसभा में इस प्रकार की कोई समिति नहीं है। सदस्यों की छुट्टी या अनुपस्थिति के आवेदनों पर सदन स्वयं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के विचार करता है; (4) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की समिति- इसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। यह केंद्र सरकार के कार्यक्षेत्र में आने वाली अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी मामलों पर विचार करती है और इस बात पर नजर रखती है कि उन्हें संवैधानिक संरक्षण दिए गए हैं, वे ठीक से कार्यान्वित हो रहे हैं या नहीं, (5) सदस्यों को सुविधाएँ

प्रदान करने संबंधी समितियाँ- (क) सामान्य प्रयोजन संबंधी: समिति सदन से संबंधित ऐसे मामलों पर विचार करती है, जो किसी अन्य संसदीय समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते तथा अध्यक्ष/सभापति को इस बारे में सलाह देती है और (ख) आवास समिति: सदस्यों के लिए आवास तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करती है; (6) संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति- यह संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन अधिनियम, 1954 के अंतर्गत गठित की गई है। संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन संबंधी नियम बनाने के अतिरिक्त, यह उनके चिकित्सा, आवास, टेलीफोन, डाक, निर्वाचन क्षेत्र एवं सचिवालय संबंधी सुविधाओं के संबंध में नियम बनाती है; (7) लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति- यह केंद्र, राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा नियुक्त समितियों एवं अन्य

निकायों की संरचना और स्वरूप की जांच करती है, और यह किसी भी सदन की सदस्यता के लिए किसी व्यक्ति को योग्य सिफारिश करती है कि कौन-कौन से पद ऐसे हों, जो संसद के अथवा अयोग्य बनाते हैं; (8) पुस्तकालय समिति- इसमें दोनों

राज्यसभा एवं लोकसभा: एक तुलना			
क्र.	राज्यसभा	क्र.	लोकसभा
1.	राज्यसभा संसद का उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन है। इसे वरिष्ठ सदन भी कहा जाता है।	1.	लोकसभा संसद का निम्न सदन अथवा प्रथम सदन है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है।
2.	राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 है। परंतु वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है।	2.	लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में सदस्यों की संख्या 545 है।
3.	राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है। यह राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है।	3.	यह समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है।
4.	राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है।	4.	राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है।
5.	राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जिसका विघटन नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 65 वर्षों का होता है। प्रत्येक दो वर्ष बाद एक-तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं तथा उतने ही नवनिर्वाचित भी हो जाते हैं।	5.	लोकसभा स्थायी सदन नहीं है तथा इसका कार्यकाल पाँच वर्षों का होता है। कार्यकाल पूर्ण होने के पहले भी राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर इसे भंग किया जा सकता है।
6.	राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर खुली मतदान प्रक्रिया द्वारा होता है।	6.	लोकसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान प्रक्रिया द्वारा होता है।
7.	धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते।	7.	धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
8.	मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है।	8.	मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
9.	राज्यसभा द्वारा राज्य सूची के किसी विषय को राज्यसभा में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है।	9.	लोकसभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है।
10.	राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार प्राप्त है।	10.	लोकसभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है।
11.	उपराष्ट्रपति को हटाने हेतु प्रस्ताव का आरंभ राज्यसभा में ही किया जाता है।	11.	लोकसभा, राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव का अनुमोदन करती है।
12.	लोकसभा के भंग होने की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन राज्यसभा द्वारा किया जाता है।	12.	लोकसभा को इस प्रकार के विशेषाधिकार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्यसभा विघटित नहीं होती है।
13.	राज्यसभा का सभापति इसका सदस्य नहीं होता। भारत का उपराष्ट्रपति ही इसका पदेन सभापति होता है। उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, जिनका निर्वाचन सदस्यों द्वारा किया जाता है।	13.	लोकसभा के अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं तथा इनका निर्वाचन सदस्यों द्वारा किया जाता है।

सदनों के सदस्य होते हैं। यह संसद के पुस्तकालय से संबंधित मामलों पर विचार करती है, और (9) महिला अधिकारिता समिति- 29 अप्रैल, 1997 को महिलाओं के अधिकारों के बारे में दोनों सदनों के सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया। इसका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ, सभी क्षेत्रों में महिलाओं को गरिमा और समानता प्रदान करता है। (10) 4 मार्च, 1997 को राज्यसभा की आचार संहिता समिति गठित की गई। लोकसभा की आचार-संहिता संबंधी समिति 16 मई, 2000 को गठित की गई।

तदर्थ समितियाँ: इस तरह की समितियों को मोटे रूप में दो शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है—(क) संसद के दोनों सदनों द्वारा अथवा/सभापति किसी विचाराधीन प्रस्ताव के स्वीकृति किए जाने या कोई विशिष्ट समय-समय पर गठित समितियाँ (उदाहरण के लिए—संसदीय परिसर में खाद्य प्रबंधन पर समिति, संसदीय परिसर में राष्ट्रीय नेताओं और सांसदों के चित्रों/मूर्तियों की स्थापना पर समिति, एमपीलेड्स पर समिति और रेलवे कनवेंशन समिति, संसदीय परिसर की सुरक्षा संबंधी संयुक्त (ख) विशेष विधेयकों पर विचार करने एवं रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त प्रवर एवं संयुक्त समितियाँ। जहां तक विधेयकों से संबंधित सवाल है, ये समितियाँ अन्य तदर्थ समितियों से भिन्न हैं और इनके द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख अध्यक्ष/सभापति के निर्देश तथा प्रक्रिया संबंधी नियमों में किया जाता है।

संसद में विपक्ष के नेता

संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष के नेता की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेताओं को वैधानिक मान्यता दी गई है। पहली नवंबर, 1977 से लागू एक पृथक कानून के अंतर्गत वेतन तथा कुछ अन्य उपयुक्त सुविधाएँ दी जाती हैं।

19. (अनुच्छेद 368) संविधान संशोधन प्रक्रिया

◆ यह तीन प्रकार से होता है—

(1) साधारण विधि द्वारा संशोधन- संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। इसके अन्तर्गत राष्ट्रपति की पूर्वानुमति मिलने पर निम्न संशोधन किये जा सकते हैं—

- नये राज्यों का निर्माण, राज्य क्षेत्रों, सीमा एवं नाम में परिवर्तन।
- संविधान की नागरिकता संबंधी, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों की प्रशासन संबंधी तथा केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं।

(2) विशेष बहुमत द्वारा संशोधन- यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाय तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संशोधन का अंग

बन जाता है।

- ◆ न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों एवं शक्तियों जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रक्रिया के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है।
- (3) विशेष बहुमत एवं कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों की स्वीकृति से संशोधन- उदाहरण:-
 - राष्ट्रपति का निर्वाचन (अनु. 54)
 - राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रणाली (अनु. 55)
 - संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
 - राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
 - संघीय न्यायपालिका
 - राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय
 - संघ एवं राज्यों में विधायी संबंध
 - सातवीं अनुसूची का विषय
 - संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व
 - संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध।

20. न्यायपालिका

सर्वोच्च न्यायालय (गठन अनुच्छेद-124)


- ◆ भारत की न्यायपालिका एकीकृत प्रकार की है, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। इन्हें अन्तिम न्याय निर्णयन का अधिकार प्राप्त है। यह दिल्ली में स्थित है।
- ◆ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन अधिकारिता, शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त हैं
- ◆ सर्वोच्च न्यायालय में कुल 31 न्यायाधीश (एक मुख्य न्यायाधीश एवं 30 अन्य न्यायाधीश) होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- ◆ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है।
- ◆ राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करता है, जिनसे परामर्श करना आवश्यक समझे। किन्तु 1993 के एक निर्णय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की सलाह को वरीयता प्रदान कर दी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में मुख्य न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श करके ही राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश भेजनी होती है।

- ◆ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है।
- ◆ न्यायाधीश कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्याग-पत्र सौंप सकता है।
- ◆ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित समावेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किये जाने पर राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। उन्हें पद से हटाने के दो आधार हैं- साबित कदाचार एवं असमर्थता। (अनुच्छेद 124 (4))
- ◆ उच्चतम न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश आर. रामास्वामी को पद से हटाने का प्रयास किया गया था, किन्तु कांग्रेस द्वारा मतदान में भाग न लेने के कारण प्रस्ताव पास नहीं हो सका था।
- ◆ अब तक उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के पद पर सबसे कम समय तक के. एन. सिंह (मात्र 17 दिन) और सबसे अधिक दिन तक वाई. वी. चन्द्रचूड (7 वर्ष 170 दिन) रहे हैं।
- ◆ मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है। अब तक हैदराबाद (1950) और श्रीनगर (1954) में इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।
- ◆ अनुच्छेद 126 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के पद रिक्त की स्थिति में राष्ट्रपति कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है।
- ◆ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकता है।
- ◆ वह किसी उच्चतम न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो।
- ◆ वह किसी उच्च न्यायालय अथवा दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो।
- ◆ राष्ट्रपति की राय में लब्धप्रतिष्ठ विधिवेत्ता हो।

उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार

1. **प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद-131)-** इसके अन्तर्गत ऐसे मामले आते हैं, जिनकी सुनवाई करने का अधिकार किसी उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालयों को नहीं होता है। ये हैं- (1) भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में। (2) भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्यों और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों में। (3) दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में, जिनमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो।

न्यायालयों का सोपान-क्रम



सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता

- ◆ वह भारत का नागरिक हो।
- ◆ वह किसी उच्चतम न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो।

- ◆ प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा, जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है।
- 2. **अपीलीय क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद-132)**- देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। इसके अन्तर्गत निम्न प्रकरण आते हैं:- 1. सवैधानिक मामले, 2. दीवानी मामले, 3. अपराधिक मामले, 4. विशेष इजाजत से अपील।
- 3. **परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार**- अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति न्यायाधीश से परामर्श मांग सकता है। किन्तु यह परामर्श मांगने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है और न ही न्यायाधीश परामर्श देने के लिए बाध्य है। रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के मामले में मुख्य न्यायाधीश एन.एन. वेकट चेलैया की खंडपीठ ने राष्ट्रपति द्वारा मांगी राय का कोई जवाब देने से इंकार कर दिया।
- 4. **पुनर्विलोकन क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 137)**- उच्चतम न्यायालय को संसद या विधान मंडलों द्वारा पारित किसी अधिनियम तथा कार्यपालिका द्वारा दिये गये किसी आदेश की वैधानिकता का पुनर्विलोकन करने का अधिकार है।
- 5. **अन्तरण का क्षेत्राधिकार**- (1) वह उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों को अपने यहां अन्तरित कर सकता है। (2) वह किसी उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों को दूसरे उच्च न्यायालय में अन्तरित कर सकता है।
- 6. **अभिलेख न्यायालय (अनुच्छेद 129) सामान्यतः** अभिलेख न्यायालय से आशय उस उच्च न्यायालय से है, जिसके निर्णय सदा के लिए लेखबद्ध होते हैं और जिसके अभिलेखों का प्रमाणित मूल्य होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिनमें अवमानना के लिए दण्ड देना भी सम्मिलित है।
- 7. सर्वोच्च न्यायालय संविधान एवं मौलिक अधिकार का रक्षक है।

उच्च न्यायालय

- ◆ अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। (अनुच्छेद 231)।
- ◆ वर्तमान में भारत में 21 उच्च न्यायालय हैं।
- ◆ प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश एवं

अन्य न्यायाधीशों से मिलाकर किया जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। भिन्न-भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग-अलग होती है।

- ◆ गुवाहाटी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम (मात्र 3) और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक (58) है।
- ◆ संघ राज्य क्षेत्रों में केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय स्थापित है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं (अनुच्छेद 217)

1. भारत का नागरिक हो और 62 वर्ष की आयु पूरी न किया हो,
 2. कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो,
 3. कम से कम दस वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो।
- ◆ अनुच्छेद 219 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य, जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है, का राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता है।
 - ◆ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष है, किन्तु वह अपने पद से किसी भी समय राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। यदि त्यागपत्र में उस तिथि का उल्लेख किया गया है, जिस तिथि को त्यागपत्र लागू होगा तो न्यायाधीश किसी भी समय अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है।
 - ◆ राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानान्तरण दूसरे उच्च न्यायालयों में कर सकता है। (अनुच्छेद 222)
 - ◆ राष्ट्रपति आवश्यकतानुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकता है।
 - ◆ राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद को सौंप सकता है।
 - ◆ जो व्यक्ति जिस उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है, वह उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। किन्तु किसी दूसरे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। (अनुच्छेद 220)।

उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार

1. अपीलीय क्षेत्राधिकार- उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों के निर्णयों, आदेशों तथा डिग्रियों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है।

2. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार- उच्च न्यायालय को राजस्व तथा राजस्व संग्रह के संबंध में तथा मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार है (अनुच्छेद 226)।
3. अन्तरण सम्बंधी अधिकार- यदि किसी उच्च न्यायालय को ऐसा लगे कि जो अभियोग अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है, वह विधि के किसी सारगर्भित प्रश्न से संबद्ध है, तो वह उसे अपने यहां हस्तांतरित कर या तो उसका निपटारा स्वयं कर देता है या विधि से संबद्ध प्रश्न को निपटाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय के लिए वापस भेज देता है।
4. लेख जारी करने का अधिकार- यह मूलाधिकारों के उल्लंघन के मामले में बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परामादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकारपृच्छा लेख जारी कर सकता है (अनु. 226)।
5. अधीक्षण क्षेत्राधिकार- प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपनी अधिकारिता के अधीन स्थिति सभी न्यायालयों तथा अधिकरणों के अधीक्षण की शक्ति है। जिसके प्रयोग से (1) वह ऐसे न्यायालयों/अधिकरणों से विवरणी मंगा सकता है। (2) वह ऐसे न्यायालयों के अधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली प्रविष्टियों और लेखाओं के प्रारूप निश्चित कर सकता है तथा (3) वह ऐसे न्यायालयों के शुल्कों को नियत कर सकता है।
6. प्रशासनिक अधिकार- उच्च न्यायालयों को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति, पदावनति, पदोन्नति तथा त्रुटियों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है।

अधीनस्थ न्यायालय (अनुच्छेद 333)

- ◆ उच्च न्यायालयों के अधीन कई श्रेणी के न्यायालय होते हैं, इन्हें संविधान में अधीनस्थ न्यायालय कहा गया है। इनका गठन राज्य अधिनियम कानून के आधार पर किया गया है। विभिन्न राज्यों में इनका अलग-अलग दर्जा है। लेकिन व्यापक परिप्रेक्ष्य में उनके संगठनात्मक ढांचे में समानता है।
- ◆ **जनहित याचिका-** जनहित याचिका में जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, शोषण, पर्यावरण, बालश्रम, स्त्रियों का शोषण आदि विषयों पर न्यायालय को किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा सूचित करने पर न्यायालय स्वयं उसकी जांच कराकर या वस्तुस्थिति को देखकर जनहित में निर्णय देता है। इस प्रकार के वाद सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
- ◆ **कुटुम्ब न्यायालय-** कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अधीन कुटुम्ब या पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा न्यायालय को पारिवारिक विवादों में मैत्रीपूर्ण समझौता को बढ़ावा देने के लिए स्वविवेक का प्रयोग करने का अधिकार है। सर्वप्रथम पारिवारिक न्यायालय की स्थापना जयपुर में हुई।
- ◆ प्रत्येक राज्य, जिलों में बंटा हुआ है और प्रत्येक जिले में एक जिला अदालत होती है। इन जिला अदालतों के अधीन कई निचली अदालतें होती हैं, जैसे अतिरिक्त जिला अदालत, सब-कोर्ट, मुंसिफ मजिस्ट्रेट अदालत, द्वितीय श्रेणी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत, रेलवे के लिए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत, कारखाना कानून और श्रम कानूनों के लिए विशेष मजिस्ट्रेट अदालत आदि।
- ◆ संविधान के अनुच्छेद 233(1) के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है।
- ◆ भारत में लोकहित अथवा जनहित याचिका को प्रारम्भ (1970 में) करने का श्रेय न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अययूर का रहा है।
- ◆ कानूनी सहायता-अनुच्छेद 39(ए) में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया गया है और गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है।
- ◆ **राष्ट्रीय न्याय अकादमी-** न्यायिक अधिकारियों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना की है। इसका पंजीकरण 17 अगस्त 1993 को सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत हुआ है। यह अकादमी भोपाल में स्थित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली में है।
- ◆ **नालसा-** नालसा देश भर में कानूनी सहायता कार्यक्रम और स्कीमें लागू करने के लिए राज्य कानूनी सेना प्राधिकरण पर दिशा-निर्देश जारी करता है।
- ◆ **लोक अदालत-** लोक अदालत कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए एक वैधानिक मंच है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 जिसका संशोधन 2002 में किया जा चुका है, द्वारा लोक उपयोगी सेवाओं के विवादों के सम्बंध में मुकदमेबाजी पूर्व सुलह और निर्धारण के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। देश के लगभग सभी जिलों में स्थायी तथा सतत् लोक अदालतें स्थापित की गई हैं। देश में पहली लोक अदालत महाराष्ट्र में स्थापित की गई। ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़कर समझौता नहीं किया जा सकता, दीवानी, फौजदारी, राजस्व अदालतों में लम्बित सभी कानूनी विवाद मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए लोक अदालत में ले जाए जा सकते हैं। लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती।

- ◆ 1 अप्रैल 2001 से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अस्तित्व में आये हैं।
- ◆ मोबाइल कोर्ट की स्थापना 20 नवम्बर 2008 को सर्वप्रथम कर्नाटक में लोगों को उनके दरवाजे पर न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई।
- ◆ पर्यावरण सम्बंधी मामलों की सुनवाई के लिए एक नेशनल ग्रीन न्यायाधिकरण के गठन का प्रस्ताव केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जून 2009 में किया।
- ◆ **ग्राम न्यायालय-** इसका उद्देश्य समाज के अंतिम आदमी को कम खर्चीला और प्रक्रियागत झंझटों से मुक्त शीघ्र न्याय दिलाना है, जिसकी संविधान के अनुच्छेद 38(1) में व्यवस्था की गई है।

ई-कोर्ट:- न्यायिक प्रक्रिया के आसान बनाने हेतु ई-कोई की अवधारणा लाई गयी है। देश का पहला ई-कोई गुजरात और अहमदाबाद सिटी सिविल एवं सेशन न्यायालय में स्थापित किया गया है। इसकी शुरुआत 8 फरवरी 2009 को देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के जी बालकृष्णन द्वारा किया गया। ई-कोर्ट में आरोपी-वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायाधीश के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे तथा बयान भी दे पाएंगे। इससे कारागार से न्यायालय तक ले जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कारागार एवं पुलिस मुख्यालय के अतिरिक्त फोरेंसिक लेबोरेटरी को भी इस पहले ई-कोर्ट परियोजना में न्यायालय से ऑन लाइन संबद्ध किया गया है।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण- पर्यावरण संबंधी कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन व पर्यावरण के अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अक्टूबर 2010 में अस्तित्व में आ गया। इसके गठन की अधिसूचना 18 अक्टूबर, 2010 को जारी की गई। इस हेतु आवश्यक विधेयक संसद के दोनों सदनों में मई 2010 में पारित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष दिसंबर 2012 में नियुक्त किया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

प्रशासनिक ट्रिब्युनल

प्रशासनिक ट्रिब्युनल अधिनियम, 1985 का पारित होना पीड़ित सरकारी कर्मचारियों को न्याय दिलाने की दिशा में एक नया अध्याय था। प्रशासनिक ट्रिब्युनल अधिनियम का स्रोत, संविधान का अनुच्छेद 323 (क) हैं, जो केंद्र सरकार को संसद के अधिनियम द्वारा ऐसे ट्रिब्युनल बनाने का अधिकार प्रदान करता है, जो केंद्र सरकार और राज्यों के कामकाज को चलाने के लिए सार्वजनिक पदों और सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों आदि से संबंधित शिकायतों और विवादों पर निर्णय दे सके। अधिनियम 1985 के अंतर्गत स्थापित ट्रिब्युनल, इसके अंतर्गत आनेवाले कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों में मूल अधिकार क्षेत्र को प्रयोग करता है। उच्चतम न्यायालय के दिनांक 18 मार्च 1997 के निर्णय के

परिणामस्वरूप प्रशासनिक ट्रिब्युनल के फैसले के विरुद्ध संबंधित उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील की जाएगी।

प्रशासनिक ट्रिब्युनल केवल अपने अधिकार क्षेत्र और कार्य विधि में आनेवाले कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों तक सीमित होता है। इसकी कार्यावधि कितनी सरल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पीड़ित व्यक्ति इसके सामने स्वयं उपस्थित होकर अपने मामले की पैरवी कर सकता है। सरकार अपना पक्ष अपने विभागीय अधिकारियों या वकीलों के जरिए रख सकती है। ट्रिब्युनल का उद्देश्य वादी को सस्ता और जल्दी न्याय दिलाना है।

अधिनियम में केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्युनल (CEntral Adiminstration Trimunal) और राज्य प्रशासनिक ट्रिब्युनल स्थापित करने की व्यवस्था है। सीएटी केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्युनल पहली नवंबर 1985 को स्थापित किया गया। आज इसकी 17 नियमित पीठ है, जिनमें से 15 उच्च न्यायालयों के मुख्य स्थान पर हैं और शेष दो जयपुर और लखनऊ में हैं। ये पीठ उच्च न्यायालयों वाले अन्य स्थानों पर सुनवाई करती हैं। संक्षेप में, ट्रिब्युनल में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और सदस्य होते हैं। ट्रिब्युनल के सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं, ताकि ट्रिब्युनल को कानूनी और प्रशासनिक दोनों वर्गों की विशेषज्ञ जानकारी का लाभ मिल सके।

न्यायिक जवाबदेही विधेयक

न्यायाधीशों के विरुद्ध मामलों की जांच को अधिक प्रभावी प्रणाली बनाने के उद्देश्य से तैयार न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक को 29 मार्च, 2012 को लोकसभा की मंजूरी प्रदान की गई। न्यायिक जवाबदेही विधेयक में न्यायपालिका में व्यक्त भ्रष्टाचार से निपटरे की व्यवस्था है। न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक के कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:-

- = न्यायाधीशों के लिए अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करना संवैधानिक रूप से अनिवार्य होगा। उसकी पत्नी और बच्चों पर भी यही बात लागू होगी।
- = आम आदमी किसी भी न्यायाधीश की खराब व्यवहार के आधार पर शिकायत कर सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय न्यायिक ओवरसाइट समिति, स्क्रुटनी पैनल और जांच समिति बनाना प्रस्तावित।
- = समिति न्यायाधीशों को परामर्श या चेतावनी जारी कर सकती है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिस पर समिति विचार करेगी।
- = राष्ट्रीय न्यायिक ओवरसाइट समिति में पांच सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे।

भारत के उच्च न्यायालय					
	नाम	स्थापना वर्ष	राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता	अवस्थान	खंडपीठ
1.	इलाहाबाद	1866	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	लखनऊ
2.	आंध्र प्रदेश	1954	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना	हैदराबाद	
3.	बंबई (मुंबई)	1862	महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली और गोवा, दमन और दीव	मुंबई	नागपुर, पणजी और औरंगाबाद
4.	कलकत्ता (कोलकाता)	1862	पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप	कोलकाता	पोर्टब्लेयर
5.	दिल्ली	1966	दिल्ली	दिल्ली	
6.	गुवाहाटी	1948	असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश	गुवाहाटी	कोहिमा, इंफाल, अगरतल्ला और शिलांग
7.	गुजरात	1960	गुजरात	अहमदाबाद	
8.	हिमाचल प्रदेश	1971	हिमांचल प्रदेश	शिमला	
9.	जम्मू-कश्मीर	1957	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर	जम्मू
10.	कर्नाटक	1884	बंगलौर		
11.	केरल	1958	केरल और लक्षद्वीप	अर्नाकुलम	
12.	मध्य प्रदेश	1956	मध्य प्रदेश	जबलपुर	ग्वालियर, इंदौर
13.	मद्रास	1862	तमिलनाडु और पांडिचेरी	मद्रास (चेन्नई)	
14.	उड़ीसा	1948	उड़ीसा	कटक	
15.	पटना	1916	बिहार	पटना	
16.	पंजाब	1966	पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़	चंडीगढ़	
17.	राजस्थान	1949	राजस्थान	जोधपुर	जयपुर
18.	सिक्किम	1975	सिक्किम	गंगटोक	
19.	राँची	2000	झारखंड	राँची	
20.	बिलासपुर	2000	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	
21.	नैनीताल	2000	उत्तराखंड	नैनीताल	

21. संचित निधि (अनुच्छेद-266(1))

- ◆ यह वह निधि है जिसमें सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त सभी राजस्व जमा कराया जाता है। इसके अतिरिक्त नए ऋण, पुराने ऋण की अदायगी इत्यादि से प्राप्त होने वाला धन इत्यादि भी इसी में जमा कराए जाते हैं। इस निधि में से धन केवल संसद की पूर्व अनुमति से खर्च किया जा सकता कुछ खर्चे ऐसे भी हैं जिन्हें संविधान द्वारा संचित निधि पर भारित घोषित किया गया है। ये खर्चे संसद की स्वीकृति के बिना भी संचित निधि से किए जा सकते हैं।

भारत की संचित निधि पर भारित व्यय:-

- राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता एवं अन्य व्यय।
- राज्य सभा के सभापति एवं उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता तथा पेंशन।
- नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता तथा पेंशन।
- ऐसा ऋण जिनका दायित्व भारत सरकार पर है।
- भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा दी गई डिग्री या पंचाट।
- कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा या संसद विधि द्वारा संचित

संचित निधि से मासिक वेतन	
पद	वेतन (रूपया)
राष्ट्रपति	1,50,000
उपराष्ट्रपति	1,25,000
लोकसभा अध्यक्ष	1,25,000
राज्यपाल	1,10,000
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश	1,00,000
सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश	90,000
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायालय	90,000
उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश	80,000
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक	90,000
मुख्य चुनाव आयुक्त	90,000
महान्यायवादी	90,000

नोट:- आपातकाल में राष्ट्रपति के अतिरिक्त सभी के वेतन में कटौती की जा सकती है।

निधि पर भारित घोषित करे।

22. आकास्मिकता निधि (अनुच्छेद-267)

- भारत की आकास्मिकता निधि की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 267 द्वारा संसद को दिए गए अधिकार के तहत 1950 में संसद द्वारा की गई। यह निधि राष्ट्रपति के पास रहती है जो इसमें से अचानक होने वाले खर्चों के लिए धन उलपब्ध कराता है। परंतु यह धनराशि संसद की स्वीकृति से अतिरिक्त मांगों अथवा अतिरिक्त अनुदान द्वारा आकास्मिकता निधि में डाल दी जानी चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि राज्यों ने भी आकास्मिकता निधि स्थापित कर रखी है, जिसका नियंत्रण राज्यपाल के पास रहता है।

23. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (अनुच्छेद 148 से 151)

- वित्तीय प्रशासन क्षेत्र के भारत के संविधान एवं संसदीय कानून के प्रति महालेखा परीक्षक उत्तरदायी होते हैं।
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी तथा नियुक्ति पश्चात् उसे केवल सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही पदच्युत किया जा सकता है।
- इसकी पदावधि छः वर्ष होती है, किंतु यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु पूरा कर लेता है तो उसे अवकाश ग्रहण करना पड़ता है। वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को कभी भी दे सकता है।
- इस पद से सेवा निवृत्ति के बाद वह भारत सरकार के अधीन

कोई पद धारण नहीं कर सकता है।

- वह सार्वजनिक धन का संरक्षक एवं ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। तथा संघ राज्यों के आय-व्यय का संपरीक्षक होता है।
- भारत और प्रत्येक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों की संचित निधि से सभी व्यय की संपरीक्षा करता है।
- संघ और राज्यों की आकास्मिकता निधि और लोक लेखाओं से सभी व्यय की संपरीक्षा करता है।
- संघ और राज्यों के राजस्वों से वित्त पोषित सभी निकायों और प्राधिकारों की सरकारी कंपनियों की, और निगमों या निकायों की जो विधि द्वारा उत्प्रेषित हों, प्राप्ति एवं व्यय की संपरीक्षा करता है।
- वह राष्ट्रपति के सम्मुख वर्षभर के लेखों का सामान्य ब्यौरा प्रस्तुत करता है जिसमें वह शेष राशि तथा उत्तरदायित्व दर्शाता है। 1976 में इनको लेखा रखने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया। यह कार्य प्रशासनिक मंत्रालयों को सौंप दिया गया और केवल प्रक्षेपण संबंधी कार्य उसके हाथ में छोड़ दिए गए।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की शक्तियाँ:-

- वह यह सुनिश्चित करता है कि संसद द्वारा किए गए विनियोजन की राशि उपयुक्त स्वीकृति के बिना न बढ़ाई जाए।
- वह किसी भी खर्च की बुद्धिमता, विश्वसनीयता तथा शिकायत के बारे में अपने आप को संतुष्ट कर सकता है।
- वह किसी भी ऐसे खर्च को अस्वीकार कर सकता है जो कि उसके विचार में संविधान अथवा कानून का उल्लंघन करता है।
- वह कंपनियों के लेखों का पूरा अथवा अतिरिक्त परीक्षण कर सकता है। उसे राष्ट्रपति स्थानीय संस्थाओं के लेखों के निरीक्षण का उत्तरदायित्व भी सौंप सकता है।
- वह पेशेवर परीक्षकों को सरकारी कंपनियों के लेखों के परीक्षण में सहायता करता है तथा उनके लेखा रखने से संबंधित त फॉर्म निर्धारित कर सकता है तथा उनके लेखों के परीक्षण की प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है।

24. भारत का महान्यायवादी (अनुच्छेद 76)

- राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। जो संघीय सरकार को कानूनी सहायता प्रदान करता है।
- महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यंत अपने पद को धारण

करेगा तथा उसे वे वेतन, भत्ते प्राप्त होंगे, जो राष्ट्रपति निर्धारित करे।

- ◆ भारत का महान्यायावदी संसद या मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, लेकिन वह किसी भी सदन अथवा उनकी समिति में बोल सकता है, परंतु उन्हें मताधिकार नहीं प्राप्त होता है।
- ◆ महान्यायावदी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवायी का अधिकार प्राप्त है। वे सर्वोच्च न्यायालय तथा विभिन्न न्यायालयों के सम्मुख सरकार में मामले प्रस्तुत करता है।
- ◆ भारत में अभी तक इस प्रथा का अनुसरण होता रहा है कि जिस मंत्रिमंडल ने महान्यायावदी की नियुक्ति की थी, उसके पद त्याग करने या प्रतिस्थापित किये जाने पर महान्यायावदी अपना पद त्याग देता है।

25. केंद्रीय सतर्कता आयोग

- ◆ केंद्रीय सतर्कता आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है। इसकी स्थापना केंद्र सरकार के विभागों में प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जांच करने के उद्देश्य से **संथानम समिति** के अनुशंसा पर 1964 में कार्यपालिका के एक संकल्प के द्वारा की गई।
- ◆ 1998 में राष्ट्रपति के एक अध्यादेश द्वारा इसे सांविधिक एवं बहुस्तरीय बना दिया गया।
- ◆ केंद्रीय सतर्कता आयोग के एक अध्यक्ष एवं दो सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तीन सदस्यीय समिति, जिसमें (1) प्रधानमंत्री, (2) गृहमंत्री, (3) लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं, कि सिफारिशों के आधार पर की जाती है।
- ◆ अप्रैल 2004 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को किसी भ्रष्टाचार के आरोप या पद के दुरुपयोग के लिए लिखित शिकायतों को स्वीकार करने तथा सही प्रशासकीय कार्य की संस्तुति करने के लिए नामित एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीबीसी) की शक्तियाँ

- ◆ निश्चित वर्गों के लोक सेवकों के लिए सीआरपीसी के तहत अपराध या भ्रष्टाचार अधि. 1988 के अंतर्गत जाँच करने के संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस व्यवस्था (डीएसपीई) के कार्यों पर नजर रखना तथा इस जिम्मेदारी से मुक्ति के उद्देश्य से डीएसपीई को निर्देश देना।
- ◆ पीसी एक्ट के तहत तथाकथित अपराधों में डीएसपीई द्वारा की गई जाँच की प्रगति की समीक्षा करना।
- ◆ किसी कार्रवाई, जिसमें एक संगठन में कार्य कर रहे लोक सेवकों, जिस पर भारत सरकार के कार्यकारी नियंत्रण का विस्तार हो जाता है, पर अनुचित उद्देश्य या भ्रष्ट तरीके से कार्य करने, करने का संदेह किया जाता है के संबंध में की

गई जाँच या अन्वेषण की जिम्मेदारी लेना।

- ◆ विभिन्न स्थितियाँ-अन्वेषण, जाँच, अपील, समीक्षा आदि में सतर्कता दृष्टि सहित अनुशासनात्मक मामलों में अन्य अर्थोर्टी के संबंध में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सलाह देना।
- ◆ भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों तथा अन्य संगठनों जिन पर केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति का विस्तार किया गया है, में सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी कार्यों की सामान्य जाँच या सुपरविजन करना।
- ◆ निदेशक (सीबीआई) निदेशक (प्रवर्तन निदेशालय) तथा डीएसपीई में एसपी एवं उनसे वरिष्ठ अधिकारियों की कमिटी ऑफ सलेक्शन (चुनाव समिति) की अध्यक्षता करना।
- ◆ जनहित प्रकटीकरण अनौपचारिक के संरक्षण के तहत प्राप्त शिकायतों में जाँच की जिम्मेदारी संभालना तथा उचित कार्य की संस्तुति करना।

26. प्रशासनिक अधिकरण (अनुच्छेद-323-क)

- ◆ 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 14 (क) तथा अनुच्छेद 323 (क) और 323 (ख) जोड़कर प्रशासनिक अधिकरण के गठन तथा उसकी अधिकारिता के संबंध में प्रावधान किया गया है।
- ◆ राज्य प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- ◆ प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत 1 नवंबर को दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की स्थापना की गई। बाद में इसी अधिनियम के तहत 17 राज्यों में राज्य प्रशासनिक अधिकरण स्थापित किया गया है।
- ◆ अधिकरण के सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

27. भारतीय राजव्यवस्था में वरीयता अनुक्रम

1. राष्ट्रपति
2. उपराष्ट्रपति
3. प्रधानमंत्री
4. राज्यपाल (संबंधित राज्य के अंदर)
5. भूतपूर्व राष्ट्रपति
- 5A. उप प्रधानमंत्री
6. भारत की मुख्य न्यायाधीश, लोक सभा का अध्यक्ष
7. संघीय कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री (संबंधित राज्य के अंदर), योजना आयोग का उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री विपक्ष का नेता (राज्यसभा और लोकसभा)

- 7A. भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति
8. राष्ट्रसंघ के देश के उच्चायुक्त (जो भारत ने प्रमाणित किया हुआ हो) मुख्यमंत्री (संबंधित राज्य के बाहर) राज्यपाल (संबंधित राज्य के बाहर)
9. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
- 9A. भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत का नियंत्रक-महालेखा परीक्षक
10. राज्य सभा का उपसभापति, उप मुख्यमंत्री, लोकसभा का उपाध्यक्ष योजना आयोग का सदस्य, संघ के राज्यमंत्री और रक्षा मंत्रालय के संबंधित अन्य मंत्री।
11. भारत का महान्यायावादी, कैबिनेट सचिव उपराज्यपाल (संबंधित संघ राज्य क्षेत्र के अंदर)
12. सेना अध्यक्ष या समतुल्य रैंक
13. पूर्ण शक्तियुक्त महादूत (जो भारत ने प्रमाणित किया हो)
14. राज्य विधान मंडल के सभापति और अध्यक्ष (संबंधित राज्य के अंदर)
15. राज्य के कैबिनेट मंत्री (संबंधित राज्य के भीतर) संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री (संबंधित संघ राज्य क्षेत्र के अंदर) संघ के उपमंत्री
16. लेफ्टिनेंट जनरल
17. अध्यक्ष (केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण) अध्यक्ष (अल्पसंख्यक आयोग) अध्यक्ष (अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग) अध्यक्ष (संघ लोक सेवा आयोग) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (संबंधित राज्य के बाहर)
18. राज्य के कैबिनेट मंत्री (संबंधित राज्य के बाहर)
19. मुख्य उपायुक्त
20. उप सभापति एवं अध्यक्ष राज्य विधानमंडल
21. संसद सदस्य
22. अपने राज्यों से बाहर राज्यों के उपमंत्री
23. सेनाध्यक्ष एवं समान पदाधिकारी, भारत सरकार; राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोक सभा, राज्य सभा का सचिव; सोलिसिटर जनरल
24. लेफ्टिनेंट जनरल और सामान्य पद के अधिकारी
25. भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव, निदेशक सी.बी. आई., आई. बी., बी. एस. एफ., सी.आर.पी.एफ।

26. भारत सरकार के संयुक्त सचिव एवं समान पद के अधिकारी

28. राज्य की कार्यपालिका व विधायिका

संविधान के भाग-6 में राज्यों के शासन के लिए एक ही संरचना अधिकथित की गई है। किंतु जम्मू कश्मीर में यह शासन विधान कुछ अलग होगा।

राज्यपाल

- ◆ सभी राज्यों में कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है और राज्य की समस्त कार्यवाही राज्यपाल के नाम से ही संचालित होती है। किंतु वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद् के हाथों में होती है और राज्यपाल नाममात्र का प्रमुख होता है।
- ◆ व्यवहारतः प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है किंतु 7वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 153(2) के अनुसार एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्ति किया जा सकता है।
- ◆ राज्यपाल की नियुक्ति पाँच वर्षों के लिए मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है।

राज्यपाल की योग्यता:- अनुच्छेद-157 के अनुसार निम्न योग्यताएँ हैं- (1) वह भारत का नागरिक हो, (2) उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो (3) वह विधानसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो, (4) किसी प्रकार के लाभ का पद धारण नहीं करता हो।

- ◆ अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख लेते हैं।
- ◆ राज्यपाल के स्थानांतरण का वर्णन मूल संविधान में नहीं है किंतु व्यवहार में इसका प्रचलन है। एक से अधिक बार भी व्यक्ति यह पद धारण कर सकता है।

कार्यपालिका संबंधी कार्य- (अनुच्छेद-154)

- ◆ राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसके मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है।
- ◆ राज्यपाल के उच्च अधिकारियों, जैसे-महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है तथा राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है (अनुच्छेद-127)
- ◆ राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करें।
- ◆ जब राज्य का प्रशासन संवैधानिक तंत्र के अनुसार न चलाया जा सके, जो राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन

लागू करने की सिफाशि करता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, तब राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलता है।

- ◆ राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होते हैं तथा उपकुलपति को भी नियुक्त करता है।

विधायी अधिकारी (अनुच्छेद-174)

- ◆ राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है।
- ◆ वह राज्य विधान-मंडल के सत्र को आहूत कर सकता है, स्थगित कर सकता है तथा राज्य विधान सभा को भंग कर सकता है।
- ◆ यह विधानसभा में एक आंग्ल-भारतीय को मनोनीत करता है।
- ◆ वह राज्य विधान परिषद् की कुल सदस्य संख्या के सदस्य के छठवें भाग के लिए सदस्यों, जिनका विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी-आंदोलन आदि के क्षेत्र में विशेष ज्ञान, अनुभव या योगदान हो, को नियुक्त कर सकता है।
- ◆ यदि राज्य विधान सभा के किसी सदस्य की आयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है, तो आयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श करके करता है।
- ◆ राज्य विधान मंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है।
- ◆ राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है किंतु विधान सभा द्वारा पुनः दोबारा उस विधेयक को पास कर दिया जाए तो राज्यपाल उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है।
- ◆ राज्य विधान सभा में धन विधेयक राज्यपाल के अनुमोदन के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है।
- ◆ अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल कुछ विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है।

अध्यादेश जारी करने की शक्ति- अनुच्छेद 213 के अनुसार जब विधान मंडल सत्र में न हो तथा राज्य सूची में वर्णित विषयों में से किसी विषय पर कानून बनना आवश्यक हो, तब राज्यपाल मंत्रिपरिषद् की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है। ऐसे अध्यादेश को 6 माह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 माह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है, तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है।

वित्तीय अधिकार-

- ◆ राज्यपाल राज्य के वित्तमंत्री के माध्यम से राज्य विधान सभा में राज्य का वार्षिक बजट पेश करता है (अनुच्छेद-202)

- ◆ किसी प्रकार के अनुदान की मांग को या करों के प्रस्ताव को राज्यपाल के अनुमोदन से विधान सभा में पेश किया जाता है।
- ◆ राज्य की आकस्मिक निधि से व्यय राज्यपाल की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है (अनुच्छेद-203(3))।

न्यायिक अधिकार- वह न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये गए अपराधियों को क्षमा करने, उनके दंड को कम करने या निलंबन करने या विलंबित करने की शक्ति रखता है, लेकिन इस शक्ति का प्रयोग उसके द्वारा उसी सीमा तक किया जा सकता है, जिस सीमा तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। (अनुच्छेद-161)

राज्यपाल की उन्मुक्तियाँ तथा विशेषाधिकार-

- ◆ वह अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है।
- ◆ राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की अपराधिक कार्यवाही नहीं प्रारंभ की जा सकती।
- ◆ जब वह पद पर आरूढ़ हो, तब उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी प्रकार से कोई आदेशिका जारी नहीं की जा सकती।
- ◆ राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात् उसके द्वारा व्यक्तिगत क्षमता से किए गए कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्यवाही करने के पहले उसे दो मास पूर्व सूचना देनी पड़ती है।

केंद्र सरकार के प्रतिनिधि- राज्यपाल का भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में महत्वपूर्ण कार्य राज्य के संबंध में समय-समय पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना है, जिससे उसके द्वारा अपनी ओर से सुझाव भी दिए जाते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट स्वविवेक से ही भेजता है।

वैवैकिक शक्तियाँ:- कुछ राज्यों में राज्यपाल अपनी इच्छा से शासन कर सकता है किंतु इसके लिए वह भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। असोम के राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार वह रकम अवधारित करेगा जो असम राज्य खनिजों की अनुज्ञापतियों से उद्भूत होने वाले स्वामित्व के रूप में जिला परिषद् को देगा। राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकता है कि महाराष्ट्र या गुजरात के राज्यपाल का राज्य के कुछ क्षेत्रों में विकास के लिए विशेष कदम उठाने का विशेष उत्तरदायित्व होगा, जैसे विदर्भ या सौराष्ट्र, नागालैंड के राज्यपाल का उस राज्य में विधि या व्यवस्था की बाबत इसी प्रकार का उत्तरदायित्व जब तक है, उस राज्य में विद्रोही नागाओं के कारण आंतरिक अशांति बनी रहती है। मणिपुर का राज्यपाल का उस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनने वाली राज्य की विधानसभा की समिति का उचित कार्यकरण सुनिश्चित करना

उसका विशेष उत्तरदायित्व होगा। जब विधानसभा में चुनाव किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तब राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है जो विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर सकता है।

मुख्यमंत्री

उपराज्यपाल- दिल्ली, पांडीचेरी एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
प्रशासक- दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप।
मुख्य आयुक्त- चंडीगढ़।

- मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है।
- अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल द्वारा बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री की शपथ दिलायी जाती है।
नोट:- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की मुख्यमंत्री की नियुक्ति चुनाव पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है।

मुख्यमंत्री के अधिकार एवं कर्तव्य-

- मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद् को बैठक की अध्यक्षता करता है तथा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन करता है।
 - राज्य में असैनिक पदाधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश मुख्यमंत्री के आदेश पर जारी किए जाते हैं।
 - वह राज्यपाल को राज्य के प्रशासन तथा विधायन संबंधी सभी प्रस्तावों की जानकारी देता है।
 - वह राज्यपाल को विधान सभा भंग करने की सलाह देता है।
- मंत्रिपरिषद् का गठन-** मुख्यमंत्री राज्यपाल की सहायता से मंत्रिपरिषद् का गठन करता है मंत्रिपरिषद् का कोई सदस्य यदि राज्य विधानसभा एवं विधान परिषद् का सदस्य न हो तो उसे 6 माह के अंदर दोनों सदन में से कोई एक सदन की सदस्यता ग्रहण करना पड़ता है, नहीं तो मंत्रिपरिषद् से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।

मंत्रिपरिषद् का आकार- 91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत मंत्रिपरिषद् का आकार मुख्यमंत्री सहित 15% से अधिक नहीं होगा, किंतु मंत्रिपरिषद् की न्यूनतम सीमा मुख्यमंत्री सहित 12 निर्धारित की गई है।

विधानपरिषद् (अनुच्छेद-169)

- विधान परिषद् राज्य विधान मंडल का उच्च सदन होता है।
- वर्तमान में केवल 6 राज्यों-बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर और आंध्रप्रदेश में विधान परिषद् विद्यमान है।

- यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद् स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है।
- विधान परिषद् का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है।
- विधान परिषद् के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या की एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती है, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या जम्मू-कश्मीर (36) को छोड़कर 40 से कम नहीं हो सकती है।
- विधान परिषद् एक स्थायी सदन है। इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है किंतु प्रति दूसरे वर्ष एक-तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं।
- विधान परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है।

विधान परिषद् का गठन

- एक तिहाई (1/3) सदस्य नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होंगे।
 - एक-तिहाई (1/3) सदस्य राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाएंगे, जो विधान सभा के सदस्य नहीं हैं।
 - 1/12 सदस्यों का निर्वाचन ऐसे व्यक्तियों द्वारा होगा जो किसी विश्वविद्यालय से कम से कम तीन वर्ष पूर्व से स्नातक है।
 - 1/12 सदस्यों को निर्वाचन शिक्षकों के निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। ये शिक्षक उस राज्य में किसी शिक्षण संस्था में तीन वर्ष से शैक्षणिक कार्य में लगे हुए हों। ये शिक्षा संस्थाएँ माध्यमिक पाठशाला से नीचे की न हों।
 - 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से मनोनीति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी-आंदोलन और समाजसेवा का विशेष ज्ञान हो।
- विधान परिषद् अपने सदस्यों में से सभापति एवं उपसभापति चुनती है।
 - सभापति, उपसभापति को और उपसभापति सभापति को कार्यकाल के मध्य में अपना इस्तीफा पत्र सौंप सकता है। साथ ही विधान परिषद् के सदस्य विशेष बहुमत द्वारा उसे अपदस्त भी कर सकता है, किंतु इस बात की सूचना उसे 14 दिन पूर्व देना होगा।
- विधान परिषद् के कार्य**
- धन विधेयक एवं वित्तीय विधेयक के अतिरिक्त कोई भी विधेयक विधान परिषद् में प्रस्तुत किया जा सकता है।

- ◆ वित्तीय विधेयक के मामले में विधान परिषद को 14 दिन के अंदर अपनी सिफारिशों के साथ विधेयक को विधान सभा के पास वापस भेजना पड़ता है।
- ◆ साधारण विधेयक के पारित होने में विधान परिषद अधिक से अधिक 4 माह (3 माह पहली बार और एक माह दूसरी बार) देर कर सकती है।
- ◆ विधान परिषद किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती।

विधान सभा

- ◆ विधान सभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है।
- ◆ अनुच्छेद-170 के अनुसार राज्य की विधान सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होगी। अपवाद-गोवा (40), अरुणाचल प्रदेश (40), मिजोरम (40) और सिक्किम (32) पांडिचेरी (30)।
- ◆ राज्य विधान सभा का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष होता है।
- ◆ राज्यपाल द्वारा इसे समय से पूर्व भंग किया जा सकता है परंतु यदि संकटकाल की घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद विधि द्वारा विधान सभा का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ा सकता है।

नोट- जम्मू-कश्मीर में विधान सभा का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन से 6 वर्ष होता है।

- ◆ विधान सभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है।
- ◆ विधान सभा एवं विधान परिषद की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य का 1/10 भाग सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है।
- ◆ विधान सभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है।
- ◆ विधान सभा अध्यक्ष मत विभाजन की स्थिति में अपने मत का प्रयोग नहीं करता है, किंतु मतों की बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देता है।

विधान सभा की शक्तियाँ

- विधायी शक्तियाँ-** राज्य के विधानमंडल को सामान्यतया उन सभी विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है जो राज्य सूची में और समवर्ती सूची में दिए गए हैं, परंतु समवर्ती सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि यदि केंद्र द्वारा उसी विषय पर निर्मित विधि के विरुद्ध हो, तो राज्य विधान मंडल द्वारा निर्मित विधि मान्य नहीं होगी।
- वित्तीय शक्तियाँ-** (1) धन विधेयक केवल विधान सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। (2) कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम विनिश्चय विधानसभा

विधान सभा और विधान परिषद् की सदस्य संख्या			
	राज्य	विधान सभा	विधान परिषद्
1.	अरुणाचल प्रदेश	40	-
2.	असम	126	-
3.	आंध्रप्रदेश	176	-
4.	उड़ीसा	147	-
5.	उत्तरप्रदेश	403	99
6.	उत्तराखंड	70	-
7.	कर्नाटक	224	75
8.	केरल	140	-
9.	गुजरात	182	-
10.	गोवा	40	-
11.	छत्तीसगढ़	90	-
12.	जम्मू-कश्मीर	76	36
13.	झारखंड	81	-
14.	तमिलनाडु	234	-
15.	नागालैंड	60	-
16.	पंजाब	117	-
17.	पश्चिम बंगाल	294	-
18.	बिहार	243	75
19.	मणिपुर	60	-
20.	मध्य प्रदेश	230	-
21.	महाराष्ट्र	288	78
22.	मिजोरम	40	-
23.	मेघालय	60	-
24.	राजस्थान	200	-
25.	सिक्किम	32	-
26.	हरियाणा	90	-
27.	हिमाचल प्रदेश	68	-
28.	त्रिपुरा	60	-
29.	तेलंगाना	119	-
	संघीय प्रदेश		
1.	दिल्ली	70	-
2.	पुदुचेरी	30	-

अध्यक्ष ही करेगा। (3) वित्त मंत्री राज्यपाल के नाम से प्रत्येक वर्ष आय-व्यय का लेखा-जोखा (बजट) प्रस्तुत करता है। (4) विधानमंडल से विनियोग विधेयक पास होने पर ही सरकार संचित निधि से व्यय हेतु धन निकाल सकती है।

3. **प्रशासनिक शक्तियाँ-** (1) मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधान सभा के पति उत्तरदायी होता है। (2) विधान सभा या विधान परिषद के सदस्यों द्वारा मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मंत्रिमंडल के विरुद्ध निंदा या आलोचना का या काम रोको प्रस्ताव पास किया जा सकता है। (3) विधान सभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास किया जा सकता है, जिसके कारण मंत्रिमंडल को पद त्याग करना पड़ता है।

4. **संविधान के संशोधन की शक्ति-** हमारे संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं, जिनमें संशोधन के लिए जरूरी है कि संसद द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर पारित प्रस्ताव को कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

5. **निर्वाचन संबंधी शक्ति-** राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति, राज्य सभा, राज्य विधान परिषद के सदस्यों आदि के निर्वाचन में भाग लेते हैं।

◆ राज्य विधान मंडलों (विधान सभा एवं विधान परिषद्) का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है।

29. राज्य संबंध (भाग-11 एवं 12 और अनुच्छेद 245 से 293 तक)

◆ भारत संघ के केंद्र-राज्य संबंध तीन वर्गों में वर्गीकृत किये गए हैं:-

1. **विधायी संबंध (अनुच्छेद 245-255)-**

◆ भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों की विधायी शक्तियों के बँटवारे से संबंधित तीन सूची दी गई है-1. संघ सूची, 2. राज्य सूची और 3. समवर्ती सूची।

◆ इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी विषय हैं, जिनका उल्लेख संविधान की सातवीं अनुसूची में नहीं किया गया है। इन पर विधि निर्माण का अधिकार केवल संघ को दिया गया है। ये शक्तियाँ अवशिष्ट शक्तियाँ कहलाती हैं।

◆ अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने दो-तिहाई बहुमत से किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो संसद उस विषय पर विधि बना सकेगी। लेकिन संघ की विधि मात्र एक वर्ष तक ही विधिमान्य रहेगी। इसे संसद हर बार एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। संसद को अभी तक एक बार 1950 में यह शक्ति राज्य सभा ने प्रदान की है। इसका प्रयोग करके संसद ने व्यापार और वाणिज्य संबंधी

कानून बनाया था।

◆ अनुच्छेद 250 के तहत आपातकाल के समय विधान मंडल की विधायी शक्ति संसद को हस्तांतरित हो जाती है। इस समय संसद द्वारा निर्मित विधि आपातकाल की समाप्ति के 6 मास बाद तक प्रभावी रहती है।

◆ अनुच्छेद 252 के तहत यदि दो या अधिक राज्य संसद के राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अनुरोध करें, तो संसद ऐसा कर सकेगी। लेकिन संसद द्वारा निर्मित विधि केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगी जिन्होंने इसका अनुरोध किया था।

◆ अनुच्छेद 253 के अंतर्गत किसी विदेशी राज्य से हुई किसी संधि के अनुपालन में भी संसद राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकती है।

2. **प्रशासनिक संबंध (अनुच्छेद 256 से 263 तक)-** केंद्र का राज्य पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण होता है। इस नियंत्रण के मुख्य उपकरण राज्यपाल, अखिल भारतीय सेवा एवं विभिन्न प्रधिकरण हैं।

3. **वित्तीय संबंध (भाग-12 अनुच्छेद 264 से 291 तक)**
◆ संघ व राज्यों के मध्य राजस्व का विभाजन मूलतः 5 प्रकार से होता है-

◆ **प्रथम श्रेणी-** में अनन्य रूप से संघ के राजस्व स्रोतों को रखा जा सकता है। ये कर संघ द्वारा लगाए व वसूल किये जाते हैं। इस राजस्व का प्रयोग संघ स्वयं करता है। इसमें आने वाले प्रमुख कर हैं-सीमा शुल्क, विदेशी ऋण, निगम कर, निर्यात शुल्क, आयकर पर अधिभार, रेल, रिजर्व बैंक, शेयर बाजार तथा कृषि भूमि छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क आदि।

◆ **दूसरी श्रेणी-** इसके अंतर्गत राज्यों द्वारा लगाए व वसूले जाने वाले करों को रखा जा सकता है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं-भू-राजस्व, विज्ञापन पर कर, उत्तराधिकार शुल्क, मनोरंजन कर, विक्रय कर, कृषि भूमि पर आय कर, खनिज कर, विद्युत के उपयोग पर कर, पथ कर, वाहन पर चुंगी, संपदा शुल्क आदि।

◆ **तीसरी श्रेणी-** में ऐसे करों को रखा जा सकता है जो कि लगाए तो संघ द्वारा जाते हैं लेकिन इनको राज्य संग्रहीत करते हैं तथा प्रयोग करते हैं इस भाग में विनिमय पत्रों पर स्टॉप शुल्क, औषधियाँ व श्रृंगार सामग्रियों पर उत्पाद शुल्क आदि आते हैं।

◆ **चतुर्थ श्रेणी-** में उन करों को रखा जा सकता है जो कि लगाए व संग्रहीत तो संघ द्वारा किये जाते हैं, लेकिन प्राप्तियों को राज्यों के मध्य वितरित कर दिया जाता है। इस भाग में

कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के उत्तराधिकारी के संबंध में शुल्क, कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के संबंध में संपदा-शुल्क, रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर, समाचार-पत्रों के क्रय और उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर इत्यादि।

- ◆ **पांचवी श्रेणी-** में ऐसे कर आते हैं जो कि लगाए व संग्रहीत तो संघ के द्वारा किये जाते हैं, लेकिन इनको राज्य व केंद्र के मध्य वितरित कर दिया जाता है इस वर्ग में कृषि आय से

केंद्र और राज्य के संबंध पर आयोग	
समिति/आयोग	स्थापना वर्ष
प्रशासनिक सुधार आयोग (सीतलवाड़ी समिति)	1966
राजमन्मार सहाय समिति	1969
भगवान सहाय समिति	-
सहकारिया आयोग	1983
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग	2005
पूँजी आयोग	2007

भिन्न आय पर कर, उत्पाद शुल्क आदि आते हैं, परंतु राजस्व में बंटवारे के बाद भी राज्यों की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं रहती है।

30. योजना आयोग

- ◆ आर्थिक नियोजन के कार्य को भली प्रकार संपन्न करने के लिए 15 मार्च, 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई।
- ◆ योजना आयोग एक गैर-संवैधानिक निकाय है।
- ◆ योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा केंद्रीय गृहमंत्री, रक्षा मंत्री एवं वित्त मंत्री इसके अंशकालिक सदस्य होते हैं।

31. राष्ट्रीय विकास परिषद्

- ◆ योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त, 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद् का गठन किया।
- ◆ राष्ट्रीय विकास परिषद् के निम्न उद्देश्य हैं-
 - (क) योजना आयोग की सहायता के लिए राष्ट्र के स्रोतों और साधनों का समुचित उपयोग करना तथा उनको गतिशील बनाना।
 - (ख) देश के सभी भागों में तीव्र एवं संतुलित विकास के लिए प्रयास करना।
- ◆ प्रधानमंत्री इस परिषद् का अध्यक्ष होता है तथा योजना आयोग का सचिव ही इसका भी सचिव होता है।

- ◆ भारतीय संघ के सभी राज्यों के **मुख्यमंत्री** तथा **योजना आयोग** के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं।

- ◆ परिषद् के कार्य निम्नलिखित हैं-

- (क) राष्ट्रीय योजना की प्रगति पर समय-समय पर विचार करना।
- (ख) राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों-संबंधी विषयों पर विचार करना।
- (ग) राष्ट्रीय योजना के निर्धारित लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुझाव देना।

32. अंतर्राज्यीय परिषद् (अनुच्छेद 263)

- ◆ अंतर्राज्यीय परिषद् निम्न कार्य करेगी-
 - (क) वह राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करेगी और उस पर परामर्श प्रदान करेगी।
 - (ख) कुछ या सभी राज्यों के या संघ या अधिक राज्यों के पारस्परिक हित से संबद्ध विषयों का अनुसंधान और उस पर विचार-विमर्श करेगी।
 - (ग) ऐसे किसी विषय के बारे में अच्छे समन्वय के हेतु नीति या कार्यवाहियों की सिफारिश करेगी।
- ◆ राजमन्मार समिति की सिफारिश के आधार पर जून 1990 में राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद् की स्थापना की गई, जिसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर, 1990 को हुई थी।
- ◆ अंतर्राज्यीय परिषद् में निम्न सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री तथा छः कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं जिन संघ क्षेत्रों में विधान सभा नहीं है, उनके प्रशासक। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
- ◆ अंतर्राज्यीय परिषद् के लिए एक स्थायी सचिवालय स्थापित किया गया है।

33. संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएँ

- ◆ **अखिल भारतीय सेवा-** (अनुच्छेद 312) यह राष्ट्रीय स्तर की सेवा है। इस सेवा के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि सेवा की अन्य शर्तें, संबंधी राज्य द्वारा निर्धारित की जाती है। वर्तमान में तीन अखिल भारतीय सेवाएँ हैं, जिसमें दो स्वतंत्रता के समय से ही विद्यमान हैं, ये हैं- भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) एवं भारतीय पुलिस सेवा (IPS) तथा भारतीय वन सेवा (IFS) को 1986 में शामिल किया गया।
- ◆ **केंद्रीय सेवा-** केंद्रीय सेवा राष्ट्रीय स्तर की है, जो केवल भारत संघ के लिए है। संसद इस सेवा में नियुक्ति तथा सेवा की शर्तों के संबंध में कानून बनाती है। इस सेवा के कर्मचारी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं।

- ◆ **राज्य सेवा-** यह सेवा केवल राज्य के लिए होती है। इस सेवा में नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा इस सेवा के सदस्य राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं।
- ◆ **लोक सेवा आयोग-** (अनुच्छेद 315) भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना 1919 के भारत सरकार अधिनियम तथा 1924 के विधि आयोग के सिफारिश के आधार पर सर्वप्रथम 1926 में की गई। यह एक संवैधानिक निकाय है।
- ◆ संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति और उसके सदस्यों की संख्या निर्धारण करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 10 है।
- ◆ संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए की जाती है। यदि वह 6 वर्षों के अंदर 65 वर्ष आयु पूरी कर लेता है तो वह पद से मुक्त हो जाता है।
- ◆ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- ◆ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष अधिकतम आयु 62 वर्ष है।
- ◆ इस आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। साथ ही साबित कचादार एवं असमर्थता के आधार पर इसे राष्ट्रपति निलंबित भी कर सकता है।
- ◆ **राज्य का महाधिवक्ता-** (अनुच्छेद 165) प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। वह विधान मंडल का सदस्य नहीं होता। उसे सदनों की कार्यवाही में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार होता है, परंतु उसे मताधिकार प्राप्त नहीं होता है।

34. आपात उपबंध

- ◆ भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल का उपबंध हैं—(1) राष्ट्रीय आपात (अनुच्छेद 352), (2) राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) और (3) वित्तीय आपात (अनुच्छेद 360)।
- राष्ट्रीय आपात-** इसकी घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। 44वें संशोधन (1978) के अनुसार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा **आंतरिक अशांति** के आधार पर नहीं बल्कि केवल **सशस्त्र विद्रोह** के आधार पर किया जाएगा।
- ◆ राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की उद्घोषणा एक माह तक प्रवर्तन में रहती है और यदि इस दौरान इसे संसद के दो-तिहाई बहुमत से अनुमोदित करवा लिया जाता है तो वह 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है। संसद इसे पुनः इसी विधि से 6 माह के लिए बढ़ा सकती है।
- ◆ यदि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 1/10 सदस्य आपात उद्घोषणा को वापस लेने वाले संकल्प को प्रस्तावित करने के अपने आशय की सूचना, सत्र चल रहा हो तो लोक सभा अध्यक्ष और नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति को देते है तो ऐसी सूचना के प्राप्त होने के 14 दिन के भीतर लोकसभा की बैठक आयोजित की जाएगी।
- ◆ यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपात उद्घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर देती हैं, तो राष्ट्रपति उसे वापस लेने के लिए बाध्य होता है।
- ◆ राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संपूर्ण देश या देश के किसी एक समस्याग्रस्त क्षेत्र के लिए की जा सकती है। अर्थात् संपूर्ण देश में इसे लागू करने की अनिवार्यता नहीं है।
- ◆ **राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रभाव-** (1) राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघीय कार्यपालिका के अधीन हो जाती है, किंतु राज्य सरकार निलंबित नहीं की जाती है। (2) संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। (3) अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है और अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर समस्त मौलिक अधिकार निलंबित कर सकता है। (4) राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध में परिवर्तन कर सकता है।
- ◆ **राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा-** अब तक तीन बार हुई हैं—
 1. पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को चीनी आक्रमण के समय बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई, जिसे 10 जनवरी 1968 को वापस लिया गया।
 2. दूसरी बार 13 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के आक्रमण के समय बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गयी।
 3. तीसरी बार 26 जून 1975 को आंतरिक अशांति की अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की।
- ◆ दूसरी और तीसरी उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को एक साथ वापस ले लिया गया।
- ◆ **राज्य में राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 365)-** राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है।

- ◆ राज्य में आपात घोषणा के बाद संघ न्यायिक कार्य छोड़कर राज्य प्रशासन के समस्त कार्यों को अपने हाथ में ले लेता है, जिसका संचालन राज्यपाल द्वारा किया जाता है।
- ◆ राज्य में आपात उद्घोषणा की अवधि दो मास होती है। इससे अधिक के लिए संसद से अनुमोदन करना होता है तब यह 6 माह की होती है। लगातार अधिकतम तीन वर्ष तक यह एक राज्य के प्रवर्तन में रह सकती है। एक वर्ष से आगे विस्तार करने वाला संकल्प पारित करते समय दो शर्तें पूरी होनी अनिवार्य हैं, ये हैं आपात स्थिति लागू हो या निर्वाचन आयोग चुनाव कराने में असमर्थ हो।
- ◆ सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब में 20 जून 1951 को मंत्रिमंडल के पतन के कारण लागू हुआ। उसके बाद क्रमशः पेंसू (1953), आंध्र प्रदेश (1954) और केरल (1956) में लागू हुआ।
- ◆ सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग पंजाब में ही हुआ है। (11 जून 1987 से 25 फरवरी 1992) तक।
- ◆ सबसे अधिक बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग उत्तर प्रदेश तथा केरल (9 बार) और सबसे कम महाराष्ट्र, मिजोरम, मेघालय तथा अरुणाचल (केवल एक बार) में हुआ है।
- ◆ **वित्तीय आपात** (अनुच्छेद 360)– इसकी उद्घोषणा को किसी समय वापस ले सकता है। वैसे भी अब तक इस आपात की घोषणा एक बार भी नहीं हुई है।

वित्तीय आपात का प्रभाव

- ◆ राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है
- ◆ राष्ट्रपति को छोड़कर सभी के वेतन एवं भत्ते में कमी की जा सकती है।
- ◆ राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों में धन संबंधी विभाजन के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकता है।
- ◆ राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह राज्य सरकारों को यह निर्देश दे कि राज्य के समस्त वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति से विधान सभा में प्रस्तुत किए जाएं।

35. भारत में पंचायती राज

- ◆ पंचायती राज की शुरुआत स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा किया गया। इसके बाद 1959 में आंध्र प्रदेश, 1960 में असम, तमिलनाडु, एवं कर्नाटक और 1962 में महाराष्ट्र में पंचायती राज का गठन हुआ।
- ◆ पी.के. थुंगन समिति के आधार पर 73वाँ संविधान संशोधन किया गया, जिसका संबंध पंचायती राज से है। इसके द्वारा संविधान से भाग 9 अनुच्छेद 243 (क से ण तक) तथा

अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया और पंचायतों को संविधानिक मान्यता प्रदान की गई।

73वाँ संविधान की विशेषता

पंचायती राज के लिए गठित समितियाँ	
बलवंत राय मेहता समिति	1957
अशोक मेहता समिति	1977
पी.वी.के. राय समिति	1985
एल.एम.सिंघवी समिति	1986
पी.के. थुंगन समिति	1988
64वाँ संविधान संशोधन	1984
73वाँ संविधान संशोधन	1993

विभिन्न राज्यों में पंचायत समिति के नाम	
बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान	पंचायत समिति
आंध्र प्रदेश	मंडल पंचायत
तमिलनाडु	पंचायत यूनियन
प. बंगाल, असम	आंचलिक परिषद्
उत्तर प्रदेश	क्षेत्र समिति
मध्य प्रदेश	जनपद पंचायत
कर्नाटक	तालुका डेवलमेंट बोर्ड

- ◆ इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 अनुच्छेद एवं 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल किया गया।
- ◆ पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में एक-तिहाई स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किंतु बिहार (सर्वप्रथम), मध्यप्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्य द्वारा महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा रहा है।
- ◆ इसका कार्यकाल पाँच वर्षों का है।
- ◆ जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ दो स्तरीय और जहाँ 20 लाख से अधिक है वहाँ त्रि-स्तरीय पंचायती राज्य की स्थापना की जाएगी।
- ◆ पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर ग्रामसभा होती है।
- ◆ राज्य की संचित निधि से इन पंचायतों को अनुदान देने की व्यवस्था है।
- ◆ राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायत को धन उपलब्ध कराया जाता है।

स्तर	संरचना	मुख्य अधिकारी	निर्वाचन
ग्राम स्तर	ग्राम पंचायत	प्रधान मुखिया/संरंपंच	प्रत्यक्ष
प्रखंड स्तर	पंचायत समिति	प्रमुख	अप्रत्यक्ष
जिला स्तर	जिला परिषद	अध्यक्ष/चेयनमैन	अप्रत्यक्ष

- ◆ 73वाँ संशोधन के आधर पर सर्वप्रथम कर्नाटक में पंचायती राज (अधिनियम) का निर्माण किया गया।

36. भारत में नगरीय शासन

- ◆ भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना 1687 में ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास में की गई।
- ◆ 74वाँ संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग-9 (क), अनुच्छेद 243 (त से यछ तक) एवं 12वीं अनुसूची जोड़ी गयी। इस संशोधन का संबंध नगरपालिका से है।

74वाँ संशोधन अधिनियम की विशेषता:-

- ◆ नगरपालिका तीन प्रकार की होगी-
- 1. **नगर परिषद्**- ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो, जिसकी जनसंख्या 10,000 से 20,000 तक हो।
- 2. **नगर परिषद**- छोटे नगर क्षेत्र के लिए, जिसकी जनसंख्या 20,000 से 3 लाख तक हो।
- 3. **नगर निगम**- बड़े क्षेत्र के लिए जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो।
- ◆ महिलाओं के लिए एक-तिहाई (वर्तमान में कुछ राज्य 50%) आरक्षण की व्यवस्था।
- ◆ अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था।
- ◆ नगरीय संस्थाओं की अवधि पाँच वर्ष होगी और विघटन की स्थिति में छः माह के अंदर चुनाव करना आवश्यक होगा।
- ◆ नगर वार्डों में बांट दिया जाता है। वार्ड पार्षदों में से महापौर का निर्वाचन किया जाता है। महापौर किसी नगर का प्रथम नागरिक होता है।

नोट:- 25 अप्रैल 1993 से 73वाँ और 1 जून 1993 से 74वाँ संशोधन अधिनियम प्रवर्तन में है।

37. निर्वाचन आयोग (भाग 15, अनुच्छेद 324 से 329)

- ◆ निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य आयुक्त एवं ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिसका संख्या निर्धारण और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
- ◆ 1993 से पूर्व चुनाव आयोग एक सदस्यीय था। 1993 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991 में संशोधन किया गया और तीन सदस्यीय चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया।
- ◆ मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के अधि

कार समान होंगे तथा उसके द्वारा कोई भी निर्णय बहुमत द्वारा लिया जाएगा।

- ◆ मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यवधि 6 वर्ष या 65 वर्ष एवं अन्य आयुक्त का कार्यवधि 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो पहले हो, तब तक होगा।
- ◆ मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है।
- ◆ मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है।
- ◆ निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है।
- ◆ **निर्वाचन आयोग के कार्य-** (1) चुनाव मतदाता सूची तैयार करवाना, (2) चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, (3) राजनीति दलों को राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, गैर-मान्यता प्राप्त एवं

निर्वाचन प्रक्रिया में निर्वाचन तंत्र का अध्ययन करने के लिए गठित समितियाँ

	समिति	वर्ष	विषय-वस्तु
1.	तारकुंडे समिति (अनौपचारिक समिति)	1974	निर्वाचन सुधार हेतु अध्ययन
2.	दिनेश गोस्वामी समिति	1990	निर्वाचन सुधार
3.	वोहरा समिति	1993	अपराध तथा राजनीति के बीच साठगांठ
4.	इंद्रजीत गुप्ता समिति	1998	सरकारी खर्च पर चुनाव
5.	टंका आयोग	2010	संपूर्ण निर्वाचन कानून तथा निर्वाचन के अध्ययन हेतु

इसके अलावा निम्न आयोगों का उल्लेख महत्वपूर्ण हैं-

1. निर्वाचन विधि पर भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट (1999)
2. एम.एन.बेंकटचल्लैया की अध्यक्षता में संविधान के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग (2000-2002)
3. प्रस्तावित निर्वाचन सुधारों पर निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट (2004)
4. शासन में नैतिकता पर वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2007)

पंजीकृत दल के रूप में मान्यता देना, (4) राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, (5) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधान सभाओं का चुनाव करवाना, (6) राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना, (7) उम्मीदवारों द्वारा किये जाने वाले चुनावी व्यय की राशि-निश्चित करना, (8) चुनाव आयोग राष्ट्रपति को संसद सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में और राज्यपाल को विधान मंडल के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में परामर्श देता है।

- ◆ **दलबदल अधिनियम 1985:-** प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में दल-बदल रोकने के लिए 1985 में संविधान में 52वाँ संशोधन किया गया और संविधान में 10वीं अनुसूची का सृजन किया गया। दल-बदल का अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संबंधित सदन के अध्यक्ष एवं सभापति को है। इसमें सुधार के लिए पुनः 2003 में 91वाँ संशोधन किया गया।
- ◆ **इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन-** इसका निर्माण भारत सरकार के दो उपक्रमों द्वारा किया जाता है-(1) भेल और (2) भारत इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
- ◆ 1951 के जन प्रतिनिधित्व कानून में 1989 में धारा 61(क) जोड़ी गई। जिससे मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन के प्रयोग को वैधता प्रदान की गई।
- ◆ गोवा ऐसा पहला राज्य है जहाँ सर्वप्रथम पूरे राज्य में चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग हुआ।
- ◆ इलेक्ट्रॉनिक मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग 1982 में केरल के पारूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 50 मतदान केंद्रों पर किया गया था।

वीवीपीएटी

मतदाता प्राप्ती रसीद यानी वोटर वेरिफायड पेपर ऑडिट ट्रायल (वीवीपीएटी) मतपत्र रहित मतदान प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए मतदाताओं को फीडबैक देने का तरीका है। इसका उद्देश्य ईवीएम की स्वतंत्र पुष्टि है। यह व्यवस्था मतदाता को इस बात की पुष्टि करने की अनुमति देती है कि उसकी इच्छानुसार मत पड़ा है या नहीं। इसे वोट बदलने या वोटों को नष्ट करने से रोकने के अतिरिक्त उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

वीवीपीएटी के तहत प्रिंटर की तरह का एक उपकरण इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ जुड़ा होता है। जब वोट डाला जाता तब इसकी एक प्राप्ती रसीद निकलती है। इस प्राप्ती रसीद का क्रम संख्या, नाम तथा उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह दर्शाया जाता है। यह उपकरण वोट डाले जाने की पुष्टि करता है तथा इससे मतदाता ब्यौरा की पुष्टि कर सकता है। रसीद एक बार दिखने के बाद ईवीएम से जुड़े कंटेनर में चली जाती है।

यह प्रणाली पहली बार प्राप्त रसीद के आधार पर मतदाता को अपने वोटों को चुनौती देने की अनुमति देती है। नये नियम के अनुसार मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी को मतदाता की अस्वीकृति दर्ज करनी होगी तथा इस अस्वीकृति की गिनती के समय ध्यान में रखना होगा।

भारत सरकार ने 14 अगस्त, 2013 की एक अधिसूचना के जरिए चुनाव कराने संबंधी नियम, 1961 को संशोधित किया। इससे निर्वाचन आयोग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ वीवीपीटी के इस्तेमाल का अधिकार मिला। सितंबर 2013 में नागालैंड के त्वेनसांग में नोकसेन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया।

उच्चतम न्यायालय ने अक्टूबर 2013 में सुब्राह्मण्यम स्वामी बनाम भारत निर्वाचन आयोग मामले में व्यवस्था देते हुए कहा कि वीवीपीएटी स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों के लिए अपरिहार्य है तथा भारत निर्वाचन आयोग को वीवीपीएटी प्रणाली की सुनिश्चित करने के लिए ईवीएम को वीवीपीएटी से जोड़ने का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालयों ने निर्वाचन आयोग को 2014 के आम चुनावों के लिए चरणबद्ध तरीके से ईवीएम में प्राप्ति रसीद लागू करने तथा इसके लिए केंद्र को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

निर्वाचन आयोग ने दिल्ली विधान सभा चुनाव में 1,18,596

निर्वाचन खर्च की सीमा में वृद्धि

निर्वाचन प्रक्रिया संचालन अधिनियम 1961 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने बड़े राज्यों की लोकसभा सीटों के लिए निर्वाचन खर्च की सीमा बढ़ाकर 40 लाख रूपए कर दी है। अन्य राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में यह सीमा 16 लाख रूपए से 40 लाख रूपए तक रखी गई है। इसी तरह बड़े राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों के लिए यह सीमा 16 लाख रूपए तक रखी गई है। अन्य राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए यह सीमा 8 लाख रूपए से 16 लाख रूपए के बीच रखी गई है।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस

राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत 25 जनवरी, 2011 को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा की गई थी। सन् 1950 में 25 जनवरी को ही निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आया था जो कि आयोग का स्थापना दिवस हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस को चुनावी प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी के संबंध में मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए भी उपयोग किया जाता है।

भारतीय निर्वाचन आयोग ने 25 जनवरी, 2014 को देश भर में चौथा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। इसका थीम नैतिक मतदान था। इस अवसर पर एक राष्ट्रीय समारोह को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

पंजीकृत मतदाताओं वाले 186 मतदान केंद्रों में वीवीपीएटी प्रणाली का इस्तेमाल पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा के चुनावों के दौरान वीवीपीएटी प्रणाली का इस्तेमाल मिजोरम के 10 और दिल्ली, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान के एक-एक निर्वाचन क्षेत्रों में भी लागू की गई।

38. राजनीतिक दल

- ♦ **राष्ट्रीय दल के लिए अनिवार्यता:-** राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए लोक सभा अथवा विधान सभा चुनावों में किन्हीं चार अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गये वैध मतों को 6% मत प्राप्त करने के साथ किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम चार सीटें-जीतनी होंगी अथवा लोक सभा में 2% सीटें (11 सीटें) जीतनी होंगी, जो कम से कम 3 राज्यों से प्राप्त की गई हों।
- ♦ **राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के लिए अनिवार्यता-** राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए संबंधित दल को लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों को कम से कम 6% मत प्राप्त करने के साथ ही राज्य विधानसभा में कम से कम 2 सीटें जीतना आवश्यक है।
- ♦ 1952 में निर्वाचन आयोग द्वारा 14 दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में तथा 60 दलों को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी।
- ♦ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख (जम्मू-कश्मीर) एवं सबसे छोटा दिल्ली सदर है।

39. राजभाषा (भाग 17)

- ♦ संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है।
- ♦ संविधान के आरंभ में 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग

वर्तमान में मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय राजनीति दल		
	पद	चुनाव-चिन्ह
1.	भारतीय जनता पार्टी	कमल
2.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	पंजा
3.	भारतीय साम्यवादी दल	हंसिया और बाली
4.	राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी	घड़ी
5.	बहुजन समाज पार्टी	हाथी (असम को छोड़कर)
6.	मार्क्सवादी साम्यवादी दल	हंसियाँ, हथौड़ा एवं तारा

सरकारी कार्यों का निर्णय लिया गया। किंतु संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया जिसके अनुसार संघ के सरकारी कार्यों में अंग्रेजी काल तक जारी रहेगा।

- ♦ वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ सम्मिलित हैं।
- ♦ भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 344 में राष्ट्रपति द्वारा

	दल	राज्य	चुनाव चिन्ह
1.	जनता दल (यू)	बिहार झारखंड	तीर
2.	लोक जनशक्ति पार्टी	बिहार	बंगला
3.	झारखंड मुक्ति मोर्चा	झारखंड	तीर कमान
4.	नेशनल काफ्रेंस	जम्मू-कश्मीर	हल
5.	अकाली दल (बादल)	पंजाब	तीर कमान
6.	असम गण परिषद्	असम	हाथी
7.	अन्ना द्रविड़ मुन्ने कड़गम	तमिलनाडु	दो पत्ती
8.	द्रविड़ मुनेत्र कड़गम	तमिलनाडु, पांडिचेरी	उगता सूरज
9.	तेलगु देशम	आंध्र प्रदेश	साईकल
10.	समाजवादी पार्टी	उत्तर प्रदेश	साईकल
11.	शिवसेना	महाराष्ट्र	तीर कमान
12.	महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी	गोवा	शेर
13.	मुस्लिम लीग	केरल	सीढ़ी
14.	राष्ट्रीय जनता दल	बिहार	लालटेन

राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों के संबंध में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है।

- ♦ अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति ने 1955 में वी.जी. खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1956 में दिया।
- ♦ 1976 में राजभाषा आयोग को समाप्त कर दिया गया और दूसरा आयोग अर्थात् वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गयी, जो अब भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है।
- ♦ **राज्य की भाषा-** संविधान के अनुच्छेद 345 के अधीन प्रत्येक राज्य के विधान मंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वह आठवीं अनुसूची में अंतर्विष्ट भाषाओं में से किसी एक या अधिक को सरकारी कार्यों के लिए राज्य सरकारी भाषा के रूप में अंगीकार कर सकता है। किंतु राज्यों के परस्पर संबंधों में तथा संघ तथा राज्यों के परस्पर संबंधों में संघ की राजभाषा को ही प्राधिकृत भाषा माना जाएगा।
- ♦ **उच्चतम और उच्च न्यायालयों तथा विधान मंडलों की भाषा-** संविधान में प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद द्वारा कानून बनाकर अन्यथा प्रावधान न किया जाय तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी

होगी और संसद तथा राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित कानून अंग्रेजी में होंगे। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही को राजभाषा में होने की अनुमति दे सकता है।

40. वैधानिक एवं स्वायत्त संगठन

- ◆ **राष्ट्रीय महिला आयोग-** इस आयोग का गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 31 जनवरी 1992 को हुआ। महिला आयोग में एक अध्यक्ष, पाँच सदस्य एवं एक सदस्य सचिव होता है। इस आयोग का प्रमुख कार्य महिलाओं को अन्याय के खिलाफ त्वरित न्याय दिलाना है।
- ◆ **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग-** दिसंबर 2006 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। आयोग का काम बच्चों के अधिकारों का सही रूप में उपयोग करना, कानूनों और कार्यक्रमों पर प्रभावी रूप से अमल करना है।
- ◆ **राष्ट्रीय एकता परिषद-** इसका गठन 1961 में किया गया। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है।
- ◆ **राष्ट्रीय महिला कोष-** समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत 30 मार्च, 1993 को गठित इस संस्था का लक्ष्य गरीब महिलाओं को उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग:-

- ◆ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के कल्याण के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान था।
- ◆ संविधान के 65वें संशोधन द्वारा उपरोक्त प्रावधान को समाप्त कर एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया।
- ◆ प्रस्तावित आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं पाँच सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होना निर्धारित किया गया है।
- ◆ 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा अनुसूचित जाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान कर दिया गया। वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए पृथक-पृथक आयोग है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

- ◆ भारत सरकार द्वारा जैन, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध एवं पारसी आदि समुदायों की अल्पसंख्यक के रूप में पहचान की गई है।

- ◆ अल्पसंख्यकों को कल्याण एवं उनके अधिकारों को प्रभावी ढंग से संरक्षित करने के लिए बनी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 1978 में भारत सरकार ने एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया।
- ◆ भारतीय संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत पुराने अल्पसंख्यक आयोग के स्थान पर 17 मई, 1993 को नये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (National Minority Commission) की स्थापना की गई।
- ◆ यह आयोग 21 जनवरी, 2010 को पुनः संगठित हुआ।
- ◆ इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 5 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा होती है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

- ◆ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 सरकार को पिछड़े वर्गों की स्थिति के मूल्यांकन के लिए एक आयोग के गठन का अधिकार प्रदान करता है।
- ◆ सरकार ने मंडल आयोग के रूप में पिछड़ा वर्ग आयोग का 1979 में गठन किया। इस आयोग ने 31 दिसंबर, 1980 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
- ◆ मंडल आयोग की संस्तुतियों को मानते हुए सरकार ने 13 अगस्त 1990 को अन्य पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण सरकारी नौकरियों में प्रदान करने की घोषणा कर दी।
- ◆ केंद्र सरकार ने 14 अगस्त, 1933 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की (National Commission on Backward Classes) स्थापना की।
- ◆ **राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान-** नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना महिला बाल विकास विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय के तत्वावधान में की गयी है।
- ◆ **केंद्रीय दत्तक समाज कल्याण बोर्ड-** इस बोर्ड की स्थापना अगस्त, 1953 को हुई थी। बोर्ड की प्रगति से भारत में स्वैच्छिक एजेंसियों के विकास का प्रयास है। बोर्ड का कार्य स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से सामाजिक कल्याण की गतिविधियों को बढ़ावा देना, महिलाओं, बच्चों से जुड़े कल्याणकारी योजनाओं पर अमल करना है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

- ◆ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission-NHRC) एक स्वायत्तशासी सार्वजनिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर, 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश (Protection of Human Rights Ordinance) के जरिए हुआ था।

- ◆ मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के जरिए आयोग को 'वैधानिक' दर्जा प्रदान किया गया। यह एक राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान है
- ◆ **संरचना:** आयोग में अध्यक्ष के अलावा निम्नलिखित सदस्य होते हैं।
- ◆ सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व या मौजूदा न्यायाधीश,
- ◆ दो ऐसे सदस्य जिन्हें मानवाधिकारों के मामलों का ज्ञान एवं अनुभव हो।
- ◆ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता इसके पदेन सदस्य होते हैं।
- ◆ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति, नियुक्ति समिति की सिफारिश के आधार पर करते हैं। नियुक्ति समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं जबकि गृह-मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के/की नेता, राज्यसभा में विपक्ष के/की नेता, लोकसभाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति नियुक्ति समिति के सदस्य होते हैं।
- ◆ न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंगनाथ मिश्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे।
- ◆ **कार्य:** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:-
- ◆ सक्रिय या प्रत्युत्तर रूप में मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करना या ऐसे उल्लंघनों के रोक में लोक सेवकों द्वारा की गई लापरवाही की जांच करना,
- ◆ न्यायालय की अनुमति से मानवाधिकार से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान न्यायालय की कार्रवाई में हस्तक्षेप करना,
- ◆ राज्य सरकार के नियंत्रणधीन जैसे जेलों या संस्थानों का अध्ययन और रिपोर्ट तैयार करने के लिए दौरा करना जहाँ किसी व्यक्ति को कैद करके रखा गया है या इलाज, सुधार या सुरक्षा के लिए रखा गया है।
- ◆ मानवाधिकारों की संख्या के लिए लागू किसी कानून या संविधान द्वारा प्रदत्त या संविधान के भीतर के रक्षोपायों की समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें देना।
- ◆ मानवाधिकारों को क्षति पहुंचाने वाले आतंकवाद सहित अन्य कारकों की समीक्षा करना तथा उचित सुधारात्मक उपायों की सिफारिशें करना,
- ◆ संधियों एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय तंत्रों का अध्ययन एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सिफारिशें करना,
- ◆ मानवाधिकार के क्षेत्र में शोधों का संवर्द्धन,
- ◆ समाज के विभिन्न हिस्सों के बीच मानवाधिकार शिक्षा में संलग्न होना,
- ◆ मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों तथा संस्थानों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना,
- ◆ ऐसा कोई और कार्य जो कि मानवाधिकारों की संरक्षा के लिए आयोग आवश्यक समझता हो।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (National Knowledge Commission-NKC) भारत के प्रधानमंत्री की एक उच्चस्तरीय सलाहकार संस्था है, जिसका उद्देश्य भारत को ज्ञानवान समाज बनाना है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का ध्यान शिक्षा से लेकर ई-प्रशासन तक ज्ञान तंत्र के पाँच प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। ये निम्नलिखित हैं:-

1. सुलभता: ज्ञान की सहज सुलभता,
 2. सिद्धांत: शिक्षा के सभी स्तर और समूह,
 3. रचना: ज्ञान की प्रभावकारी रचना,
 4. उपयोग: ज्ञान प्रणालियों का उपयोग,
 5. सेवाएँ: जैसे ई-प्रशासन।
- ◆ राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना 13 जून, 2015 को तीन वर्षों (2 अक्टूबर, 2005 से 2 अक्टूबर, 2008) के लिए की गई थी।
 - ◆ सैम पित्रौदा इसके अध्यक्ष हैं।
 - ◆ **कार्य (Terms of Reference):** राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:-
 - ◆ 21वीं शताब्दी की ज्ञान चुनौतियों का सामना करने के लिए शैक्षिक प्रणाली में उत्कृष्टता का निर्माण तथा ज्ञान के क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धी फायदों को बढ़ाना।
 - ◆ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान के सृजन का संवर्द्धन।
 - ◆ बौद्धिक संपदा अधिकारों में संलग्न संस्थानों के प्रबंधन में सुधार।
 - ◆ कृषि एवं उद्योग में ज्ञान अभिक्रियाओं का संवर्द्धन।
 - ◆ नागरिकों को प्रभावी, पारदर्शी एवं जवाबदेही सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार को सक्षम बनाने हेतु ज्ञान के प्रयोग का संवर्द्धन।
 - ◆ **उद्देश्य:** राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-
 - ◆ जीवंत ज्ञान आधारित समाज के विकास को प्रोत्साहित करना। इसमें पहले से मौजूद ज्ञान प्रणालियों में क्रांतिकारी बदलाव के साथ ज्ञान के विभिन्न रूपों के सृजन हेतु मार्ग तैयार करना।

वित्त आयोग

- ◆ वित्त आयोग एक सांविधानिक संस्था है।
- ◆ भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संविधान के लागू होने के दो वर्षों के भीतर एवं उसके पश्चात् प्रत्येक पांच वर्ष पर 'वित्त आयोग' के गठन का प्रावधान किया गया है।
- ◆ **संरचना:** वित्त आयोग में अध्यक्ष के अलावा चार सदस्य होते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ रखी गयी हैं:
- ◆ किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार की नियुक्ति के लिए अर्हित हो,
- ◆ एक ऐसा व्यक्ति जिसे सरकार के वित्त एवं लेखाओं का विशेष ज्ञान हो,
- ◆ एक ऐसा व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो।
- ◆ **कार्य:** वित्त आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:-
- ◆ करों की निवल प्राप्तियाँ का केंद्र और राज्यों के बीच वितरण जिन्हें संविधान के भाग 12, अध्याय 1 के अंतर्गत वितरित किया जाएगा, अथवा वितरित किया जा सकता है और ऐसी प्राप्तियों के संबंध हिस्सों का राज्यों के बीच आबंटन।
- ◆ भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत और राज्यों को भुगतान किये जाने वाली राशि, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत उनके राजस्वों के सहायता अनुदान के जरिए संबद्ध अनुच्छेद के खंड (1) के उपबंधों में उल्लेखित प्रयोजनों से भिन्न, सहायता की आवश्यकता है,
- ◆ राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के संसाधन में बढ़ोतरी के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने हेतु वांछित उपाय।
- ◆ राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों तथा अभी तक भारत में कुल 14 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में के. सी. नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था।
- ◆ विजय एल. केलकर की अध्यक्षता वाले 13वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशें दिसंबर 2009 में राष्ट्रपति को सौंपा।
- ◆ 13वें वित्त आयोग की सिफारिशें वर्ष 2010-15 के लिए हैं।
- ◆ 13वें वित्त आयोग ने विभाज्य केंद्रीय करों की शुद्ध निवल प्राप्तियों में राज्यों का हिस्सा 32 फीसदी व केंद्र की सकल राजस्व प्राप्तियों में राज्यों को दिया जाने वाला हिस्सा

अधिकतम 39.5 फीसदी रखने की सिफारिश की थी। इसकी सिफारिशों को हूबहू मान लिया गया।

- ◆ 14वें वित्त आयोग का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया। 14वें वित्त आयोग में अध्यक्ष के अलावा चार और सदस्य तथा एक सचिव हैं।
- ◆ 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें वर्ष 2015-20 की अवधि के लिए होगी।

राज्य वित्त आयोग

- ◆ भारत के संविधान में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) के द्वारा किया गया।
- ◆ भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य के राज्यपाल इस प्रावधान (73वें संविधान संशोधन) के लागू होने के एक वर्ष के भीतर तथा उसके पश्चात् प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा।
- ◆ राज्य वित्त आयोग का कार्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना और इस संदर्भ में राज्यपाल को रिपोर्ट देना है।

प्रशासनिक सुधार आयोग

- ◆ भारत में प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से रही है:-
- ◆ सरकार की भूमिका में परिवर्तन
- ◆ माहौल में परिवर्तन
- ◆ लोगों की आकांक्षाओं में अभिवृद्धि
- ◆ कुशलता एवं प्रभावकारिता में सुधार
- ◆ **प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग:** प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन जनवरी 1966 में देश की लोक प्रशासन की परीक्षा करने तथा आवश्यकता पड़ने पर उसमें सुधार करने व उसका पुनर्गठन करने हेतु, सिफारिशें करने के लिए किया गया था। इसका अध्यक्ष मोरारजी देसाई को नियुक्त किया गया। जब मोरारजी देसाई देश के उपप्रधानमंत्री बन गये, तब इसका अध्यक्ष के. हनुमथैया को बनाया गया। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकार को 20 रिपोर्ट सौंपी जिनमें 537 मुख्य सिफारिशें शामिल थीं। इन सिफारिशों को नवंबर 1977 में संसद में पेश किया गया।
- ◆ **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग:** द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में 31 अगस्त, 2005 को हुआ था। वी. रामचंद्रन, ए.पी. मुखर्जी, ए.एच. कार्लो एवं डॉ. जयप्रकाश नारायण इसके अन्य सदस्य थे। इस आयोग को सरकार के सभी स्तरों पर देश के लिए सक्रिय,

उत्तरदायी, जवाबदेह, सतत एवं कुशल प्रशासन का लक्ष्य प्राप्त करने के उपायों पर सुझाव देने का जिम्मा सौंपा गया था। आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 15 रिपोर्ट सरकार को सौंपा जिस पर विचार करने के लिए वर्ष 2007 में तत्कालीन विदेश मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी।

केंद्रीय सूचना आयोग

- ◆ सूचना का अधिकार कानून के तहत वर्ष 2005 में स्थापित 'केंद्रीय सूचना आयोग' एक प्राधिकृत निकाय है।
- ◆ **संरचना:** केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा 10 से अधिक सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति समिति की सिफारिश पर की जाती है। केंद्रीय सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं जबकि लोकसभा में विपक्ष की नेता एवं प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संघीय मंत्रिमंडल का कोई सदस्य समिति के दो अन्य सदस्य होते हैं।
- ◆ सूचना आयुक्तों का कार्यकाल पांच वर्ष या 65 वर्ष की अधिकतम आयु, जो भी पहले हो, है।
- ◆ केंद्रीय सूचना आयोग 'सूचना का अधिकार' कानून के तहत एक प्रकार का अपीलीय प्राधिकार है जहां केंद्रीय लोक सूचना अधिकार या राज्य लोक सूचना आयुक्त द्वारा किसी व्यक्ति को सूचना देने से इंकार करने की दशा में अपील की जा सकती है।

राष्ट्रीय विधि आयोग

- ◆ भारतीय इतिहास के विगत 300 वर्षों में विधि सुधार एक क्रमिक प्रक्रिया रही है। विधायन सुधारों के लिए 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में तत्कालीन सरकारों द्वारा विधि आयोगों का गठन किया जाता रहा है। ऐसा पहला आयोग 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1834 में गठित किया गया था जिसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। इस आयोग ने विधि संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता एवं ऐसे अन्य संहिताओं के संहिताकरण की सिफारिश की थी। इसके पश्चात् 1853, 1861 एवं 1879 में ऐसे आयोगों की स्थापना की गई। भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता, भारत करार नियम, भारतीय साक्ष्य कानून इन्हीं आयोगों की सिफारिशों का परिणाम हैं।
- ◆ स्वतंत्रता के पश्चात् भी ऐसे आयोग की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई। इसी परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन महान्यायवादी श्री एमसी सितलबाड की अध्यक्षता में वर्ष 1955 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया।
- ◆ अब तक 20 विधि आयोगों का गठन हो चुका है। 20वें विधि

आयोग का गठन वर्ष 2012-15 अवधि के लिए किया गया है। न्यायमूर्ति अजीत प्रकाश शाह इसके अध्यक्ष हैं। 19वें विधि आयोग का गठन न्यायमूर्ति पी.वी.रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया था।

विधि आयोग द्वारा प्रमुख विचारणीय विषय निम्नलिखित होते हैं:-

- ◆ पुराने पड़ गए कानूनों की समीक्षा करना और उन्हें समाप्त करना,
- ◆ उन कानूनों की पहचान करना, जिनकी जरूरत या प्रासंगिकता नहीं रह गई है और जिन्हें तुरंत समाप्त किया जा सकता है।
- ◆ उस कानूनों की पहचान करना, जो आर्थिक उदारीकरण के मौजूदा-माहौल में उपयुक्त हैं और जिन्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं है।
- ◆ उन कानूनों की पहचान करना जिनमें बदलाव या संशोधन की आवश्यकता है, इनमें संशोधन के लिए सुझाव देना,
- ◆ कानूनों के समन्वय और उनके सामंजस्य के लिए विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के विशेषज्ञ समूहों द्वारा सुझाए गए संशोधन/सुधार पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में विचार करना।
- ◆ एक से ज्यादा विभागों/मंत्रालयों के कामकाज को प्रभावित करने वाले कानूनों के संबंध में मंत्रालयों/विभागों की सिफारिश पर विचार करना,
- ◆ कानूनों के क्षेत्र में नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए उपयुक्त उपाय सुझाना।

समान अवसर आयोग

- ◆ केंद्र सरकार ने बहुप्रतीक्षित समान अवसर आयोग यानी ईओसी (Equal Oppotunities Commission) को 20 फरवरी, 2014 को मंजूरी दे दी।
- ◆ ज्ञातव्य है कि मुसलमानों के सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन का अध्ययन करने वाली सच्चर समिति ने समान अवसर आयोग गठित करने की सिफारिश की थी।
- ◆ समान अवसर आयोग के गठन की सिफारिश संप्रग-1 शासनकाल के दौरान भी की गई थी और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने संप्रग-2 के सत्ता में आने के बाद एक ऐसा निकाय स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की जिसमें सभी वर्ग के लोग आए। इसके बाद ए. के. एंटनी की अध्यक्षता में इस विषय पर विचार करने के लिए मंत्रियों का समूह गठित किया गया और ऐसी बात आई कि सभी वर्गों के लिए एक ऐसा आयोग गठित किये जाने से ऐसी ही अन्य संस्थाओं के दायरे का उल्लंघन होगा। मंत्रियों के समूह के बाद में केवल अल्पसंख्यकों के लिए समान अवसर आयोग गठित करने का सुझाव दिया।

- ◆ **संरचना:** समान अवसर आयोग में तीन सदस्य होंगे और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होंगे। आयोग के पास किसी भी प्रकार का दंड देने का अधिकार नहीं होगा, हालांकि इसके पास दीवानी अदालत के अधिकार होंगे जिनके जरिए वह जांच का काम करेगा।
- ◆ **कार्य:** यह विधिक निकाय होगा जिसका कार्य नौकरियों एवं शिक्षा में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव पर लगाम लगाना होगा। समान अवसर आयोग को आवासीय सोसाइटी में अल्पसंख्यकों को रहने या खरीद का अधिकार देने से इंकार करने से संबंधित शिकायतों पर ध्यान देने की बात कही गई है। समान अवसर आयोग अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की सरकारी एजेंसियों द्वारा भेदभाव संबंधी शिकायतों का निपटारा करेगा। इसकी भूमिका सलाहकार की होगी और और निजी एजेंसियां इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं होंगे।
- ◆ आयोग यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव न हो। आयोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास ऋण इत्यादि क्षेत्रों के लिए समान अवसरों की आचार संहिता बना सकेगा।

41. संविधान में प्रमुख संशोधन

- 1 **संशोधन अधिनियम, 1951-** अनुच्छेद 19 में दिए गए वाक्-स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता आदि पर प्रतिबंध लगाने के लिए, अधिकारों की व्यवस्था दो नए अनुच्छेद 31(क) और 31(ख) एवं 9वीं अनुसूची को शामिल कर किया गया, ताकि भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके।
- 2 **संशोधन अधिनियम, 1952-** लोकसभा के लिए प्रतिनिधित्व के अनुपात को 1951 की जनगणना के आधार पर समायोजित किया गया।
- 7 **वाँ संशोधन अधिनियम, 1956-** इसके द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें मोटे तौर पर राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों में बांटा गया। लोकसभा का समायोजन।
- 11 **वाँ संशोधन अधिनियम, 1961-** इसका उद्देश्य था कि उपयुक्त मंडल में किसी खाली पद के आधार पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती न दी जा सके।
- 13 **वाँ संशोधन अधिनियम, 1962-** नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध करने के लिए एक नया अनुच्छेद 371(क) जोड़ा गया।
- 14 **वाँ संशोधन अधिनियम, 1962-** पांडिचेरी केंद्रशासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पांडिचेरी के केंद्रशासित प्रदेशों के लिए संसदीय विधि द्वारा विधानमंडलों का गठन किया जा सके।
- 15 **वाँ संशोधन अधिनियम, 1963-** न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने आदि से संबंधित।
- 16 **वाँ संशोधन अधिनियम, 1963-** भारत की एकता और अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित।
- 17 **वाँ संशोधन अधिनियम, 1964-** इसके अनुसार निजी खेती के अधीन भूमि का अधिग्रहण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रतिपूर्ति के रूप में इसका बाजार मूल्य न दिया जाय।
- 24 **वाँ संशोधन अधिनियम, 1971-** इसमें कहा गया कि संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति है।
- 26 **वाँ संशोधन अधिनियम, 1971-** भारतीय रियासतों के शासकों के प्रिन्स और विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया।
- 42 **वाँ संशोधन अधिनियम, 1976-** यह संशोधन अब तक पारित सभी संशोधनों में बड़ा है, इसलिए इसे 'लघु संविधान' भी कहा जाता है।
 - ◆ प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए।
 - ◆ भाग (4) तथा अनुच्छेद 51(क) को जोड़कर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया।
 - ◆ चार नए नीति निदेशक तत्व शामिल किये गये।
 - ◆ राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया।
- 44 **वाँ संशोधन अधिनियम 1978**
 - ◆ संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर विधिक अधिकार बना दिया गया।
 - ◆ व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जाएगा।
 - ◆ अनुच्छेद 352 में संशोधन कर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया।
 - ◆ निवारक नजरबंदी कानून में सुधार किया गया।
 - ◆ संसद और विधान मंडलों द्वारा किये गए संशोधनों को न्यायालयों में चुनौती दी जा सकेगी।
- 56 **वाँ संशोधन अधिनियम, 1987-** गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा 'दमन और दीव' को नया केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया।

- 58 **वाँ संशोधन अधिनियम, 1987-** संविधान के अधिकृत हिंदी पाठ को मान्यता प्रदान की गयी।
- 61 **वाँ संशोधन अधिनियम, 1981-** मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गयी (अनुच्छेद 326 में संशोधन)।
- 69 **वाँ संशोधन अधिनियम, 1991-** दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और इसके लिए विधानसभा तथा एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई।
- 73 **वाँ संशोधन अधिनियम, 1993-** पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किया गया और 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया। संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया।
- 74 **वाँ संशोधन अधिनियम, 1993-** संविधान में एक नया भाग 9(क) तथा 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया। शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं (नगरपालिका आदि) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
- 84 **वाँ संशोधन अधिनियम, 2001-** 1991 की जनगणना के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए आवंटित लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों की संख्या में परिवर्तन किये बगैर परिसीमन किया जा सके। अनुसूचित जाति/जनजाति की सीटों की संख्या फिर से निर्धारित की जा सकती है।
- 86 **वाँ संशोधन अधिनियम, 2002-** एक नया अनुच्छेद 21(ए) जोड़कर 6-14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 45 में 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा से संबंधित राज्य का निर्देश जोड़े गये। 51(क) में संशोधन कर 11वाँ मौलिक कर्तव्य (6-14 साल के बच्चों में शिक्षा उपलब्ध करवाने का माता-पिता तथा अभिभावकों का कर्तव्य जोड़ा गया।
- 87 **वाँ संशोधन अधिनियम, 2003-** लोकसभा तथा विधानसभाओं के सीटों की संख्या परिवर्तित किये बगैर 2001 की जनगणना के आधार पर प्राप्त जनसंख्या को समायोजित करना।
- 88 **वाँ संशोधन अधिनियम, 2003-** संविधान के अनुच्छेद 268 (क) जोड़कर सेवाकर को लगाने तथा वसूलने के बारे में केंद्र तथा राज्य सरकारों की भूमिकाओं को परिभाषित किया गया।
- 89 **वाँ संशोधन अधिनियम, 2003-** अनुच्छेद 338 (क) जोड़कर अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जनजाति गठित करने का प्रावधान।
- 91 **वाँ संशोधन अधिनियम, 2003-** दल-बदल कानून के 1/3 सदस्यों का अलग होनेवाला प्रावधान समाप्त किया गया। दल-बदल करने वाले विधायक या सांसद में तब तक अयोग्य माने जाएंगे, जबतक वे दोबारा चुनाव जीतकर न आ जायें।
- ◆ मंत्रिपरिषद का आकार (प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री सहित) निचले सदन के 15% से अधिक नहीं होगा। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होगी।
- 92 **वाँ संशोधन अधिनियम, 2003-** 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को शामिल किया गया। अब 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हो गयीं।
- 93 **वाँ संशोधन अधिनियम, 2006-** शिक्षा संस्थानों आरक्षण (15(4)/ अनुच्छेद 30 (1) के तहत आनेवाले अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर बाकी गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में दाखिला देने के मामले में अनुच्छेद 15 के प्रावधानों का विस्तार किया गया। अनुच्छेद 15 में एक नयी धारा 15(5) जोड़ी गयी।
- 94 **वाँ संशोधन अधिनियम, 2006-** इस अधिनियम द्वारा बिहार राज्य में जनजाति कल्याण मंत्रालय को समाप्त कर दिया गया और झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में इस मंत्रालय की गठन की मंजूरी दी गई।
- 95 **वाँ संशोधन अधिनियम, 2009-** अनुच्छेद 334 के तहत लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षण की अवधि 60 को 70 वर्ष किया गया।
- 96 **वाँ संशोधन अधिनियम, 2011-** आठवीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिया शब्द जोड़ा गया।
- 97 **वाँ संशोधन अधिनियम, 2011-** अनुच्छेद 19 में या संघ के बाद या कॉर्पोरेटिव सोसाइटी शब्द जोड़ा गया। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य ऑपरेटिव सोसाइटी के स्वैच्छिक संगठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं पेशेवर संवर्द्धन हेतु यत्न करेगा।
- 98 **वाँ संशोधन अधिनियम, 2013-** इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 37 (जे) को जोड़कर कर्नाटक के राज्यपाल की शक्तियों में विस्तार कर कर्नाटक आंध्र प्रदेश के विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

42. महत्वपूर्ण शब्दावलि

1. **अध्यादेश-** जब संसद का सत्रावसान हो गया हो और ऐसी स्थिति पैदा हो गई हो जिस पर शीघ्र कार्रवाई आवश्यक हो तो राज्य में राज्यपाल और संघ में राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया आदेश अध्यादेश कहलाता है अध्यादेश को नियमित करने के लिए आवश्यक है कि जब संसद अथवा विधान मंडल का अगला सत्र हो तो उसे अनुमोदित कर दिया जाए नहीं तो सत्र की शुरुआत के छः सप्ताह के बाद प्रवर्तन योग्य नहीं रह जाता है।

2. **प्रत्यानुदान (Vote of Credit)**- किसी राष्ट्रीय आपात के कारण सरकार को धन की अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए निधियों की आवश्यकता हो सकती है, जिसके लिए सदन बिना ब्यौरा दिए प्रत्यानुदान के माध्यम से एकमुश्त राशि दे सकता है। आलोचकों के अनुसार यह अनुदान कार्यपालिका के हाथों में एक कोरे चेक की भाँति है।
3. **लेखानुदान (अनुच्छेद 116(क))**- जब तक संसद बजट मांगे स्वीकृत नहीं कर लेती तब तक के लिए यह आवश्यक है कि देश का प्रशासन चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त धन उपलब्ध हो। इसलिए लेखानुदान के लिए विशेष उपबंध किया गया है, जिसके द्वारा लोकसभा को शक्ति दी गयी है कि वह बजट की प्रक्रिया पूरी होने तक किसी वित्त वर्ष के एक भाग के लिए पेशगी अनुदान दे सकती है।
4. **अनुपूरक अनुदान**- यदि विनियोग विधेयक द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वर्ष के लिए व्यय किये जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि अपर्याप्त पायी जाती है या वर्ष के बजट में उल्लिखित न की गई, और किसी नयी सेवा पर खर्च की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, तो राष्ट्रपति एक अनुपूरक अनुदान संसद के समक्ष पेश करवाएगा। अनुपूरक अनुदान और विनियोग विधेयक दोनों के लिए एक ही प्रक्रिया विहित की गई है।
5. **अतिरिक्त अनुदान (Excess Grants)**- इन अनुदानों पर वित्त वर्ष की समाप्ति पर मतदान होता है। भारत में केंद्रीकृत भुगतान की व्यवस्था नहीं है। अतः व्यय का एक मुश्त अनुमान लगाना तथा निर्धारित सीमा के अनुसार व्यय करना संभव नहीं है। इस स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था की गयी है। संसद के अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत करके धन के व्यय को वैधानिक बनाती है। किंतु अतिरिक्त अनुदानों की सभी मांगों को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले 'लोक लेखा समिति' द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक है।
6. **भूतलक्षी प्रभावी विधि (Ex-Post Facto Law)**- अनुच्छेद 20 के खंड (1) के अनुसार, 'किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक सिद्धदोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कार्य करने के समय किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण न किया हो।' वह उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन लगाई जा सकती थी।
7. **धन्यवाद प्रस्ताव**- राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश पर तीन-चार दिनों तक धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। चर्चा प्रस्तावक द्वारा आरंभ होती है तथा उसके बाद प्रस्तावक का समर्थक बोलता है। इस चर्चा में राष्ट्रपति के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है, क्योंकि अभिभाषण की विषय-वस्तु के लिए सरकार उत्तरदायी होती है। अंत में धन्यवाद प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जाता है तथा उसे स्वीकृत किया जाता है।
9. **संसद एवं कार्यपालिका के मध्य अंतर**- संसद विधान बनाकर, अनुशांसा करके, आलोचना करके एवं जनहित के मामलों में सरकार की सहायता करती है, जबकि कार्यपालिका संसद के प्रतिनिधि के तौर पर शासन करती है।
 - (i) **नीति संबंधी कटौती (Policy Cut)**- इसका उद्देश्य सरकार द्वारा किसी विशेष विषय के संबंध में अपनाई गयी नीति को बदल कर उसके स्थान पर अन्य नीति को अपनाने के लिए जोर देना है। इस प्रस्ताव में कहा जाता है कि मांग की राशि घटाकर एक रूपए कर दी जाए। इसका अभिप्राय यह हुआ कि अब उस नीति को छोड़ दिया जाए।
 - (ii) **मितव्यता संबंधी कटौती (Economy Cut)**- इसका उद्देश्य सरकारी खर्च में कमी लाना है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि मांग की राशि घटाकर कम कर दी जाय। इस तरह से किसी मांग पर व्यय की जाने वाली राशि में एक मुश्त (lump-sum) कटौती की बात की जाती है अथवा उसमें व्यय किए जाने वाले किसी मद को ही समाप्त कर दिए जाने को कहा जाता है।
 - (iii) **प्रतीकात्मक कटौती (Token Cut)**- इसका उद्देश्य सरकार के प्रति किसी मांग के संबंध में किसी विशेष शिकायत को व्यक्त करना होता है। प्रतीकात्मक कटौती के द्वारा सदस्य बात करते हैं। इससे उस सदस्य को उस मांग पर चर्चा करने का बहाना मिल जाता है।
10. **गिलोटिन**- किसी बजट सत्र में समयाभाव के कारण अध्यक्ष के द्वारा ऐसी सभी मांगों जिन पर चर्चा हो पायी हो अथवा न हो पायी हो, को एक साथ सदन के पटल पर रखने की प्रक्रिया को गिलोटिन कहते हैं।
11. **विनियोग विधेयक (Appropriation Bill)**- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 (क) के अनुसार लोकसभा द्वारा अनुदान स्वीकृत किए जाने के बाद भारत की संचित निधि से उस अनुदान का विनियोग करने के लिए सदन में एक विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा इसमें लोकसभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की सभी मांगे तथा संचित निधि पर भारित व्यय सम्मिलित किया जाता है।
12. **भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India)**- संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का

प्रावधान है। राज्यों को करों एवं शुल्कों में से उनका अंश देने के बाद जो धन बचता है उसे संचित निधि में डाल दिया जाता है। संचित निधि से धन संसद में प्रस्तुत अनुदान मांगों के द्वारा ही व्यय किया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सी.ए.जी. आदि के वेतन तथा भत्ते इसी निधि पर भारित होते हैं।

13. **भारत की आकस्मिक निधि (Contingency Fund of India)**- संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार भारत सरकार एक आकस्मिक निधि की स्थापना करेगी। इसमें जमा धन राशि को व्यय राष्ट्रपति अविलंबनीय एवं अप्रत्याशित परिस्थितियों में कर सकता है। वह व्यय बाद में संसद द्वारा प्राधिकृत कराया जाता है।
14. **कार्यस्थगन प्रस्ताव**- किसी अविलंबनीय लोक महत्व के विषय अथवा देश के अंदर कोई विशिष्ट स्थिति आ जाने या संसद सदस्य द्वारा सदन की वर्तमान कार्यवाही बीच में ही रोक कर उस विशेष स्थिति या घटना पर विचार करने का प्रस्ताव ला सकता है जिसे कार्य स्थगन या काम रोको प्रस्ताव कहते हैं।
15. **निंदा प्रस्ताव**- सरकार या किसी मंत्री के किन्हीं कार्यों अथवा नीतियों की निंदा करने के लिए लाए गए प्रस्ताव को निंदा प्रस्ताव कहते हैं। निंदा प्रस्ताव के पास हो जाने के पश्चात यह माना जाता है कि सरकार अल्पमत में आ गयी और सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है।
16. **अविश्वास प्रस्ताव**- अनुच्छेद 75 (3) के अनुसार मंत्रिपरिषद तभी तक पदासीन रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। विपक्ष को जब ऐसा लगता है कि सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है तो उसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाया जाता है। बहस के पश्चात् लोकसभा में इस पर मत विभाजन होता है। यदि यह प्रस्ताव सदन द्वारा पास कर दिया गया तो सरकार को त्याग-पत्र देना पड़ता है।
17. **विशेषाधिकार प्रस्ताव**- यदि कोई मंत्री किन्हीं तथ्यों को सदन में छिपाता है अथवा किन्हीं अन्य विशेषाधिकारों का हनन होता है तो कोई सदस्य विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकता है।
18. **आधे घंटे की चर्चा**- सदन का कोई सदस्य जब ऐसा महसूस करता है कि तारांकित या अतारांकित या अल्प सूचना प्रश्न पर प्राप्त उत्तर में अपेक्षित जानकारी नहीं है तो अध्यक्ष सदस्य को आधे घंटे के चर्चा की अनुमति दे सकता है।
19. **अल्पकालीन चर्चा**- एक गैर-सरकारी सदस्य के लिए अविलंबनीय लोक महत्व के मामले को सदन के ध्यान में लाने हेतु अल्पकालीन चर्चा की व्यवस्था की गयी है।
20. **प्रश्नकाल**- लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंध नियमों के अंतर्गत नियम संख्या 32 के तहत दोनों सदनों में

प्रत्येक कार्य दिवस का प्रथम घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। इस अवधि में संसद सदस्यों द्वारा लोक महत्व के किसी भी मामले की जानकारी प्राप्त करने के लिए मंत्रियों से उनके विभागों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्नकाल के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न कई तरह के होते हैं। जैसे:-

- (i) **तारांकित प्रश्न**- जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। इनका उत्तर मौखिक दिया जाता है। इन प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों पर तारा लगाकर इन्हें अन्य प्रश्नों से अलग किया जाता है।
 - (ii) **अतारांकित प्रश्न**- उन प्रश्नों को जिनका उत्तर सदस्य लिखित रूप में चाहते हैं। उन्हें अतारांकित प्रश्न कहते हैं। इन प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते।
 - (iii) **अल्प-सूचना प्रश्न**- ऐसे प्रश्न जो अविलंबनीय लोक महत्व के हों तथा जिन्हें साधारण प्रश्न के लिए निधि रित कम से कम 1 दिन की अवधि सूचना देकर पूछा जा सकता है, उन्हें अल्प सूचना प्रश्न कहते हैं।
 - (iv) **अनुपूरक प्रश्न**- सदन से तारांकित प्रश्न के जवाब पर किसी सदस्य द्वारा सदन के अध्यक्ष की अनुमति से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें अनुपूरक प्रश्न कहते हैं।
21. **शून्यकाल**- सदन के दोनों सदनों में प्रश्न काल के ठीक बाद का समय शून्य काल के नाम से जाना जाता है, जो 12 बजे से प्रारंभ होता है और एक बजे तक चलता है। इसमें बिना पूर्व सूचना के प्रश्न पूछे जाते हैं।
 22. **स्थापनापन्न प्रस्ताव**- जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान पर और उसके विकल्प के रूप में पेश किए जाएं उन्हें स्थानापन्न प्रस्ताव कहते हैं। स्थानापन्न प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने पर मूल प्रस्ताव समाप्त हो जाता है।
 23. **नियम-377 के अधीन उल्लेख**- लोकसभा में जो मामले व्यवस्था का प्रश्न नहीं होते या जो प्रश्न अल्प-सूचना प्रश्नों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों आदि से संबंधित नियमों के अधीन नहीं उठाए जाते वे मामले नियम 377 के अधीन उठाए जाते हैं।
 24. **नियम-115 के अधीन उल्लेख**- इस नियम के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की किसी मंत्री या सदस्य के वक्तव्य के तथ्य की त्रुटियों पर आपत्ति उठाने का अधिकार है।
 25. **नियम-184**- इस नियम के अंतर्गत लोकसभा सदस्य अत्यावश्यक एवं अविलंबनीय विषय पर तुरंत चर्चा की मांग कर सकते हैं। चर्चा के अंत में मत विभाजन होता है।
 26. **नियम-193**- इस नियम के द्वारा सार्वजनिक महत्व के

अविलंबनीय विषय पर अल्पकालिक चर्चा की मांग की जाती है। यह चर्चा किसी प्रस्ताव के माध्यम से नहीं होती। इस कारण चर्चा के अंत में सदन में मत विभाजन नहीं होता। केवल सभी पक्ष के सदस्यों को संबद्ध विषय पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलता है।

27. **औचित्य का प्रश्न**- औचित्य का प्रश्न सदन की कार्यवाही के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया जाता है कि क्या कार्यवाही संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार चलायी जा रही है।
28. **स्थगन (Adjournment)**- स्थगन के द्वारा सदन के कार्य को विनिर्दिष्ट समय के लिए निलंबित कर दिया जाता है। इसकी घोषणा पीठासीन अधिकारी करता है।
29. **अनिश्चित काल के लिए स्थगन (Sine Die)**- जब सदन के पीठासीन अधिकारी सदन को स्थगित करते हुए आगामी बैठक की तारीख या घोषणा नहीं करते हैं तो कहा जाता है कि सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।
30. **सत्रावसान**- सत्रावसान से सदन के सत्र का समापन हो जाता है। सत्रावसान मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा किया जाता है।
31. **विश्रांति काल**- सदन को सत्रावसान और उसके पश्चात् नए सत्र के प्रारंभ होने के बीच की अवधि को विश्रांति काल कहा जाता है।
32. **फ्लोर क्रॉसिंग**- जब एक राजनीतिक दल का सदस्य संसद या विधान सभा में अपना दल छोड़ देता है और अन्य किसी दल में सम्मिलित हो जाता है तो उसे फ्लोर क्रॉसिंग कहते हैं।
33. **कोरम या गणपूर्ति**- कोरम से तात्पर्य उस न्यूनतम सदस्य संख्या से है जो सदन में कार्यवाही के लिए आवश्यक होती है। यह अध्यक्ष सहित सदन की कुल सदस्य संख्या का दसवां भाग होता है।
34. **कंगारू क्लोजर**- संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जब संसद में किसी विधेयक पर वाद-विवाद चल रहा हो और सरकार उस पर शीघ्र निर्णय करना चाहती है तो अध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी प्रस्तावित संशोधनों में से महत्वपूर्ण संशोधनों का चयन कर लेता है, ताकि आगे सिर्फ उन्हीं पर चर्चा हो।
35. **सहकारी संघवाद**- एक सहयोगी संघवाद में यह आवश्यक है कि संघीय व्यवस्था में संघ की सरकार एवं राज्यों की सरकारों में वांछनीय विषयों, कार्यक्षेत्र एवं शक्तियों के वितरण में सहभागिता एवं सामूहिकता की भावना हो। संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल आस्टिक ने भारतीय संघीय व्यवस्था को सहकारी परिसंघ की संज्ञा दिया है।
36. **दबावकारी गुट (Pressure Group)**- व्यक्तियों का ऐसा

वर्ग या समूह जिसके समान हित हों। वह अपने समस्त साधनों के प्रयोग द्वारा विशेषकर शासनतंत्र पर प्रभाव डालकर अपने अनुकूल निर्णय करने का प्रयत्न करता है।

37. **प्रत्यावर्तन (Recall)**- वह पद्धति जिसके द्वारा निर्वाचक किसी भी निर्वाचित पदाधिकारी अथवा सदस्य को चाहे वह कार्यपालिका का हो या विधानमंडल का, वापस बुला सकता है अथवा पद-च्युत करा सकता है।
38. **तदर्थ समिति**- यह समिति समय-समय पर किसी भी सदन में सभापति अथवा लोक सभाध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित हेतु बनायी जाती है, जो किसी विशेष पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।
39. **परामर्शदायी समिति**- इस समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य शासकीय नीतियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार एवं संसद सदस्यों के मध्य अनौपचारिक विचार-विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करना होता है।
40. **संसदीय सलाहकार समिति**- इस समिति का गठन विधायिका की समय-सारणी को निर्धारित करने तथा अन्य संसदीय व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह समिति लोकसभा के उन मामलों (व्यवहारों) को देखती है, जो भावनाओं व नैतिकता से संबंधित होते हैं। यह सदन को व्यवहारानुरूप कार्यवाही करने हेतु अनुशंसा करती है।
42. **व्हिप/सचेतक (Whip)**- व्हिप एक प्रकार का आवश्यक निर्देश है जो दलीय अनुशासन के लिए प्रयुक्त होता है। व्हिप जारी करने पर संबंधित दल का सदस्य इसका उल्लंघन नहीं कर पाता है। यदि कोई सदस्य इसका उल्लंघन करता है तो वह दल-बदल के तहत दल से निष्काषित किया जा सकता है।
43. **अनिर्धारित प्रस्ताव (No day-yet-Named Motion)**- ऐसा प्रस्ताव जो कि अध्यक्ष द्वारा बहस के लिए स्वीकार कर लिया गया है, किंतु बहस के लिए कोई तिथि या दिन निर्धारित नहीं किया गया है, अनिर्धारित प्रस्ताव कहा जाता है।
44. **ध्यानाकर्षण प्रस्ताव**- लोकसभाध्यक्ष की अनुमति से जब कोई संसद सदस्य सार्वजनिक हित की दृष्टि से सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है तो उसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहते हैं।
45. **प्रतिस्थापन प्रस्ताव**- प्रतिस्थापन प्रस्ताव किसी अन्य प्रश्न पर वाद-विवाद के दौरान पेश किये जाते हैं और वे उस प्रश्न का स्थान लेने हेतु होते हैं। यद्यपि वे स्वतंत्र स्वरूप के होते हैं। कोई सदस्य किसी विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव के संबंध में प्रतिस्थापन प्रस्ताव पेश कर सकता है। जैसे-विधेयक फिर से किसी समिति को निर्दिष्ट किया जाय।
46. **अनुषंगी प्रस्ताव**- इन प्रस्तावों को विभिन्न प्रकार के कार्यों की अग्रतर कार्यवाही के लिए नियमित उपाय के रूप में सदन

- की प्रथा द्वारा मान्यता दी जाती है। जैसे-विधेयक को एक प्रवर या संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किया जाय।
47. **राष्ट्रपति का अभिभाषण-** अनुच्छेद 87 के तहत नए सदस्यों के शपथ ग्रहण करने व अध्यक्ष के चुने जाने के बाद राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। वे वर्ष के प्रथम सत्र पर ऐसा करते हैं।
48. **आवश्यकता का सिद्धांत-** इसके अनुसार यदि पक्षकार को तार्किक आधार पर यह संदेह हो, कि सार्वजनिक प्राधिकारी के मन में पक्षपात उत्पन्न हो गया है तो भी प्राधिकारी अपनी शक्ति का प्रयोग विवाद को सुलझाने के लिए कर सकता है।
49. **छद्म विधायन सिद्धांत-** कभी-कभी व्यवस्थापिका में निर्मित कानून बाह्य रूप से उसकी अपनी शक्तियों की सीमा में होते हुए भी सार क्रम में संविधान या दूसरी व्यवस्थापिका की शक्ति पर आक्रमण करता है। इन मामलों में विधि का सार महत्वपूर्ण होता है। बाह्य आकृति पर नहीं। यह छद्म विधायन कहलाता है, जिसकी अनुमति संविधान नहीं देता है।
50. **समिति प्राक्कलन-** इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्य इसके साथ सहयोजित नहीं किये जाते। यह समिति 'स्थायी मितव्यता समिति' के रूप में कार्य करती है। इसकी आलोचना और सुझाव सरकारी फिजूलखर्ची पर रोक लगाने का काम करते हैं। यह समिति वार्षिक अनुमानों की विस्तृत जांच करती है।
51. **लोक-लेखा समिति-** यह सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। इसमें 22 सदस्य होते हैं (लोकसभा-15 एवं राज्यसभा-7)। वर्ष 1967 से चली आ रही प्रथा के अनुसार विपक्ष के किसी सदस्य को इसका सभापति नियुक्त किया जाता है। लोक-लेखा समिति को कभी-कभी प्राक्कलन समिति की 'जुड़वा बहन' कहा जाता है, क्योंकि इनके कार्य एक दूसरे के पूरक हैं। प्राक्कलन समिति सार्वजनिक व्यय के अनुमान संबंधी कार्य करती है और लोक-लेखा समिति मुख्यतया भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गयी राशियों का विनियोग दर्शाने वाले लेखाओं की जांच करती है।
52. **सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति-** इसमें 22 सदस्य हैं। (15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा द्वारा) इसका सभापति अध्यक्ष द्वारा समिति के लोकसभा से निर्वाचित हुए सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है। निगम और सरकारी कंपनियाँ जिन्हें आमतौर पर सार्वजनिक उपक्रम कहा जाता है। इन पर लगायी धनराशियाँ चूँकि भारत की संचित निधि से ली गयी हैं। अतः लोकसभा का यह दायित्व हो जाता है। कि वह उनके कार्यों पर पर्याप्त नियंत्रण रखे। इस प्रयोजन के लिए संसद द्वारा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति गठित की गयी है। समिति द्वारा जांच सामान्य रूप से उपक्रम के मूल्यांकन के स्वरूप की जाती है।
53. **कार्यमंत्रणा समिति-** यह सदन संबंधी समिति है। प्रत्येक सदन में एक कार्य मंत्रणा समिति सहित इस समिति के 15 सदस्य हैं। राज्य सभा में उपसभापति सहित इसके 11 सदस्य हैं। इसका कार्य यह सिफारिश करना है कि सरकार द्वारा लाये जाने वाले विधायी तथा अन्य कार्य को निपटाने के लिए कितना समय नियत किया जाय। राज्यसभा में यह सिफारिश करती है कि गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प पर कितना समय नियत किया जाय।
54. **नियम समिति-** प्रत्येक सदन की एक नियम समिति है। लोकसभा में इसके 15 तथा राज्य में 16 सदस्य हैं। इसके निम्न कार्य हैं:
- (i) सदन में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के मामलों पर विचार करना।
 - (ii) नियमों में ऐसे किन्हीं संशोधनों की या परिवर्द्धनों की सिफारिश करना जो आवश्यक समझें जाय।
55. **याचिका समिति-** प्रत्येक सदन की एक याचिका समिति है। लोकसभा में इसके 15 सदस्य या राज्यसभा में 10 सदस्य हैं। संसदीय लोकतंत्र में, शिकायतें व्यस्त करने और उनका याचिकाएं पेश करना लोगों का अंतर्निहित अधिकार होता है। इस अधिकार का प्रयोग याचिका समिति के माध्यम से किया जाता है। यह समिति याचिका में की गयी विशिष्ट शिकायतों पर सदन में प्रतिवेदन पेश करती है। यह उपचारात्मक उपायों का सुझाव देती है। यह उन पीड़ित और दमन के शिकार नागरिकों के लिए वास्तविक राहत का साधन बन चुकी है जिन्हें अन्यत्र कोई उपचार या राहत नहीं मिलती। इस प्रकार यह समिति "आम्बुडेसमैन" या "सार्वजनिक शिकायत समिति" का रूप लेने की क्षमता रखती है।
56. **विशेषाधिकार समिति-** यह समिति आमतौर पर दोनों सदनों में उनके पीठासीन अधिकारियों द्वारा प्रत्येक वर्ष गठित की जाती है। लोकसभा में इसके 15 सदस्य और राज्यसभा में 10 सदस्य हैं। यह समिति प्रत्येक सत्र में गठित की जाती है। जब किसी संसदीय विशेषाधिकार के भंग होने का प्रश्न उत्पन्न होता है तो सदन के उससे निपटने के लिए सक्षम होते हुए भी उसे समान्यतया जांच एवं छानबीन के लिए और प्रतिवेदन देने के लिए विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया जाता है। इस समिति के कृत्य अर्द्ध-न्यायिक स्वरूप के हैं और इसमें व्यापक शक्तियाँ निहित हैं।
57. **प्रत्यर्पण (Extradition)-** जब कोई अपराधी या व्यक्ति जिस पर अपराध का आरोप लगाया गया हो, उस राज्य का क्षेत्रीय सीमा से, जहाँ उस पर अपराध का जुर्म लगाया गया हो या मुकदमा

चलाया गया हो, भाग निकले और दूसरे राज्य की क्षेत्रीय सीमा में चल जाए तो ऐसे व्यक्ति को दूसरे राज्य की क्षेत्रीय सीमा में लाये जाने की प्रक्रिया प्रत्यर्पण कहलाती है।

58. **गेलप पोल (Gallop Poll)**-लोकमत जानने की एक विशेष पद्धति। इस पद्धति के अंतर्गत समाज के कुछ प्रतिनिधि वर्गों से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके आधार पर निर्वाचन परिणामों की घोषणा की जाती है।
59. **न्यायिक पुनरीक्षण (Judicial Review)**- एक सांविधानिक सिद्धांत जिसके अनुसार न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त होता है कि यदि विधानमंडल द्वारा पास की गई विधियाँ अथवा कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेश संविधान के उपबंधों के प्रतिकूल हों तो वे उन्हें रद्द घोषित कर सकते हैं।
60. **पंगु सत्र (Lame Duck Session)**- एक विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने और उसके उत्तराधिकारी विधानमंडल का विविध उद्घाटन होने के बीच की अवधि में होने वाला सत्र।
61. **वीटो (Veto)**- वीटों का अधिकार एक ऐसी शक्ति है, जो किसी देश या संस्थान के द्वारा उसके कुछ प्रमुख व्यक्ति सदस्यों को दिया जाता है। इस शक्ति का प्रयोग बहुमत से सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णय को रोकने के लिए किया जाता है।
62. **भारत में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति**- इसका वर्णन संविधान में स्पष्ट तौर पर नहीं किया गया है, किंतु भारतीय राष्ट्रपति अनुच्छेद-74, 200 और 201 के तहत आत्यंतिक, विलंबनकारी तथा जेबी वीटो के मिले-जुले रूपों का प्रयोग करता है।
63. **आत्यंतिक वीटो (Absolute Veto)**- भारतीय राष्ट्रपति को यह शक्ति अप्रत्यक्ष रूप से मिली हुई है। आत्यंतिक वीटो का अर्थ है, किसी पारित विधेयक को अनुमति नहीं देना। यह शक्ति मुख्यतः इंग्लैंड के राजतंत्र के पास होती थी, जिसमें संसद के अधिनियमों को अनुमति न देना शामिल था।
64. **निलंबनकारी वीटो**- इसका प्रयोग विधेयक को कुछ समय तक अधिनियम बनने से रोकने के लिए किया जाता है। यह शक्ति जो भारतीय राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से मिली हुई है।
65. **जेबी वीटो**- इसके तहत राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को न अनुमति देता है और न ही पुनर्विचार के लिए वापस करता है। इसके द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति किसी विधेयक को कानून बनने से रोक सकता है। यही व्यवस्था भारतीय राष्ट्रपति के लिए भी है, जिसका प्रयोग उन्होंने अब तक तीन बार किया है।
66. **आम चुनाव (साधारण चुनाव)**- नई लोकसभा अथवा विधान सभा गठित करने के लिए होने वाले चुनावों को आम चुनाव कहा जाता है।
67. **उपचुनावः**- यदि किसी समय लोकसभा अथवा विधान सभा के कार्यकाल के बीच किसी सदस्य की मृत्यु अथवा त्यागपत्र

देने से स्थान रिक्त होता है तो उस स्थान/सीट के लिए होने वाले चुनाव को उपचुनाव कहते हैं।

68. **मध्यावधि चुनाव**- यदि लोकसभा अथवा राज्य विधान सभा को पांच वर्ष की कार्यवधि से पूर्व भंग कर दिया जाता है और नई लोकसभा अथवा विधानसभा गठित करने के लिए होने वाले चुनावों को मध्यावधि चुनाव कहते हैं।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन एवं विधिमान्यकरण)

विधेयक, 2013

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2013 को संसद ने पारित कर दिया। राज्यसभा में यह पहले ही पारित हो चुका है। इसके तहत जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के खंड 62 में संशोधन किया गया है।

- ◆ संशोधित कानून के अनुसार हिरासत या कैद में होने के बावजूद कोई व्यक्ति मतदाता बना रहेगा क्योंकि उसके मतदान के अधिकार को सिर्फ अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है।
- ◆ इस विधेयक के तहत जेल में बंद होने के दौरान चुनाव लड़ने तथा अपील के लंबित होने के दौरान सांसदों एवं विधायकों की सदस्यता बरकरार रखने की अनुमति देने का प्रावधान है। हालांकि इस दौरान उन्हें मतदान और वेतन हासिल करने का अधिकार नहीं रहेगा।

लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक

46 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के पश्चात् देश में लोकपाल की स्थापना की दिशा में मार्ग दिसंबर, 2013 में उस समय प्रशस्त हो गया, जब इसके लिए लाए गए विधेयक (लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011) को संसद के दोनों सदनों ने पारित किया। जिसके पश्चात् राष्ट्रपति का अनुमोदन भी वर्ष 2014 के पहले ही दिन प्राप्त हो गया।

लोक सभा में लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक-2011 को पहले ही दिसंबर 2011 में पारित किया जा चुका था, जबकि राज्य सभा में (21 मई, 2012 को) इसे प्रवर समिति (Select Committee) को संदर्भित किया गया था। समिति द्वारा सुझाए गए सभी संशोधनों के साथ राज्य सभा ने 17 दिसंबर, 2013 को इस पारित किया। संशोधन के साथ पारित होने के कारण लोकसभा की इसके लिए पुनः मंजूरी आवश्यक हो गई थी।

- ◆ प्रस्तावित लोकपाल में अध्यक्ष के अतिरिक्त अधिकतम 8 सदस्य होंगे। सर्वोच्च न्यायालय का कोई पूर्व मुख्य न्यायाधीश या फिर कोई अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति इसका अध्यक्ष हो सकेगा।
- ◆ सदस्यों से आधे न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए। इसके अतिरिक्त कम-से-कम आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से होने चाहिए।
- ◆ कोई संसद सदस्य या किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की विधान सभा का सदस्य या कोई व्यक्ति जिसे किसी किस्म

के नैतिक भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र अध्यक्ष या सदस्य का पद ग्रहण करने तक 45 वर्ष न हुई हो या किसी पंचायत या निगम का सदस्य ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य या केंद्र सरकार की नौकरी से बर्खास्त या हटाया गया हो, इसका सदस्य नहीं हो सकता।

- ◆ लोकपाल कार्यालय में नियुक्ति समाप्त होने के बाद अध्यक्ष और सदस्यों के लिए कुछ काम करने के लिए प्रतिबंध होगा। इनकी अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, इन्हें कोई कूटनीतिक जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। इसके अतिरिक्त ऐसी कोई भी जिम्मेदारी या नियुक्ति इन्हें मिल सकती जिसके लिए राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर और मुहर से वारंट जारी करना पड़े।
- ◆ पद छोड़ने के पांच वर्ष बाद तक ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के किसी सदन, किसी राज्य विधान सभा या नियम या पंचायत के रूप में चुनाव नहीं लड़ सकते।
- ◆ लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्यों के लिए चयन समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, जबकि लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुशंसा पर नामित सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश तथा राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य होंगे।
- ◆ इसी प्रकार राज्यों में गठित किए जाने वाले लोकायुक्त का भी एक अध्यक्ष होगा, जो राज्य के उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश या फिर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है।
- ◆ लोकायुक्त में भी अधिकतम आठ सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से आधे न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए। इसके अलावा कम-से-कम आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से होने चाहिए।
- ◆ केंद्रीय स्तर पर गठित लोकपाल की जाँच के दायरे में प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद और केंद्र सरकार के समूह ए, बी, सी, डी के अधिकारी और कर्मचारी आएंगे, जबकि राज्यों में लोकायुक्त के दायरे में मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्री, विधायक और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल होंगे।
- ◆ कुछ मामलों में लोकपाल की दीवानी अदालत के अधिकार भी प्राप्त होंगे। भ्रष्ट अधिकारी की संपत्ति को अस्थायी तौर पर अटैच करने का अधिकार लोकपाल के पास होगा तथा विशेष परिस्थितियों में भ्रष्ट तरीके से कमाई संपत्ति, आय, प्राप्तियों या फायदों को जब्त करने का अधिकार भी इसे प्राप्त होगा।

मतदाताओं को राइट टू रिजेक्ट का अधिकार

सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम की अगुवाई वाली पीठ द्वारा दिए फैसले के अनुसार, मतदाताओं के

पास नकारात्मक वोट डालकर चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों को अस्वीकार करने का अधिकार है।

- ◆ उच्चतम न्यायालय के अनुसार, नकारात्मक मतदान (निगोटिव वोटिंग) से चुनावों में शुचिता और जीवंतता को बढ़ावा मिलेगा तथा व्यापक भागीदारी भी सुनिश्चित होगी।
- ◆ पीठ के अनुसार, नकारात्मक मतदान की अवधारणा में निर्वाचन प्रक्रिया में सर्वांगीण बदलाव होगा क्योंकि राजनीति दल स्वच्छ छवि वाले प्रत्याशियों को ही टिकट देने के लिए मजबूर होंगे।
- ◆ उच्चतम न्यायालय द्वारा फैसला पीपुल्स युनियन फॉर सिविल लिबर्टी (PUCL) की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया गया।
- ◆ पी.यू.सी.एल. ने याचिका में कहा था कि चुनाव संलयन नियम '49-ओ' के तहत लोगों को वोट न देने की अनुमति तो दी जाती है, लेकिन यह मतदान की गोपनीयता के सिद्धांत तथा अनुच्छेद 19(1) (ए) तथा चुनाव कानून की धारा 128 का उल्लंघन है।
- ◆ उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और मतपत्र में उम्मीदवारों की सूची में सबसे नीचे 'उपरोक्त में से कोई नहीं' का विकल्प दे।
- ◆ पीठ के फैसले के अनुसार, चुनावों में उम्मीदवार को खारिज करने का अधिकार मौलिक अधिकार है, जो संविधान के तहत भारतीय नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत मिला है।
- ◆ यह व्यवस्था देते हुए पीठ ने यह नहीं बताया कि अगर 'कोई नहीं' के तहत पड़ने वाले मत उम्मीदवारों को मिलने वाले वोट से ज्यादा होते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा।
- ◆ दुनिया में अलग-अलग देशों में 'राइट टू रिजेक्ट' या None of the above जैसे विकल्प बलेट पेपर या वोटिंग मशीन पर उपलब्ध रहते हैं।
- ◆ अमेरिका के कई राज्यों बेलजियम, फ्रांस, ब्राजील, यूनान, चिली, फिनलैंड, स्वीडन, यूक्रेन, स्पेन, पोलैंड और कंबोडिया में मतदाताओं के पास 'राइट टू रिजेक्ट' का विकल्प मौजूद है।
- ◆ रूस में भी मतदाताओं को 'राइट टू रिजेक्ट' दिया गया था, लेकिन 2006 में इसे समाप्त कर दिया गया।
- ◆ बांग्लादेश में 2008 में मतदाताओं को यह अधिकार प्रदान किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् पहली बार नवंबर-दिसंबर 2013 में पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और मिजोरम) में हुए विधानसभा चुनावों में 'नोटा' (None of The Above-NOTA) का प्रयोग किया गया था।

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् एवं सुरक्षा सलाहकार

भारत की राष्ट्रीय परिषद् (The National Security Council of India-NSC) देश की राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा और सामरिक

सुरक्षा से संबंधित विषयों पर नजर रखने वाली शीर्ष एजेंसी है। एनएससी का गठन पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा 19 नवंबर, 1998 को किया गया था। 'ब्रजेश मिश्रा' प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किये गए थे। एनएससी के गठन से पूर्व इन गतिविधियों पर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव द्वारा नजर रखी जाती थी।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अलावा भारत सरकार के रक्षा, विदेश, गृह एवं वित्त मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य होते हैं। अन्य विभागों से जुड़े सदस्यों को भी आवश्यकतानुसार इसकी मासिक बैठक में बुलाया जा सकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (National Security Advisor) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सभी विषयों पर वे भारत के प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार होते हैं। रॉ (Research and analysis wing-Raw) और इंटेलेजेंस ब्यूरो जैसी देश के प्रमुख खुफिया एजेंसियां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को ही रिपोर्ट करती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर 'एम. के. नारायणन' और हाल ही में इस पर नियुक्त 'अजीत कुमार डोभाल' को छोड़कर (दोनों भारतीय पुलिस सेवा से हैं) सभी भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी ही नियुक्त हुए हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियमित रूप से देश के आंतरिक और बाहरी खतरों से संबंधित सभी प्रमुख विषयों पर प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चीन के साथ सीमा विवाद के मुद्दे पर होने वाले वार्ता में भारत के प्रधानमंत्री के विशेष वार्ताकार भी रहे हैं। ये प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर उनके साथ होते हैं। देश के प्रमुख खुफिया विभाग के प्रमुख अपनी रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री को सौंपने के बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ही इन रिपोर्टों को प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को एक उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।


संसद में महिला प्रतिनिधित्व

संसद में महिला प्रतिनिधियों के संख्या के आधार पर राष्ट्रों का रैंक करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था अंतर संसदीय संघ (Inter Parliamentary Union, IPU) द्वारा तैयार की गयी सूची में 189 देशों में भारत का 111वां स्थान है। निचले सदन (लोकसभा) में 62 महिलाओं की मौजूदगी के साथ भारत को 111वें नंबर पर रखा गया है, जो कुल 54 सांसदों का 11.4 फीसदी है। ऊपरी सदन में 245 सांसदों में 28 महिला हैं जो 11.4 फीसदी हैं। संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम करने वाले आईपीयू ने संसद में महिलाओं की संख्या के आधार पर देशों की रैंक की है। ये आंकड़े राष्ट्रीय संसदों द्वारा 1 जनवरी, 2014 तक उपलब्ध करा गयी सूचना पर आधारित है। इस संबंध सर्वेक्षण के दायरे में आए 189 दे-

की सूची में रवांडा शीर्ष पर हैं, जहां उसके निचले सदन में 60 फीसदी महिलाएँ हैं। अमेरिका और कनाडा की स्थिति इस सूची में क्रमशः 83वें और 54वें नंबर पर है। हालांकि चीन में दो फीसदी का इजाफा दर्ज किया गया है। दक्षिण एशिया में नेपाल में महिला सांसदों का प्रतिशत सर्वाधिक है लेकिन इसके बावजूद यह 30 फीसदी से नीचे है। इस सूची में स्थान हासिल करने वाले शीर्ष 10 देशों में 4 अफ्रीका महाद्वीप से हैं। करीब 20 साल पहले संसदों में महिलाओं का प्रतिशत 10 से कम था, लेकिन आज यह आंकड़ा 22.5% तक पहुंच गया है।

सांसदों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर संसदीय संघ ने अपने वार्षिक विश्लेषण में कहा है कि दुनियाभर में अधिक संख्या में महिलाओं को संसद के लिए चुना गया है और यदि मौजूदा चलन जारी रहता है तो एक पीढ़ी से भी कम के समय में लैंगिक समानता के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

आईपीयू आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2013 में हुए चुनावों के परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर संसदों में महिलाओं की भागीदारी में 1.5 फीसदी का इजाफा हुआ है। आईपीयू महासचिव एंडर्स जॉनसन ने कहा कि यह बहुत अधिक नहीं दिखता, लेकिन अभी संसदों में 22 फीसदी महिलाएँ हैं। यदि 1.5 फीसदी की इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो 20 साल के भीतर ही विश्व स्तर पर संसदों में लैंगिक समानता हो जाएगी। रिपोर्ट ने बताया है कि संसद तक महिलाओं की पहुंच कई कारणों से प्रभावित होती है, जिसमें संसदों तक महिलाओं को पहुंचाने में आरक्षण एक मुख्य माध्यम है। आईपीयू ने कहा है कि आरक्षण महत्वाकांक्षी व व्यापक होना चाहिए और उसे प्रभावकारी बनाने के लिए उसका क्रियान्वयन होना चाहिए।



भारत के उप-प्रधानमंत्री		
	नाम	कार्यकाल
1.	सरदार वल्लभभाई पटेल	1947-50
2.	मोरारजी देसाई	1967-69
3.	चरण सिंह एवं जगजीवनराम	1979-79
4.	वाई. बी. चह्माण	1979-80
5.	देवीलाल	1989-90
6.	देवी लाल	1990-91
7.	एल. के. आडवानी	2002-04

लोकसभा अध्यक्ष	
नाम	कार्यकाल
गणेश वासुदेव मालवकर	1952-56
एम. ए. आयकर	1956-62
हुकुम सिंह	1962-67
नीलम संजीव रेड्डी	1967-69
डॉ. गुरदायल सिंह दिल्ली	1969-75
बलिराम भारत	1976-77
नीलम संजीव रेड्डी	1977 (मार्च-जुलाई)
के. डी. हेगडे	1977-79
डॉ. बलराम जाखड़	1980-89
रवि राय	1989-91
शिवराज वी. पाटिल	1991-96
पी.ए. संगमा	1996-98
जी.एम. सी बालयोगी	1998-2002
पी.एम सईद (कार्यवाहक)	मार्च 2002-मई 2002
मनोहर गजानन जोशी	मई 2002-मई 2004
सोमनाथ चटर्जी	2004-09
मीरा कुमार (प्रथम महिला) स्पीकर)	2009-14
सुमित्रा महाजन	6 जून 2014-अब तक

मुख्य निर्वाचन आयुक्त	
सुकुमार सेन	21-3-1950 से 19-12-1958
के. वी. के. सुंदरम	20-12-1958 से 30-9-1997
एस. पी. सेन वर्मा	1-10-1967 से 30-9-1972
डॉ. नगेंद्र सिंह	1-10-1972 से 6-2-1973
टी. स्वामीनाथन	7-3-1973 से 17-6-1977
एस. एस. शकधर	18-6-1977 से 17-6-1982
आर. के. त्रिवेदी	18-6-1982 से 31-12-1985
आर. वी. एस. पेरी शास्त्री	11-1-1986 से 25-11-1990
वी. एस. रामादेवी	26-11-1990 से 11-12-1990
टी. एन. शेषन	12-12-1990 से 11-12-1996
एम. एस. गिल	12-12-1996 से 13-6-2001
जे. एम. लिंगदोह	14-6-2001 से 7-2-2004
टी. एस. कृष्णमूर्ति	8-2-2004 से 15-5-2005
बी. बी. टंडन	16-5-2005 से 29-6-2006
एन. गोपालस्वामी	30-6-2006 से 20-4-2009
नवीन चावला	21-4-2009 से 29-7-2010
एसवाई कुरैशी	30-7-2010 से 2012
बी. एस. समपथ	2012 से अभी तक

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की सूची		
क्र. नाम	अवधि	प्रधानमंत्री
1. ब्रजेश मिश्रा (I.F.S)	नवंबर 1998 - मई 2004	अटल बिहारी वाजपेयी
2. जे.एन.दीक्षित (I.F.S)	मई 2004 जनवरी 2005	डॉ. मनमोहन सिंह
3. एम के.नारायणन (I.P.S)	जनवरी 2005 -जनवरी 2010	डॉ. मनमोहन सिंह
4. शिवशंकर मेनन (I.F.S)	जनवरी 2010 -मई 2014	डॉ. मनमोहन सिंह
5. अजित कुमार डोभाल (I.P.S)	मई 2014 अब तक	नरेंद्र मोदी

लोकसभा उपाध्यक्ष	
नाम	कार्यकाल
अनंतशयनम आयंगर	मई 1952 मई 1956
सरदार हुकुम सिंह	मई 1956-मार्च 1962
कृष्णमूर्ति राव	अप्रैल 1962-मार्च 1967
आर. के. खांडिलकर	मार्च 1967-नवंबर 1969
जी. जी. स्वेल	दिसंबर 1969-जनवरी 1977
गुडे मुरहारी	अप्रैल 1977-अगस्त, 1979
जी. लक्ष्मणन	फरवरी 1980-दिसंबर 1984
थांबी दुराई	जून 1985-मार्च 1991
एस. मल्लिकार्जुनय्या	अगस्त 1991-मार्च 1996
सूरजभान	जुलाई 1996-दिसंबर 1997
पी. एम. सईद	दिसंबर 1988-अप्रैल 1999
पी. एम. सईद	अक्टूबर 1999-फरवरी 2004
चरणजीत सिंह अटवाल	जून 2004-मई 2009
करिया मुंडा	जून 2009-अभी तक
भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक	
नाम	कार्यकाल
वी. नरहरि राव	1984-54
ए. के. चंदा	1954-60
ए. के. राय	1960-66
एस. रंगनाथन	1966-72
ए. बक्शी	1972-78
ज्ञान प्रकाश	1978-84
टी. एन. चतुर्वेदी	1984-90
सी. जी. सौम्या	1990-96
वी. के. शुंगलू	1996-2002
वी. एन. कौल	2002-08
विनोद राय	2008-2013
शशिकांत शर्मा	2013 से अभीतक

भारत के उपराष्ट्रपति	
नाम	कार्यकाल
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	1952-62
डॉ. जाकिर हुसैन	1962-67
वी.वी.गिरी	1967-69
गोपाल स्वरूप पाठक	1969-74
बी. डी. जत्ती	1974-79
न्यायमूर्ति मुहम्मद हिदायतुल्ला	1979-84
आर. वेंकटरमण	1984-87
डॉ. शंकर दयाल शर्मा	1987-92
के. आर. नारायणन	1992-97
कृष्णाकांत	1997-2002
भैरो सिंह शेखावत	2002-07
मोहम्मद हामिद अंसारी	2007 से अब तक

भारत के राष्ट्रपति		
क्रम	नाम	कार्यकाल
1.	डॉ. राजेंद्र प्रसाद	26 जनवरी 1950-13 मई 1962
2.	डॉ. एस. राधाकृष्णन	13 मई 1962-13 मई 1967
3.	डॉ. जाकिर हुसैन	13 मई 1967-3 मई 1969
4.	वी.वी गिरी (कार्यवाहक)	3 मई 1969-20 जुलाई 1969
5.	न्यायमूर्ति मुहम्मद हिदायतुल्ला कार्यवाहक	20 जुलाई 1969-24 अगस्त 1969
6.	वी.वी गिरि	24 अगस्त 1969-24 अगस्त 1974
7.	फखरुद्दीन अली अहमद	24 अगस्त 1974-11 फरवरी 1977
8.	बी.डी. जत्ती (कार्यवाहक)	11 फरवरी 1977- 25 जुलाई 1977
9.	नीलम संजीव रेड्डी	25 जुलाई 1977-25 जुलाई 1982
10.	ज्ञानी जैल सिंह	22 जुलाई 1982-25 जुलाई 1987
11.	आर. वेंकटरमण	25 जुलाई 1987-25 जुलाई 1992
12.	डॉ. शंकर दयाल शर्मा	25 जुलाई 1992-25 जुलाई 1997
13.	के. आर नारायणन	25 जुलाई 1997-25 जुलाई 2002
14.	डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम	25 जुलाई 2002-25 जुलाई 2007
15.	प्रतिभा देवी सिंह पाटिल	25 जुलाई 2007-25 जुलाई 2012
16.	प्रणब मुखर्जी	25 जुलाई 2012-आज तक

भारत के प्रधानमंत्री		
क्र.	नाम	कार्यकाल
1.	जवाहर लाल नेहरू	15 अगस्त 1947-27 मई 1964
2.	गुलजारी लाल नंदा (कार्यवाहक)	27 मई 1964-9 जून 1964
3.	लालबहादुर शास्त्री	9 जून 1964-11 जनवरी 1966
4.	गुलजारी लाल नंदा (कार्यवाहक)	11 जनवरी 1966-24 जनवरी 1966
5.	इंदिरा गांधी	24 जनवरी 1966-24 मार्च 1977
6.	मोरारजी देसाई	24 मार्च 1977-28 जुलाई 1979
7.	चरण सिंह	28 जुलाई 1979-14 जनवरी 1980
8.	इंदिरा गांधी	14 जनवरी 1980-31 अक्टूबर 1984
9.	राजीव गांधी	31 अक्टूबर 1984-1 दिसंबर 1989
10.	विश्वनाथ प्रताप सिंह	2 दिसंबर 1989-10 नवंबर 1990
11.	चंद्रशेखर	10 नवंबर 1990-21 जून 1991
12.	पी.वी. नरसिंहा राव	21 जून 1991-16 मई 1996
13.	अटल बिहारी वाजपेयी	16 मई 1996-1 जून 1996
14.	एच.डी. देवगौड़ा	1 जून 1996-21 अप्रैल 1997
15.	आई. के. गुजराल	21 अप्रैल 1997-18 मार्च 1998
16.	अटल बिहारी वाजपेयी	19 मार्च 1998-13 अक्टूबर 1999
17.	अटल बिहारी वाजपेयी	13 अक्टूबर 1999-21 मई 2004
18.	मनमोहन सिंह	22 मई 2004-21 मई 2009
19.	मनमोहन सिंह	22 मई 2009-अब तक

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष		
1.	न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र	1993-96
2.	न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटलैया	1996-99
3.	न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा	1999-2003
4.	न्यायमूर्ति ए. एस. आनंद	2003-06
5.	न्यायमूर्ति डॉ. शिवराज पाटिल (कार्यवाहक)	2006-06
6.	न्यायमूर्ति मैथु कोशी	2007-09
7.	न्यायमूर्ति गोविंद प्रसाद माथुर (कार्यवाहक)	2009-10
8.	न्यायमूर्ति के. जी. बालकृष्णन	2010 से अब तक

भारत के महान्यायवादी		
	नाम	कार्यकाल
1.	एम. सी. सीतलवाड़	1950-63
2.	सी. के. दफ्तरी	1963-68
3.	निरन डे	1968-77
4.	एस. वी. गुप्ता	1977-79
5.	एल. एन. सिन्हा	1979-83
6.	के. पराशरन	1983-89
7.	सोली जे. सोराबजी	1989-90
8.	जी. रामास्वामी	1990-92
9.	मिलन के बनर्जी	1992-96
10.	अशोक देसाई	1996-98
11.	सोली जे. सोराबजी	1998-2004
12.	मिलन के. बनर्जी	2004-09
13.	गुलाम ई. वाहनती	2009 से अभी तक

अब तक के अल्पसंख्यक आयोग	
गैर वैधानिक आयोग	
◆	पहला 1978-81 अध्यक्ष: एम. आर. मसानी
◆	दूसरा 1981-84 अध्यक्ष: एम. एच. बेग
◆	तीसरा 1984-87 अध्यक्ष: एम. एच. बेग
◆	चौथा 1987-90 अध्यक्ष: एम. एच. बेग
◆	पाँचवां 1990-93 अध्यक्ष: एस.एम.एच.बर्नी
वैधानिक आयोग	
◆	पहला 1993-96 अध्यक्ष: जिस्टिस मो. सरदार अली खान
◆	दूसरा 1996-99 अध्यक्ष: प्रो. ताहिर महमूद
◆	तीसरा 2000-03 अध्यक्ष: न्यायमूर्ति मो. शमिम
◆	चौथा 2003-06 अध्यक्ष: एस. तरलोचन सिंह
◆	पाँचवां 2006-09 अध्यक्ष हामिद अंसारी (2007 तक)
◆	छठा 2011-14 अध्यक्ष: वजाहत हबिबुल्लाह

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता		
1.	सुश्री जयंती पटनायक	1992-95
2.	डॉ. बी मोहिनी गिरी	1995-98
3.	सुश्री विभा पार्थसारथी	1999-2002
4.	डॉ. पूर्णिमा आडवाणी	2002-05
5.	डॉ. गिरिजा व्यास	2005-11
6.	सुश्री ममता शर्मा	2011 से अब तक

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की अध्यक्ष		
1.	सूरज भान	2004-07
2.	बूटा सिंह	2007-10
3.	पी. एल पुनिया	2010 से अब तक

मुख्य न्यायाधीश एवं उनके कार्यकाल	
न्यायाधीश	कार्यकाल
न्या. हीरालाल जे. कानिया	26 जनवरी 1950-6 नवंबर 1951
न्या. एम पतंजलि शास्त्री	7 नवंबर 1951-3 जनवरी 1954
न्या. मेहर चंद महाजन	4 जनवरी 1954-22 दिसंबर 1954
न्या. बी. के. मुखर्जी	23 दिसंबर 1954-31 जनवरी 1956
न्या. एस. आर. दास	1 फरवरी 1956-30 सितंबर 1959
न्या. भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा	1 अक्टूबर 1959-31 जनवरी 1954
न्या. पी. के. गजेंद्र गडकर	1 फरवरी 1964-15 मार्च 1966
न्या. ए. के. सरकार	16 मार्च, 1966-29 जून 1966
न्या. के. सुब्बाराव	30 जून 1966-11 अप्रैल 1967
न्या. के. एन. वांचू	12 अप्रैल 1967-24 फरवरी 1968
न्या. एम. हिदायतुल्ला	25 फरवरी 1968-16 दिसंबर 1970
न्या. जे. सी. शाह	17 दिसंबर 1970-21 जनवरी 1971
न्या. एस. एम. सिकरी	22 जनवरी 1971-25 अप्रैल 1973
न्या. अजती नाथ रे	26 अप्रैल 1973-27 जनवरी 1977
न्या. एम. एच. बेग	28 जनवरी 1977-21 फरवरी 1978
न्या. यशवंत विष्णु चंद्रचूड़	22 फरवरी 1978-1 जुलाई 1985
न्या. पी. एन. भगवती	12 जुलाई 1985-20 दिसंबर 1986
न्या. रघुनंदन स्वरूप पाठक	21 दिसंबर 1986-16 जून 1989
न्या. ई. एस. वेंकटरामन	17 जून 1989-17 दिसंबर 1989
न्या. सब्यसाची मुखर्जी	18 दिसंबर 1989-25 सितंबर 1990
न्या. रंगनाथ मिश्रा	26 दिसंबर 1990-24 नवंबर 1991
न्या. के. एन. सिंह	25 नवंबर 1991-12 दिसंबर 1991
न्या. एम. एच. कानिया	13 दिसंबर 1991-17 नवंबर 1992
न्या. ललित मोहन शर्मा	18 नवंबर 1992-11 फरवरी 1993
न्या. एम. एन. वेंकटचलैया	12 फरवरी 1993-24 अक्टूबर 1994
न्या. जे. एस. वर्मा	25 मार्च 1997-17 जनवरी 1998
न्या. एम. एम. पुंछी	18 जनवरी 1998-9 अक्टूबर 1998
न्या. डॉ. आदर्श सेन आनंद	10 अक्टूबर 1998-31 अक्टूबर 2001
न्या. एस. पी. भरूचा	1 नवंबर 2001-5 मई 2002
न्या. बी. एन. किरपाल	6 मई 2002-7 नवंबर 2002
न्या. जी. बी. पटनायक	8 नवंबर 2002-18 दिसंबर 2002
न्या. वी. एन. खरे	19 दिसंबर, 2002-1 मई 2004
न्या. राजेंद्र बाबू	2 मई 2004-31 मई 2004
न्या. रमेश चंद्र लोहाटी	1 जून 2004-31 अक्टूबर 2005
न्या. योगेश कुमार सब्बरवाल	1 नवंबर 2005-13 जनवरी 2007
न्या. के. जी. बालाकृष्णन	14 जनवरी 2007-13 जनवरी 2007
न्या. एस. एच. कपाडिया	12 मई 2010 से अब तक
न्या. ए. कबीर	29 सितंबर 2012-18 जुलाई 2013

न्या. पी. सथाशिवम्	19 जुलाई 2013-26 अप्रैल 2014
न्या. आर. एम. लोढ़ा	27 अप्रैल 2014 से अब तक

नोट:- मुख्य न्यायाधीश के इस पद पर अब तक सबसे छोटा कार्यकाल न्यायमूर्ति के. एन सिंह का रहा, जो केवल 17 दिन देश के मुख्य न्यायाधीश रहे। इस पद पर सर्वाधिक 7 वर्ष 140 दिन का कार्यकाल वाई. वी. चंद्रमूड़ का रहा है।

भारतीय विदेश मंत्री			
क्र. सं.	विदेश मंत्री	कार्यकाल	अन्य पद
1.	जवाहर लाल नेहरू	2 सितंबर 1964-27 मार्च 1964	प्रधानमंत्री
2.	गुजारी लाल नंदा	27 मई 1964-9 जून 1964	प्रधानमंत्री
3.	लालबहादुर शास्त्री	9 जून 1964-17 जुलाई 1964	प्रधानमंत्री
4.	सरदान स्वर्ण सिंह	18 जुलाई 1964-14 नवंबर 1966	-----
5.	एस. सी. छागला	14 नवंबर 1966-5 सितंबर 1967	-----
6.	इंदिरा गांधी	6 सितंबर 1967-13 फरवरी 1969	प्रधानमंत्री
7.	दिनेश सिंह	14 फरवरी 1969-27 जून 1970	-----
8.	सरदार स्वर्ण सिंह	27 जून 1970-10 अक्टूबर 1974	-----
9.	वाई. बी. चाव्हाण	10 अक्टूबर 1970-24 मार्च 1977	-----
10.	अटल बिहारी वाजपेयी	26 नवंबर 1977-28 जुलाई 1977	प्रधानमंत्री
11.	श्यामनंदन प्रसाद सिंह	28 जुलाई 1979-13 जनवरी 1980	-----
12.	पी. वी. नरसिन्हाराव	14 जनवरी 1980-19 जुलाई 1984	प्रधानमंत्री
13.	इंदिरा गांधी	19 जुलाई 1984-31 अक्टूबर 1984	प्रधानमंत्री
14.	राजीव गांधी	31 अक्टूबर 1984-24 सितंबर 1985	प्रधानमंत्री
15.	बालीराम भगत	25 सितंबर 1985-12 मई 1986	-----
16.	पी. शिवशंकर	12 मई 1986-22 अक्टूबर 1986	-----
17.	नारायण दत्त- तिवारी	22 अक्टूबर 1986-25 जुलाई 1987	-----
18.	राजीव गांधी	25 जुलाई 1987-25 जून 1988	प्रधानमंत्री
19.	पी. वी. नरसिन्हाराव	25 जून 1988-2 दिसंबर 1989	प्रधानमंत्री
20.	विश्वनाथ प्रताप सिंह	2 दिसंबर 1989-5 दिसंबर 1989	प्रधानमंत्री
21.	आई. के. गुजराल	5 अक्टूबर 1984-24 दिसंबर 1989	प्रधानमंत्री
22.	राजीव गांधी	31 अक्टूबर 1989-24 सितंबर 1985	प्रधानमंत्री
23.	विद्या चरण शुक्ल	21 नवंबर 1990-20 फरवरी 1991	-----
24.	माधव सिंह सोलंकी	21 जून 1991-31 मार्च 1992	-----
25.	पी. वी. नरसिन्हाराव	31 मार्च 1992-18 जनवरी 1993	प्रधानमंत्री
26.	दिनेश सिंह	18 जनवरी 1993-10 फरवरी 1995	-----
27.	प्रणव मुखर्जी	10 फरवरी 1995-16 मई 1996	-----
28.	सिकंदर बख्त	21 मई 1996-1 जून 1996	-----
29.	आई. के. गुजराल	1 जून 1996-18 मार्च 1998	प्रधानमंत्री
30.	अटल बिहारी वाजपेयी	19 मार्च 1985-5 दिसंबर 1998	प्रधानमंत्री

31.	जसवंत सिंह	5 दिसंबर 1998-23 जून 2002	-----
32.	यशवंत सिन्हा	1 जुलाई 2002-22 मई 2004	-----
33.	नटवर सिंह	22 मई 2004-6 नवंबर 2005	-----
34.	मनमोहन सिंह	6 नवंबर 2005-24 अक्टूबर 2006	प्रधानमंत्री
35.	प्रणव मुखर्जी	24 अक्टूबर 2006-22 मई 2009	-----
36.	एस. एम कृष्णा	22 मई 2009-26 अक्टूबर 2012	-----
37.	सलमान खूर्शीद	28 अक्टूबर 2012-26 मई 2014	-----
38.	सुषमा स्वराज	26 मई 2014- अब तक	-----

विधानपरिषद् एवं विधानसभा: एक तुलना

क्र.	विधानपरिषद्	क्र.	विधानसभा
1.	विधानपरिषद् राज्य विधानमंडल का उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन होता है।	1.	विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन अथवा प्रथम सदन होता है।
2.	विधान परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है।	2.	विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण वयस्क मताधिकार के आधार पर साधारण बहुमत की पद्धति द्वारा होता है।
3.	विधानपरिषद् एक स्थायी निकाय है, जिसका विघटन नहीं किया जा सकता, परंतु एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष की समाप्ति के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा इनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।	3.	विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा इसे भंग किया जा सकता है।
4.	विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या अधिक-से-अधिक राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या की एक-तिहाई होती है, परंतु वह 40 से कम किसी अवस्था में नहीं हो सकती। (अपवाद-जम्मू-कश्मीर (36 सीट))	4.	विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिक-से-अधिक 500 तथा कम-से-कम 60 हो सकती है। (अपवाद-गोवा (40), मिजोरम (40), सिक्किम (32), पुदुचेरी (30))
5.	विधानपरिषद् राज्य के कुछ विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है।	5.	विधानसभा राज्य की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है।
6.	राज्य की मंत्रिपरिषद् विधानपरिषद् के प्रति उत्तरदायी नहीं होती।	6.	राज्य की मंत्रिपरिषद् विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।
7.	विधानपरिषद् में मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत नहीं किया जा सकता। वह मंत्रिपरिषद् के कार्यों की जांच एवं आलोचना भी कर सकती है, जो प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछकर तथा स्थगन प्रस्ताव द्वारा किया जाता है।	7.	विधानसभा मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत कर सकता है।
8.	धन विधेयक विधानपरिषद् में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता।	8.	धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है।
9.	विधानपरिषद् के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। अर्थात् विधान परिषद् राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते	9.	विधानसभा के सभी निर्वाचित (मनोनीत नहीं) राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। अर्थात् विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं।

मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल: परस्पर संबंध

- राज्य की कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, परंतु राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है।
- मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद् एवं राज्यपाल के बीच कड़ी का काम करता है। वह राज्य प्रशासन से संबंधित सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देता है। (अनुच्छेद 167)।
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद् व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है।
- कुछ विशेष परिस्थितियों के अलावा सामान्यतया मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद् द्वारा लिए गए निर्णयों को स्वीकार करने हेतु राज्यपाल बाध्य होता है।
- मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल को राज्यपाल द्वारा इस आधार पर पदच्युत किया जा सकता है कि उसने विधानसभा में अपना बहुमत खो दिया है।

सरकारी विधेयक एवं निजी सदस्य विधेयक

- वैसे विधेयक जो मंत्रिपरिषद् के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं वे सरकारी विधेयक तथा राज्य विधानमंडल के किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तावित विधेयक निजी सदस्य विधेयक कहलाते हैं।
- सरकारी विधेयक हेतु किसी पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु निजी सदस्य विधेयकों के लिए एक महीने की पूर्व सूचना देना आवश्यक है।
- सरकारी विधेयक सामान्यतया सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है तथा इस पर किसी भी समय आवश्यकतानुसार विचार किया जाता है। निजी सदस्य विधेयक को प्रस्तुत करने हेतु तारीख निश्चित कर दी जाती है।

‘सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत’ और ‘समानुपातिक प्रतिनिधित्व’ चुनाव व्यवस्था की तुलना

सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत	समानुपातिक प्रतिनिधित्व
<ul style="list-style-type: none"> ● पूरे देश को छोटी-छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं जिसे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं। ● हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता ● मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है। ● पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती है। ● विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि वोटों का बहुमत (50%+1) मिले। <p>उदाहरण-यूनाइटेड किंगडम और भारत</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन मान लिया जाता है। पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र गिना जा सकता है। ● एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। ● मतदाता पार्टी को वोट देता है। ● हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें प्राप्त होती हैं। ● विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत प्राप्त होता है। <p>उदाहरण- इजराइल और नीदरलैंड</p>

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MULTIPLE CHOICE QUESTIONS)

1. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन संविधान के संदर्भ में सही है।
 1. सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है।
 2. संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में रहता है और इसकी जरूरत ऐसे ही देशों में होती है।
 3. संविधान एक कानूनी दस्तावेज है तथा आदर्शों एवं मूल्यों से इसका कोई सरोकार नहीं है।
 4. संविधान नागरिकों को नई पहचान देता है।

(a) 1, 3 और 4 (b) 1 और 2
(c) केवल 4 (d) 2 और 3
2. निम्न में से कौन-से कथन संविधान सभा के विषय में सही नहीं हैं?
 1. वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था।
 2. वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी।
 3. वह बहुदलीय निकाय थी।
 4. उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया।

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चयन कीजिए-

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4
3. उद्देश्य-प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है/हैं?
 1. संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था।
 2. इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक के न्यायोचित अधिकारों को उठाया गया था।
 3. यह मूलभूत अधिकारों के निर्माण का आधार बना।
 4. इसके अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राजनीति की स्थापना के विषय में कहा गया था।

(a) 1 और 2 (b) 1, 2 और 3
(c) 1, 2, और 4 (d) केवल 3
4. प्रस्तावना सुनिश्चित आदर्शों को प्रतिष्ठापित करती है, जिनकी चर्चा प्रथम बार
 - (a) जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा वाले भाषण में की थी।
 - (b) नेहरू रिपोर्ट में हुई थी।
 - (c) भारतीय राष्ट्रपति कांग्रेस के कराची अधिवेशन में एक प्रस्ताव स्वीकार कर की गई थी।
 - (d) संविधान सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में हुई थी।
5. निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावना से सुस्पष्ट उभरता है?
 1. संविधान कब अधिनियमित हुआ था।
 2. जिन आदर्शों को प्राप्त करना था।
 3. शासन का तंत्र।
 4. प्राधिकार का स्रोत।

(a) 2, 3 और 4 (b) 1 और 2
(c) 1, 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4
6. निम्नलिखित में से कौन-सा लक्षण भारतीय संविधान को संसार का सबसे बड़ा संविधान बनाने में योगदान नहीं देता?
 1. विभिन्न प्रकार के आपातकालों पर विस्तार से विचार किया गया है।
 2. यह संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकारों पर कानून बनाता है।
 3. यह सभी प्रकार की भारतीय नागरिकता के विषय में और उसके समाप्त होने के विषय में निर्देश देता है।
 4. इसमें न सिर्फ मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तार है बल्कि इन पर लगे निषेध भी विस्तार से दिए गए हैं।

(a) 1 और 2 (b) 1 और 4
(c) 2 और 4 (d) 2, 3 और 4
7. भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। इससे अभिप्राय है
 1. राज्य सभी धर्मों को समान मानेगा।
 2. सभी लोगों के विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता होगी।
 3. शैक्षणिक संस्थाओं को बिना किसी अपवाद के धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता होगी।
 4. राज्य रोजगार के विषय में धार्मिक आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा।

(a) 1 और 2 (b) 1, 2 और 3
(c) 3 और 4 (d) 1, 2 और 4
8. भारत में सरकार संघात्मक है क्योंकि-
 1. केंद्रीय विधान मंडल द्विसदनी है।
 2. भारत में एक-नागरिकता दी गई है।
 3. संविधान सर्वोच्च है।
 4. भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है।

(a) 1, 3 और 4 (b) 1, 2 और 4
(c) 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4
9. निम्न में कौन-से कथन सही हैं?
 1. मौलिक अधिकार अन्य अधिकार से भिन्न हैं।
 2. साधारण कानूनी अधिकारों को साधारण कानूनों द्वारा सुरक्षा दी जाती है।
 3. मौलिक अधिकारों की सुरक्षा स्वयं संविधान द्वारा की जाती है।

4. सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करता।
 (a) 1 और 2 (b) 2 और 4
 (c) 1, 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4
10. नीति-निदेशक तत्व के बारे में निम्न में से कौन-से कथन सही हैं?
 1. यह संविधान का एक हिस्सा है।
 2. यह वाद योग्य नहीं है।
 3. इसके पीछे नैतिक शक्ति है।
 4. ये वे अधिकार हैं जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए।
 (a) 1 और 2 (b) 1, 3 और 4
 (c) 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4
11. निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का सबसे उचित वर्णन है/हैं?
 1. किसी व्यक्ति को प्रदत्त समस्त अधिकार।
 2. कानून द्वारा नागरिक को प्रदत्त समस्त अधिकार।
 3. संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार।
 4. संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।
 (a) 2 और 4 (b) केवल 3
 (c) 1, 2 और 3 (d) 2 और 3
12. निम्न में से कौन सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की सही व्याख्या है/हैं?
 1. शैक्षिक-संस्था खोलने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के ही बच्चे उस संस्थान में पढ़ाई कर सकते हैं।
 2. सरकारी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी संस्कृति और धर्म-विश्वासों से परिचित कराया जाए।
 3. भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं और उनके लिए विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं।
 4. भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक यह मांग कर सकते हैं कि उनके बच्चे उनके द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थान में नहीं पढ़ेंगे।
 (a) 1 और 3 (b) 1, 3 और 4
 (c) केवल 3 (d) 2 और 3
13. इनमें से कौन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है/हैं?
 1. न्यूनतम देय मजदूरी नहीं होना।
 2. किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना।
 3. नौ बजे रात के बाद लाउड-स्पीकर बजाने पर रोक लगाना।
 4. भाषण तैयार करना।
- (a) 1 और 2 (b) 1, 2 और 3
 (c) 2 और 3 (d) 2 और 4
14. भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से निम्न में से कौन-से तत्व लिए गए हैं?
 1. विधि का शासन
 2. न्यायपालिका की स्वतंत्रता
 3. कानून निर्माण की प्रक्रिया
 4. संसदीय सरकार
 (a) 1, 3 और 4 (b) 1, 2 और 3
 (c) 2, 3 और 4 (d) 2 और 4
15. निम्न शब्दों को सही क्रम में विन्यस्त करें, जिस क्रम में उन्हें भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है-
 1. संप्रभुता संपन्न 2. धर्मनिरपेक्ष
 3. समाजवादी 4. गणराज्य
 5. लोकतांत्रिक
 (a) 2, 1, 3, 4, 5 (b) 1, 2, 3, 4, 5
 (c) 2, 1, 3, 5, 4 (d) 1, 3, 2, 5, 4
16. निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में राज्य के नीति-निदेशक तत्वों में सम्मिलित हैं?
 1. भारत की एकता, प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखना।
 2. सभी वर्गों में संपत्ति व भौतिक स्रोतों का उचित वितरण रखना
 3. सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारना।
 4. भारत के समस्त लोगों में सामान्य भ्रातृत्व की भावना व सामंजस्य बनाए रखना।
 5. ऐतिहासिक व राष्ट्रीय महत्व के भवनों की रक्षा करना।
 6. सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना व हिंसा का त्याग करना।
 (a) 1, 3 और 5 (b) 2, 4 और 6
 (c) 2, 3 और 5 (d) 1, 4 और 6
17. धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं-
 1. धर्म प्रचार करने का अधिकार
 2. सिखों को 'कृपाण' धारण एवं रखने का अधिकार।
 3. राज्यों को समाज-सुधार के लिए विधि निर्माण का अधिकार
 4. धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार
 नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए-
 (a) 1, 2 और 3 (b) 2, 3 और 4
 (c) 3 और 4 (d) ये सभी
18. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
 1. भारत के संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए बारह मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं।

2. भारत के संविधान में मूल कर्तव्य के सीधे बाध्यकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
3. भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए आम चुनाव अथवा राज्य के चुनाव में अपना मत देना एक मूल कर्तव्य है ताकि भारत में एक सक्रिय लोकतंत्र संपोषित रहे।
उपयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) 1 और 2 (b) केवल 2
(c) 2 और 3 (d) केवल 3
19. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबद्ध है।
2. संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है।
3. भारत के संविधान में अनुच्छेद 300A उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतःस्थापित किया गया।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
20. भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है?
(a) प्रस्तावना
(b) मूल अधिकार
(c) राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत
(d) सातवीं तालिका
21. निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं।
(a) केंद्र और राज्यों की बीच
(b) राज्यों के परस्पर विवाद
(c) मूल अधिकारों का संरक्षण
(d) संविधान के उल्लंघन से संरक्षण
22. मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a) उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है
(b) उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है।
(c) अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है।
(d) किसी विशिष्ट कर्तव्यों का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है।
23. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. भारत के संविधान के 20वें अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
2. भारत के संविधान के 21वें अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्धकोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय, जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है।
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 (d) न तो 1, न ही 2
24. किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता रद्द या निलम्बित की जा सकती है-
1. यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है।
2. यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं हैं
3. यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है।
4. यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किन्तु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु को सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है।
(a) 1 और 3 (b) 1, 2 और 3
(c) 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4
25. निम्न में से कौन-से वे अधिकार हैं, जो भारतीय नागरिकों के साथ ही भारतीय क्षेत्र में निवास करने वाले विदेशियों को भी प्राप्त हैं?
1. शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार
2. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
3. राज्य द्वारा लिंग, जाति, धर्म एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार
4. व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
(a) 1 और 2 (b) 3 और 4
(c) 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4
26. निम्न में से कौन नीति-निदेशक तत्व नहीं है?
1. शिक्षा का अधिकार
2. मातृत्व सहायता
3. बाल श्रम पर रोक
4. बेगार पर रोक
5. समान नागरिक संहिता
(a) 1, 3 और 4 (b) 1, 2 और 5
(c) 3 और 4 (d) 2, 3, 4 और 5
27. मौलिक अधिकारों के सन्दर्भ में निम्नलिखित में कौन-से कथन सत्य नहीं हैं?

1. इनमें से कुछ अधिकार सशस्त्र सेनाओं को प्राप्त हैं।
 2. ये राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा करने पर स्वतः निलम्बित हो जाते हैं।
 3. इनको सशस्त्र सेनाओं पर संशोधित ढंग से लागू करने के विषय में केवल राष्ट्रपति ही निर्णय ले सकते हैं।
 4. संविधान के मूल तत्व होने के कारण इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है।
- (a) 1 और 2 (b) 2, 3 और 4
(c) 1 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4
28. प्रेस की स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(क)) के अन्तर्गत प्रत्याभूत किया गया है-
1. प्रेस पर सामान्य रूप से कर लगाया जा सकता है।
 2. सरकार ऐसी विधियां लगाने में संवैधानिक रूप से सक्षम हैं जिनसे प्रेस का परिचालन कम हो सके।
 3. प्रेस पर सेंसर लागू नहीं किया जा सकता है।
 4. औद्योगिक इकाइयों पर लागू होने वाली सामान्य विधि प्रेस पर लागू नहीं होगी।
- (a) 2, 3 और 4 (b) केवल 1
(c) 1 और 3 (d) 2 और 4
29. निम्नलिखित में से संविधान संशोधन के द्वारा नीति-निदेशक सिद्धांतों में क्या जोड़ा गया है?
1. पर्यावरण को सुधारना व रक्षा करना और वन्य जीवन की सुरक्षा करना।
 2. श्रमिकों का उद्योगों के प्रबंध में भागीदारी का अधिकार।
 3. कार्य करने का अधिकार।
 4. ऐतिहासिक महत्व के स्थलों की सुरक्षा व अनुरक्षण करना।
- (a) 1 और 2 (b) 2
(c) 1, 3 और 4 (d) 1 और 3
30. संविधान निरोधक नजरबंदी की अनुमति देता है परंतु अनुबन्धित करता है कि-
- (a) किसी भी व्यक्ति को तीन माह से अधिक बिना सलाहकार बोर्ड की अनुमति के नजरबन्दी में नहीं रखा जा सकता है।
 - (b) नजरबन्द को नजरबन्दी के आधारों को गिरफ्तारी से पूर्व बता देना चाहिए।
 - (c) नजरबन्द व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख जरूर प्रस्तुत होना चाहिए।
 - (d) उपरोक्त सभी
31. निम्नलिखित में से कौन-से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं?
1. कानून के समक्ष समानता
 2. भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
 3. अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार
 4. स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा
- (a) 1, 2 और 4 (b) 2 और 4
(c) 1 और 4 (d) 2 और 3
32. सम्पत्ति का अधिकार, मूल अधिकारों में शामिल नहीं है, इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। यह कार्यपालिका को निम्नलिखित में से क्या अधिकार देता है?
1. कार्यपालिका विधि के प्राधिकार द्वारा ही किसी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से वंचित कर सकती है।
 2. कार्यपालिका, विधि के प्राधिकार के बिना भी किसी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से वंचित कर सकती है।
 3. कार्यपालिका, निजी सम्पत्ति का अधिग्रहण सम्पत्ति स्वामी को एक रकम देकर कर सकती है।
 4. अधिगृहीत सम्पत्ति का स्वामी, रकम के कम होने पर सर्वोच्च न्यायालय में इसकी युक्तियुक्तता के सन्दर्भ में अपील कर सकता है।
- (a) 1, 3 और 4 (b) 1 और 2
(c) केवल 4 (d) 2 और 3
33. निम्न में से कौन-से कथन सही हैं?
1. 'नागरिकों के पिछड़े वर्ग' पद की संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है।
 2. निवास पर आधारित विभेद को संविधान द्वारा अवैध घोषित किया गया है।
 3. राज्य द्वारा पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना अनुच्छेद 16(1) एवं (2) का अपवाद है।
 4. अनुच्छेद 15 राज्य को जन्म-स्थान के आधार पर विभेद की मनाही करता है।
- (a) 1 और 2 (b) 1, 3 और 4
(c) 3 और 4 (d) 1, 2 और 3
34. निम्न में से कौन-से कथन सही हैं/हैं?
1. आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 को अनुच्छेद 359 के अधीन निलम्बित किया जा सकता है।
 2. अनुच्छेद 358 के अधीन राज्य की कार्यपालक तथा विधायी शक्ति अनुच्छेद 19 में समाविष्ट स्वतंत्रता के अधिकारों द्वारा निबन्धित नहीं हो जाएगी।
- (a) 1 और 2 दोनों (b) केवल 2
(c) केवल 1 (d) इनमें से कोई नहीं
35. संविधान अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है-

1. विधानमण्डल में सीटों के आरक्षण द्वारा।
 2. राज्यों को यह विशेष अधिकार प्रदान किया गया है कि वो अनुसूचित जाति व जनजातियों के अधिकारों पर, उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रतिबन्ध लगा सकते हैं।
 3. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग द्वारा।
 - (a) 1 और 2
 - (b) 2 और 3
 - (c) 1, 2 और 3
 - (d) केवल 1
36. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबन्ध नहीं है।
 2. भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया।
- उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) केवल 1
 - (b) केवल 2
 - (c) 1 और 2 दोनों
 - (d) न तो 1 और न ही 2
37. निम्नलिखित में से कौन-से भारत के संविधान के 51वें अनुच्छेद में राज्य नीति के निदेशक तत्वों के रूप में व्यक्त किए गए हैं?
1. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।
 2. राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण सम्बंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा।
 3. अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के माध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा।
- उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) 1, 2 और 3
 - (b) 2 और 3
 - (c) 1 और 2
 - (d) 1 और 3
38. भारत के संविधान में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है?
- (a) संविधान की प्रस्तावना में
 - (b) राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांतों में
 - (c) मूल कर्तव्यों में
 - (d) नौवीं अनुसूची में
39. जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य पूरा न करने से याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचाती है, तो इसे निम्नलिखित में से कौन-सी एक याचिका कहते हैं?
- (a) उत्प्रेषण
 - (b) बन्दीप्रत्यक्षीकरण
 - (c) परमादेश
 - (d) अधिकारपृच्छा
40. निम्नलिखित में से कौन-सी, भारत के संविधान की नवीं सूची की विशिष्टता नहीं है?
- (a) पंचायतों के लिए पांच वर्षीय कार्यकाल।
 - (b) पंचायत की सदस्यता के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण।
 - (c) पंचायत (ग्राम/मध्यवर्ती स्तर) के सभी स्थानों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव।
 - (d) महिलाओं के लिए कम-से-कम एक तिहाई स्थानों का आरक्षण।
41. राष्ट्रपति के निर्वाचन मण्डल के सदस्य होते हैं-
1. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य।
 2. राज्य विधान मण्डलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य।
 3. सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
 4. दिल्ली और पाण्डिचेरी सभाओं के निर्वाचित सदस्य।
- नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए-
- (a) 1, 2 और 3
 - (b) 1 और 3
 - (c) 1, 2 और 4
 - (d) 1, 3 और 4
42. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. भारत के राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं। यदि उनको यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्यवाही करना उनके लिए आवश्यक हो गया है।
 2. भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद के लिए पुनः भी चुना जा सकता है।
- उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
- (a) केवल 1
 - (b) केवल 2
 - (c) 1 और 2 दोनों
 - (d) न तो 1 और न ही 2
43. निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए-
- (a) यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही त्यागपत्र दे दें, तो लोकसभा का अध्यक्ष नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक राष्ट्रपति का कार्य करेगा।
 - (b) भारतीय संविधान में चुनाव लड़ने की सबसे कम और सबसे अधिक आयु का प्रावधान है।
 - (c) राष्ट्रपति के त्याग-पत्र की स्थिति में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल का कार्य सम्भालेगा।
 - (d) भारत का राष्ट्रपति संसद का अंग है।
44. संघ सरकार के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मन्त्रालयों/विभागों का सृजन किया जाता है।
 2. हर एक मन्त्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है।
- उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) केवल 1
 - (b) केवल 2
 - (c) 1 और 2 दोनों
 - (d) न तो 1 और न ही 2

45. भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की ओर से हस्ताक्षर करते हैं।
 2. राष्ट्रपति द्वारा समस्त नियुक्तियों में वे उनको सहायता प्रदान करते हैं।
 3. मन्त्रिमण्डल द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के बारे में वे राष्ट्रपति को सूचित करते हैं।
- इनमें से कौन-से कथन सही हैं?
- (a) 1, 2 और 3 (b) 1 और 2
(c) 1 और 3 (d) 2 और 3
46. भारत के उपराष्ट्रपति से सम्बंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा होता है।
 2. रिक्ति की अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए किसी व्यक्ति के बारे में संविधान उल्लेख नहीं करता।
- इन कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
47. प्रधानमंत्री अपनी नियुक्ति के समय-
1. आवश्यक नहीं है कि वह संसद सदस्य हो लेकिन उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है।
 2. आवश्यक नहीं है कि वह संसद सदस्य हो लेकिन उसे 6 माह के भीतर लोकसभा का सदस्य बनना आवश्यक है।
 3. उसे संसद के किसी सदन का निर्वाचित या मनोनीत सदस्य होना आवश्यक है।
 4. केवल लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होना चाहिए।
- (a) केवल 1 (b) 1 और 2
(c) केवल 2 (d) केवल 4
48. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही है? लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने के लिए संकल्प।
- (a) लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित होगा।
(b) दोनों सदन लोकसभा तथा राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित होगा।
(c) लोकसभा के कुल सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित होगा।
(d) लोकसभा के उपस्थिति और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित होगा।
49. भारत के संघ की कार्यपालिका किन-किन से मिलकर बनती है?
- (a) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और मन्त्रिपरिषद्।
(b) राष्ट्रपति, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री।
(c) केवल राष्ट्रपति और मन्त्रिपरिषद्।
(d) केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मन्त्रिपरिषद्।
50. प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति
- (a) लोकसभा के सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है।
(b) लोकसभा में बहुमत अर्जित करने वाले गठबन्धन के दलों में सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है।
(c) राज्यसभा के सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है।
(d) गठबन्धन अथवा उस दल के नेता को चुनता है जिसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो।
51. भारतीय संसद के सन्दर्भ में निम्न में से कौन-सा कथन सत्य है?
- (a) अपने पद से मुक्ति के लिए लोकसभाध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सम्बोधित करके देता है।
(b) लोकसभा की बैठक के लिए, गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों का दसवां भाग आवश्यक है, जबकि राज्यसभा के लिए गणपूर्ति संख्या, कुल सदस्यों का 20वां भाग है।
(c) शपथ लेने से पूर्व यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य संसद भवन में बैठता है या मतदान करता है, तो पांच सौ रुपये प्रतिदिन की दर से उससे जुर्माना वसूल किया जाएगा।
(d) लोकसभाध्यक्ष को हटाने के लिए न्यूनतम एक माह का नोटिस देकर तथा यह अवधि बीतने पर लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर लोकसभाध्यक्ष को हटाया जा सकता है।
52. स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है?
- (a) वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है।
(b) यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद छः माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा।
(c) यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा।
(d) यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सम्बोधित करना होगा।
53. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
- (a) 42वें संशोधन के अंतर्गत लोकसभा तथा प्रदेशों की विधानसभाओं की अवधि काल 5 वर्ष से 6 वर्ष तक बढ़ाया गया।

- (b) प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है।
- (c) धन-विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते।
- (d) राज्यसभा के एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने पर सेवा निवृत्त हो जाते हैं।
54. अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों को भारत के किसी भाग अथवा सम्पूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है।
- (a) सभी राज्यों की सहमति से
- (b) बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से
- (c) सम्बन्धित राज्यों की सहमति से
- (d) बिना किसी राज्य की सहमति से
55. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही नहीं है?
- (a) लोकसभा में, अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए ऐसे कारण, जिन पर वह आधारित है, देना आवश्यक है।
- (b) लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए, नियमों में ग्राह्यता की कोई शर्त निर्धारित नहीं की गई है।
- (c) यदि किसी अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया जाए तो इजाजत मिलने के दस दिन के भीतर उस पर कार्यवाही करना अनिवार्य है।
- (d) राज्यसभा किसी अविश्वास प्रस्ताव को ग्रहण करने के लिए सशक्त नहीं है।
56. निम्न में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है?
1. राज्यसभा को धन विधेयक को अस्वीकार करने या उसमें संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है।
2. कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं यह तय करने का सर्वप्रमुख व अन्तिम अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है।
3. अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण में लोकसभा को राज्यसभा से ज्यादा अधिकार हैं।
4. 1976 में धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था।
- (a) 1 और 3 (b) 3 और 4
- (c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3
57. धन विधेयक के सम्बंध में निम्न में से कौन-से कथन सत्य हैं?
1. धन विधेयक, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
2. धन विधेयक, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
3. कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, इसका अन्तिम निर्णय राष्ट्रपति करता है।
4. राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती।
- (a) 1, 3 और 4 (b) 2, 3 और 4
- (c) 1, 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4
58. आकलन समिति (Estimate Committee) के सम्बंध में निम्न में से कौन-से कथन सत्य हैं?
1. इससे राज्यसभा को कोई सदस्य सम्बद्ध नहीं होता।
2. इसकी सदस्य संख्या 20 होती है।
3. इसके सदस्य एक वर्ष की अवधि के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुने जाते हैं।
4. लोकसभा अध्यक्ष, समिति के किसी सदस्य को समिति का अध्यक्ष मनोनीत करता है।
- (a) 1, 2 और 3 (b) 1, 3 और 4
- (c) 1, 2 और 4 (d) 2, 3 और 4
59. संसद के किसी सदस्य को दलबदलने के आधार पर अयोग्य घोषित करने के लिए निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों का होना अनिवार्य है?
1. यदि वह स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है।
2. यदि वह अपने राजनीतिक दल के द्वारा जारी निर्देशों के विरुद्ध मतदान करता है या विपक्षी दल को अपना मत देता है।
3. यदि वह अपने दल के विरुद्ध बयान देता है।
4. यदि वह दूसरी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तथा उस दल की सदस्यता छोड़ देता है, जिसके टिकट पर उसने चुनाव लड़ा था तथा विजय प्राप्त की थी।
- (a) 1, 2 और 3 (b) 1, 2 और 4
- (c) 1, 3 और 4 (d) 2, 3 और 4
60. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. एक विधेयक जो राज्य के विधान-मण्डल में लम्बित हो, वह उसके सदन या सदनों के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं हो जाता है।
2. किसी राज्य की विधान-परिषद् में लम्बित विधेयक, जो विधानसभा में पारित न हुआ हो, विधानसभा के भंग हो जाने पर समाप्त नहीं हो जाता।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) केवल 1 (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
61. 'भारित' व्यय से तात्पर्य है
- (a) भारत की संचित निधि से व्यय, जो कि गैर-मतदान योग्य है।
- (b) विचाराधीन व्ययों के भुगतान पर हुए व्यय से।
- (c) राष्ट्रपति जिन व्ययों को बिना संसद की मंजूरी के स्वीकृत कर सकता है।
- (d) भारत की संचित निधि से प्रस्तावित सभी व्ययों से।
- न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया में सम्मिलित है/हैं-
1. न्यायपालिका द्वारा संविधान की समीक्षा।

2. कार्यपालिका, मामलों पर अपने विचार प्रकट करने के लिए उसे न्यायपालिका के पास भेजती है।
3. कार्यपालिका एवं व्यस्थापिका से सम्बंधित विषयों की संवैधानिक वैधता को परखने के लिए न्यायपालिका द्वारा उनकी जांच।
4. न्यायपालिका द्वारा समय-समय पर सरकारी संगठनों की कार्यप्रणाली की जांच।
- (a) केवल 3 (b) 2 और 3
(c) 2, 3 और 4 (d) केवल 1
63. निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
1. बन्दीप्रत्यक्षीकरण - शाब्दिक तौर पर अर्थ है 'व्यक्ति को सामने लाओ'
2. परमादेश - एक व्यक्ति को सार्वजनिक कर्तव्य करने का निर्देश है।
3. अधिकारपृच्छा - निचली अदालत में मामले की सुनवाई रोकने के लिए जारी आदेश।
4. प्रतिषेध - निचली अदालत के निर्णय या आदेश को खारिज करने हेतु जारी।
- (a) 2, 3 और 4 (b) 1 और 2
(c) केवल 3 (d) 3 और 4
64. भारतीय संसद के सम्बंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही नहीं है?
- (a) विनियोजन विधेयक का, कानून बनने से पूर्व, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना अनिवार्य है।
- (b) विनियोजन अधिनियम के अधीन विनियोजन हुए बिना भारत के संचित निधि में से धन नहीं निकाला जा सकता।
- (c) नए कर प्रस्तावित करने के लिए वित्तविधेयक का होना आवश्यक है जबकि चालू करों की दर में बदलाव के लिए किसी अन्य विधेयक/अधिनियम की आवश्यकता नहीं है।
- (d) राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई धन विधेयक नहीं लाया जा सकता।
65. भारत के लोक वित्त से सम्बंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. भारत के लोक लेखा से संवितरण संसद के मत के अध्याधीन हैं।
2. भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए संचित निधि, लोक लेखा और आकस्मिक निधि का उपबंध है।
3. रेल बजट में विनियोजन तथा संवितरण अन्य विनियोजनों और संवितरणों की तरह ही संसद के समान नियंत्रण के अधीन है।
- उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
- (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
66. न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार हैं।
- (a) यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना।
- (b) निचले न्यायालयों के आदेशों का पुनर्विलोकन करना।
- (c) निचले न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना।
- (d) कानूनों का इस दृष्टिकोण से परीक्षण एवं उनके बनाने में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है।
67. उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?
1. उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करें।
2. परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है।
3. परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता।
4. उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है।
- नीचे दिए हुए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए-
- (a) 1 और 2 (b) 1 और 3
(c) 2 और 3 (d) 2 और 4
68. संविधान ने न्यायालयों को क्षेत्रीय राजनीति से अलग रखने के लिए न्यायालयों को कुछ मामलों में केन्द्र के अधीन रखा गया है। केन्द्र अपना नियंत्रण निम्न में किन मामलों में रखता है?
1. एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्चन्यायालय में स्थानांतरण के मामले में।
2. दो राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना के मामले में।
3. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु सम्बंधी विवाद के मामले में।
- (a) केवल 1 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
69. संविधान में अन्तर्राज्यीय परिषद् के क्या कार्य निश्चित किए गए हैं?
1. राज्यों के मध्य विवादों की जांच करना व परामर्श देना।

2. दो या अधिक राज्यों के समान हित के मामलों की जांच करना।
3. किसी भी विषय पर कार्यवाही और नीति में सामंजस्य स्थापित करने की सिफारिश करना।
4. व्यापार व वाणिज्य की स्वतंत्रता से सम्बंधित व्यवस्थाओं को लागू करना।
- (a) 1, 2 और 4 (b) 1, 2 और 3
(c) 2 और 4 (d) 2, 3 और 4
70. निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन संघवाद के सिद्धांत का अतिक्रमण नहीं करता/करते हैं/हैं?
1. भारत का राष्ट्रपति आपात के उपबन्धों के अधीन दोनों का प्रशासन अपने हाथ में ले लेता है।
2. भारत में संसद को समवर्ती सूची अथवा राज्य सूची में प्रगणित न किए गए किसी भी विषय पर कोई भी विधि बनाने की अनन्य-शक्ति है।
3. संघ एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों का वितरण, भारतीय संविधान में प्रगणित तीन विभिन्न सूचियों के माध्यम से किया जाता है।
- नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-
- (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) केवल 3 (d) 1 और 3
71. भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं-
1. संसद एवं राज्य विधान मण्डलों के सभी चुनाव करवाना।
2. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना।
3. किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना।
4. निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण।
- (a) 1, 2 और 3 (b) 1, 2 और 4
(c) 1, 3 और 4 (d) सभी चारों
72. भारत के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त हैं परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है।
2. मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है।
3. मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता।
4. चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार सम्भालने की तारीख से पांच वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक, जो भी पहले होता है। इनमें से कौन-कौन से कथन सही हैं?
- (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 4 (d) 2 और 4
73. लोक अदालतों के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. एक लोक अदालत द्वारा किया गया अधिनिर्णय सिविल न्यायालय का आदेश (Decree) मान लिया जाता है और इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं होती है।
2. विवाह-सम्बंधी/पारिवारिक विवाद लोक अदालत में सम्मिलित नहीं होते हैं।
- उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
74. सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। इसका तात्पर्य है।
1. यह अपनी अवमानना पर दण्डित कर सकता है।
2. इसके निर्णय को साक्ष्य के रूप में मान्यता दी जाती है तथा किसी भी न्यायालय में इस पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकता है।
3. भारत में चले सभी महत्वपूर्ण मुकदमों के अभिलेख इसे सुरक्षित रखने होते हैं।
4. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय, स्वयं पर बन्धनकारी होता है।
- (a) 1, 2 और 3 (b) 1 और 2
(c) 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4
75. निम्नलिखित में से कौन-से कथन सत्य हैं-
1. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश व पंचाट सम्पूर्ण भारत में प्रवर्तनीय होते हैं।
2. सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व के निर्णयों से बंधा नहीं है।
3. न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को उसके उद्देश्यों के आधार पर असंवैधानिक करार दे सकता है।
4. संविधान के अन्तर्गत कोई भी क्षेत्र न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर नहीं है।
- (a) 1, 2 और 3 (b) 1 और 2
(c) 2 और 3 (d) 1, 3 और 4
76. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के सम्बंध में निम्न में से कौन-से कथन सत्य हैं?

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद संविधान द्वारा सृजित किया गया है।
 2. वह 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, पद पर बना रह सकता है।
 3. उसे पद से केवल महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है।
 4. वह भारत की संचित निधि से व्यय किए गए सभी मदों तथा केन्द्र एवं सभी राज्यों द्वारा व्यय की गई धनराशि का परीक्षण करता है तथा इस बात की जांच करता है कि व्यय विधि के अनुसार किया गया है या नहीं।
- (a) 1, 2, 3 और 4 (b) 1, 3 और 4
(c) 2 और 3 (d) 3 और 4
77. भारत के वित्त आयोग के सम्बंध में निम्न में से कौन-से कथन सत्य हैं?
1. यह एक संवैधानिक निकाय है, जिसका गठन हर 7 वर्ष बाद प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है।
 2. यह केन्द्र एवं राज्यों के मध्य करों के बंटवारे सम्बंधी सिफारिशें करता है तथा भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान सहायता उपलब्ध कराता है।
 3. यह बजट निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
 4. वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष सी. रंगराजन हैं।
- (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 3 और 4 (d) 2 और 4
78. भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होना चाहिए।
 2. इस प्रकार का प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से संस्थापनाएं हैं।
 3. इसकी शक्तियां केवल सिफारिशी प्रकृति की हैं।
 4. आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना आज्ञापरक है।
- उपरोक्त कथनों में से कौन-कौन से सही हैं?
- (a) 1, 2 और 4 (b) 2 और 4
(c) 2 और 3 (d) 1 और 3
79. भारत के महान्यायवादी के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
 2. उसके पास वही अर्हताएं होनी आवश्यक हैं, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक हैं।
 3. अपने कर्तव्यों के परिपालन में उसे भारत के सभी न्यायालयों में श्रवणाधिकार होगा।
- उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) केवल 1 (b) 1 और 3
(c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3
80. पंचायतों और नगरपालिकाओं में सीटों के आरक्षण के विषय में क्या कहना सही नहीं होगा?
- (a) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार किया जाता है।
 - (b) प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए।
 - (c) अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षण 2010 तक प्रभावी है।
 - (d) अनारक्षित सीटों पर महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकती हैं।



ANSWER

- | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. (c) | 11. (b) | 21. (b) | 31. (d) | 41. (d) | 51. (c) | 61. (a) | 71. (b) |
| 2. (a) | 12. (c) | 22. (b) | 32. (d) | 42. (b) | 52. (d) | 62. (a) | 72. (b) |
| 3. (c) | 13. (a) | 23. (d) | 33. (b) | 43. (d) | 53. (d) | 63. (d) | 73. (a) |
| 4. (d) | 14. (a) | 24. (c) | 34. (b) | 44. (b) | 54. (d) | 64. (c) | 74. (b) |
| 5. (d) | 15. (c) | 25. (c) | 35. (c) | 45. (d) | 55. (b) | 65. (d) | 75. (b) |
| 6. (c) | 16. (c) | 26. (c) | 36. (b) | 46. (c) | 56. (b) | 66. (a) | 76. (b) |
| 7. (d) | 17. (a) | 27. (b) | 37. (a) | 47. (a) | 57. (c) | 67. (c) | 77. (d) |
| 8. (a) | 18. (b) | 28. (b) | 38. (b) | 48. (a) | 58. (b) | 68. (d) | 78. (d) |
| 9. (d) | 19. (b) | 29. (d) | 39. (c) | 49. (c) | 59. (b) | 69. (b) | 79. (d) |
| 10. (d) | 20. (c) | 30. (a) | 40. (c) | 50. (d) | 60. (c) | 70. (c) | 80. (d) |